संसदीय पत्रिका (त्रैमासिक)

संसदीय पत्रिका लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका दी जर्नल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन का हिन्दी रूपांतरण है। यह पत्रिका संसद के साथ-साथ राज्यों और विदेशी विधायी निकायों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी का प्रामाणिक अभिलेख है। यह भारत में लोकतंत्र के क्रमिक विकास को प्रतिबिम्बित करते हुए संसदीय व्यवस्था के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी साझा करती है।

संसदीय पत्रिका

खंड 70 अंक 4 दिसम्बर 2024

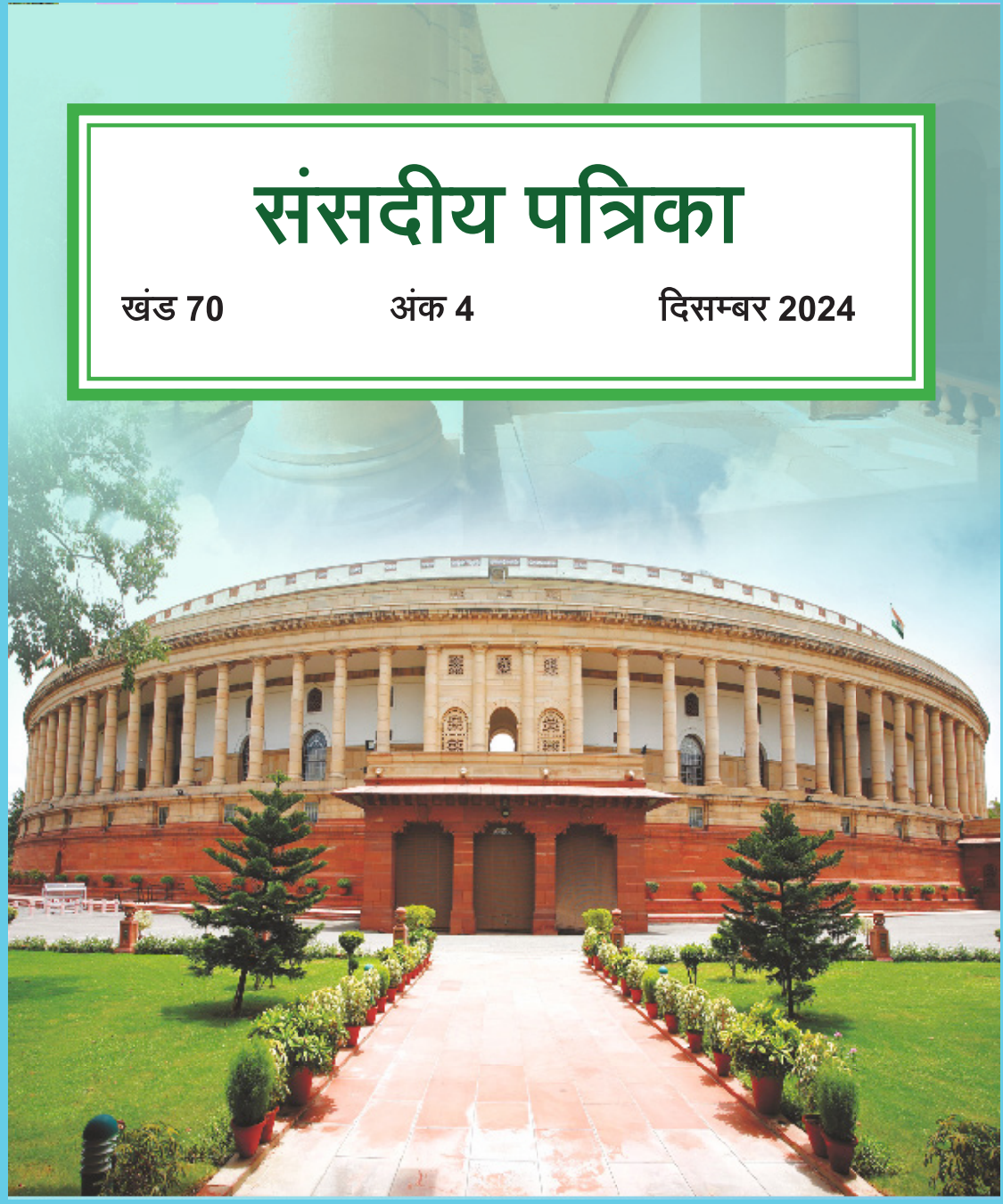

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 70 अंक 4 दिसम्बर 2024

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 70 **अंक 4** **दिसम्बर 2024**

इस अंक में **पृष्ठ**

भाषण

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 11 से 12 जुलाई 2024 तक आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच के पूर्ण सत्र के दौरान दिए गए भाषण..... 1

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा अठारहवीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दिनांक 9 से 10 अगस्त 2024 तक प्राइड द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण..... 7

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा भारत की संसद, नई दिल्ली में 23 से 24 सितंबर 2024 तक आयोजित 10वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण..... 13

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा 27 से 28 सितम्बर 2024 तक मिजोरम विधान सभा, आइजोल में आयोजित सीपीए भारत क्षेत्र, जोन III के 21वें सम्मेलन में दिया गया भाषण..... 19

संसदीय घटनाक्रम तथा कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां..... 23

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती..... 25

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)..... 29

सदस्य संदर्भ सेवा..... 31

प्रक्रिया संबंधी मामले..... 32

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम..... 33

पृष्ठ

सत्र समीक्षा

लोक सभा..... 43

राज्य सभा..... 55

राज्य विधान मंडल..... 62

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य..... 66

परिशिष्ट

एक. अठारहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण..... 76

दो. राज्य सभा के 265वें सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण..... 84

तीन. 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2024 तक की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण..... 91

चार. 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2024 तक की अवधि के दौरान संसद के सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयकों की सूची..... 110

पांच. 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2024 तक की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची..... 111

छह. 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2024 तक की अवधि के दौरान संघ और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश..... 122

सात. लोक सभा, राज्य सभा और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों में दलीय स्थिति..... 127

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 11 से 12 जुलाई 2024 तक आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच के पूर्ण सत्र के दौरान दिए गए भाषण

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 11 से 12 जुलाई 2024 तक 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजित किया गया। माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पूर्ण सत्र के दौरान भाषण दिया।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा दिए गए भाषणों का पाठ हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

दसवें ब्रिक्स संसदीय मंच के पूर्ण सत्र के दौरान 'ब्रिक्स संसदीय आयाम: अंतर-संसदीय सहयोग को सुदृढ़ करने की संभावनाएं' विषय पर दिया गया भाषण

11 जुलाई 2024 को आयोजित दसवें ब्रिक्स संसदीय मंच के पूर्ण सत्र के दौरान 'माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ब्रिक्स 'संसदीय आयाम: अंतर-संसदीय सहयोग को सुदृढ़ करने की संभावनाएं' विषय पर भाषण देते हुए।

माननीय सभापति और गण्यमान्य सदस्यो,

सर्वप्रथम, मैं भारत की संसद, अपने शिष्टमंडल और अपनी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

मुझे यह साझा करते हुए बेहद ख़ुशी है कि इस वर्ष भारत में हुए आम चुनाव में 640 मिलियन लोगों ने मतदान किया जो लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है । हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है।

इस चुनाव में भारत ने अपने संसदीय लोकतंत्र की मज़बूती को दर्शाने के साथ-साथ यह भी सिद्ध किया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है । मुझे लगातार दूसरी बार भारत की लोक सभा का अध्यक्ष चुने जाने का सौभाग्य मिला है।

एक्सीलेन्सी, *'ब्रिक्स संसदीय आयाम: अंतर-संसदीय सहयोग को सुदृढ़ करने की संभावनाएं'* एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं आपके साथ भारतीय दृष्टिकोण साझा कर रहा हूँ। भारत ब्रिक्स को एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच मानता है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन का मुख्य थीम *"समान वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने में संसदों की भूमिका"* अत्यंत प्रासंगिक है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अंतर-संसदीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

एक्सीलेन्सी, *"वसुधैव कुटुंबकम"* भारत की समृद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है । *"वसुधैव कुटुंबकम"* तथा 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' तथा इसमें हमारी संसदों की भूमिका को भारत में पिछले वर्ष आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन और उनकी संसदों के अध्यक्षों के पी-20 सम्मेलन का मुख्य थीम रखा गया था।

भारत में पी-20 की सफलता ने यह दर्शाया है कि विश्व के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों का समाधान आपसी सहयोग से हो सकता है।

एक्सीलेन्सी, ब्रिक्स विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। हमें खुशी है कि आज ब्रिक्स और अधिक समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयासरत है। इसी भावना से हमने ब्रिक्स के विस्तार का स्वागत किया है।

भारत की संसद इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई की संसदों का ब्रिक्स समूह में स्वागत करती है। भारत का यह मानना है कि ब्रिक्स परिवार में नए सदस्यों के शामिल होने से एक संगठन के रूप में ब्रिक्स मजबूत होगा और मानवता के साझे और बेहतर भविष्य के लिए हमारे प्रयासों को बल मिलेगा।

हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इसी प्रकार समावेशी बनाने के लिए उनमें अविलंब सुधार की आवश्यकता है ताकि वैश्विक शासन व्यवस्था को और अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया जा सके।

एक्सीलेन्सी, प्रभावी एवं समावेशी संसदीय मंचों के माध्यम से हम प्रगति और सतत विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें ब्रिक्स संसदीय मंच, सीपीए और आईपीयू जैसे अंतर-संसदीय मंचों के माध्यम से सामूहिक विचार-विमर्श करना होगा, अच्छे कानूनों, बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचारों को आपस में साझा करना होगा ताकि हम विकास और समृद्धि का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा सकें।

विश्व इस वक़्त जलवायु परिवर्तन, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति जैसे अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए हमें साझे हितों और साझी प्राथमिकताओं के आधार पर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आवश्यक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना होगा और बेहतर क़ानून बनाने होंगे।

ब्रिक्स के संसदीय पक्ष को मजबूत बनाने से अंतर-संसदीय सहयोग मजबूत होगा और इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। हमारी संसदें सुदृढ़ संस्थागत तंत्र का निर्माण करके, विधायी सहयोग को बढ़ावा देकर, क्षमता निर्माण में निवेश करके, प्रौद्योगिकी के उपयोग और जन-संपर्क और जन-भागीदारी संपर्क बढ़ाकर क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

एक्सीलेन्सी, भारतीय संसद में प्राइड एक उत्कृष्ट श्रेणी का प्रशिक्षण संस्थान है जो माननीय संसद सदस्यों तथा अधिकारियों के लिए संसदीय अध्ययन, क्षमता निर्माण, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग और संसदीय नवाचारों के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। ब्रिक्स देशों की संसदें हमारी इस विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्था का लाभ उठा सकती हैं।

इस मंच के माध्यम से मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत की संसद लोकतांत्रिक मूल्यों और सतत विकास के लिए सकारात्मक और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं इस अवसर पर रशियन फेडरेशन की संसद को ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी के लिए बधाई देता हूं।

धन्यवाद।

'बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन को रोकने और वैश्विक संकट के परिणामों से संबंधित चुनौतियों से निपटने में संसदों की भूमिका' विषय पर सम्बोधन

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 12 जुलाई 2024 को *'बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन को रोकने और वैश्विक संकट से संबंधित चुनौतियों के समाधान में संसदों की भूमिका' विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित किया*।

माननीय चेयरपर्सन और गण्यमान्य सदस्यो,

'बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन को रोकने और वैश्विक संकट से संबंधित चुनौतियों के समाधान में संसदों की भूमिका' जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपको और इस सभा को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

एक्सीलेन्सी, विगत वर्षों में ब्रिक्स मंच विभिन्न देशों की संसदों के बीच अंतर-संसदीय वार्ता के प्रभावी मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स देश वैश्विक जनसंख्या और जीडीपी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के समाधान में इस संसदीय मंच की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुझे विश्वास है कि ब्रिक्स में बहुपक्षीय संस्थाओं में असंतुलन को दूर करने, ट्रेडिंग ब्लॉक्स, डेवलपमेंट बैंक्स जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाने तथा वर्तमान वित्तीय एवं व्यापारिक चुनौतियों के समाधान पर सार्थक चर्चा होगी।

एक्सीलेन्सी, वैश्विक बहुपक्षीय व्यापार गठबंधन सभी देशों द्वारा व्यापक चर्चा एवं गहन विचार विमर्श के बाद बनाए गए हैं। इनका विखंडन किसी के भी हित में नहीं है। वैश्विक व्यापार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संगठन अत्यंत आवश्यक हैं। लेकिन हमें इस तथ्य पर भी विचार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे विषय वैश्विक व्यापार और समृद्धि के लिए बड़े खतरे हैं। वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने के लिए हमें आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा। इन विषयों पर सभी देशों को सामूहिक, उद्देश्यपूर्ण और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने तथा निर्णायक एक्शन लेने की आवश्यकता है।

एक्सीलेन्सी, भारत ने अबू धाबी में आयोजित डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन से बचने की आवश्यकता पर स्पष्टता से अपना पक्ष रखा था। हमारा विचार था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कोई भी कार्य अनुचित भेदभाव से युक्त नहीं हो और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर परोक्ष प्रतिबंध का माध्यम नहीं बने।

एक्सीलेन्सी, अपने सीमित संसाधनों और अपने विकास की आवश्यकताओं के बावजूद आज भारत पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास जैसी समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को हमने समय से पहले ही पूरा किया है। इसके अलावा, हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ग्लोबल बायो-फ्यूल अलायन्स, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल, सीडीआरआई, लघु द्वीपों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया है। हमारे इन प्रयासों को पूरे विश्व का समर्थन मिला है। हम 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। भारत जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है, फिर भी हम अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निष्ठा से पूरा कर रहे हैं। यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम व्यापार और सतत विकास में कोई विरोधाभास नहीं समझते हैं।

एक्सीलेन्सी, भारत एक विकासशील देश है। आज प्रशासनिक स्थिरता, नीतियों में स्पष्टता, रूल ऑफ लॉ, उच्च गुणवत्ता के मानव संसाधन की उपलब्धता तथा दूरदर्शितापूर्ण शासन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कोविड जैसी वैश्विक चुनौती के बाद भी हम विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हमारी मुद्रा की स्वीकार्यता पूरे विश्व में बढ़ रही है। हमारी कर प्रणाली में पारदर्शिता है।

एक्सीलेन्सी, संसदें सार्थक चर्चा और संवाद की केंद्र होती हैं और उनमें वैश्विक व्यापार सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आम सहमति बनाने की क्षमता होती है। इसलिए हमारी संसदें अपने देशों की संप्रभुता को बनाए रखते हुए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन को रोकने में सक्षम हैं । भारतीय संसद सदैव नियम-आधारित, भेदभाव रहित, मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी, न्यायसंगत और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की समर्थक रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं कि हम अन्य देशों की संसदों के साथ इस संबंध में सार्थक संवाद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

एक्सीलेन्सी, ब्रिक्स देश वैश्विक आर्थिक विकास के प्रमुख वाहक हैं। मुझे आशा है कि अंतर-संसदीय सहयोग और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ब्रिक्स संसदीय मंच वैश्विक बहुपक्षीय व्यापार को सुगम और सफल बनाने के अपने उद्देश्य में और अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। मैं अध्यक्ष पीठ को पुनः धन्यवाद देता हूं।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा अठारहवीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दिनांक 9 से 10 अगस्त 2024 तक प्राइड द्वारा आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान दिया गया भाषण

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा अठारहवीं लोक सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम 9 से 10 अगस्त 2024 तक आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा दिए गए उद्घाटन और समापन भाषणों का पाठ पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं:

स्वागत भाषण

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 9 अगस्त 2024 को संसद भवन परिसर में 18वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा आयोजित एक प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

माननीय सदस्यगण एवं साथियो,

लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आपकी 18वीं लोक सभा की दोनों सत्रों में सक्रिय भागीदारी रही। आपको सदन में लाखों मतदाताओं ने चुन कर भेजा है। जन-प्रतिनिधि कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बाद चुनकर आते

हैं। लोगों की अपने सांसदों से बड़ी आकांक्षाएं होती हैं। आप जनता से बड़े वायदे करते हैं, इसलिए आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े सदन में आप उनकी चिंताओं को, कठिनाइयों को, समस्याओं को सदन में प्रभावी रूप से रखें।

इसके लिए आपको सदन की कार्यवाही का गहन अध्ययन करना होगा। मैं यहां कुछ मुख्य कार्यवाहियों का उल्लेख करना चाहूंगा:

प्रश्न काल

सदन की कार्यवाही1100 बजे प्रश्न काल से शुरू होती है। प्रतिदिन 20 तारांकित प्रश्न और 230 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध होते हैं। प्रश्न काल में मेरा सुझाव है कि आप जिस विषय पर प्रश्न पूछते हैं, उसका गहन अध्ययन करें, उस पर रिसर्च करें और उसके बाद प्रश्न पूछें।

सरकार द्वारा प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं उसका आपको अध्ययन करना चाहिए– चाहे प्रश्न आपका हो या किसी अन्य माननीय सदस्य का। जितना आप प्रश्नों और उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे, उतना ही आपका अच्छा अभ्यास होगा और यह आपको इस साधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करेगा।

जब आप पूरक प्रश्न पूछें तो आपका प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिए और जो जवाब दिया जा चुका है, उससे अलग सवाल करें ताकि आपको उसका उचित जवाब मिल पाए। आप अपने प्रश्नों में अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं के विषय में स्पष्टता से प्रश्न करें और उसमें केन्द्र सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस संबंध में प्रश्न करें।

स्थगन प्रस्ताव

नियम 56 एवं 57 के अंतर्गत सदन में अति आवश्यक एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने का प्रावधान है। आप स्थगन प्रस्ताव की जब भी सूचना दें, आप संक्षिप्त रूप में उन कारणों का उल्लेख करें जिसके आधार पर आप यह स्थगन प्रस्ताव लाए हैं ताकि उन पर आसन द्वारा अपनी रुलिंग दी जा सके।

शून्य काल

प्रश्न काल के बाद सदन में शून्य काल लिया जाता है। शून्य काल में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की या अपने राज्य की समस्याओं को संक्षेप में सदन के सामने रखें और जो आपकी मांगें हैं, उसे स्पष्ट रूप में व्यक्त करें।

नियम 377

प्रतिदिन सदन में 30 माननीय सदस्यों को नियम 377 के अंतर्गत विषय उठाने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जो भी विषय उठाएं, उसे सदन के समक्ष सारगर्भित तरीके से रखें ताकि सरकार से इनका स्पष्ट जवाब मिले। नियम 377 के अंतर्गत जो भी विषय उठाए जाते हैं, सरकार द्वारा उनका जवाब दिया जाता है। इसलिए आप अपने विषयों की निगरानी रखें कि आपको सरकार का जवाब समय से मिल जाए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नियम 197 के अंतर्गत माननीय सदस्य किसी भी विषय पर संबंधित माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिसके बाद विषय पर संक्षिप्त चर्चा होती है।

आधे घंटे की चर्चा

नियम 55 के अंतर्गत यदि आप सरकार द्वारा दिए गए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आधे घंटे की चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। इसलिए आपको सरकार के उत्तरों का भी गहन अध्ययन करना चाहिए ताकि सदन के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

अल्पकालिक चर्चा

लोक सभा के प्रक्रिया नियमों में विभिन्न विषयों पर अल्पकालिक चर्चा का प्रावधान है। आप नियम 193 तथा अन्य संबंधित नियमों के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा का नोटिस दे सकते हैं।

विधेयकों पर चर्चा

सदन में आपको विधेयक पुर:स्थापित होने से लेकर पारित होने तक सारी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। नियम 72 के अंतर्गत विधेयक पेश होने पर आपत्ति का प्रावधान है। यदि किसी विधेयक के पेश होने पर आपत्ति करनी हो, तो आप आपत्ति के कारणों को स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप से सदन के समक्ष रखें ताकि उनका स्पष्ट जवाब आ सके।

जब आप विधेयक पर चर्चा में भाग ले रहे हों तो अपनी बात संक्षेप में कहें और आपका वक्तव्य विधेयक के प्रावधानों पर केंद्रित होना चाहिए।

विधेयक के प्रावधानों पर आप गहराई से रिसर्च करें और उसमें आप जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं उसे क्लॉज़ बाई क्लॉज़ सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आपने कोई संशोधन दिया है, तो उसे भी संक्षिप्त रूप से सभा के समक्ष प्रस्तुत करें।

आपकी क्षमता निर्माण के लिए लोक सभा सचिवालय ने कई सुविधाओं का प्रावधान किया है। संसद की एक समृद्ध लाइब्रेरी है जिसमें विभिन्न विषयों पर पुस्तकें, रिपोर्टें तथा अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं। पार्लियामेंट की एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जहां आपको सभी रिसर्च पेपर, पुरानी डिबेट्स, संसदीय समिति की रिपोर्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, आपको यदि किसी विशेष विषय पर शोध-सामग्री चाहिए, तो वह आपको ऑन-लाइन उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा संसदीय ग्रंथालय द्वारा आपके घर पर शोध सामग्री या पुस्तकें उसी दिन उपलब्ध कराई जाती हैं, जिस दिन आप उसके लिए अनुरोध करें।

अंत में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सदन में ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठें, यहां होने वाली डिबेट को सुनें और समझें। जितना अधिक आप सदन में समय देंगे उतनी ही जल्दी आप सदन की प्रक्रियाओं को समझेंगे और अपने मतदाताओं को एक उपयोगी परिणाम दे पाएंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं।

समापन भाषण

माननीय नव-निर्वाचित सदस्यगण एवं साथियो, इस प्रबोधन कार्यक्रम के समापन पर पुन: आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

दो दिन के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आपकी सक्रिय भागीदारी रही। एक कुशल संसद सदस्य कैसे बनें, संसद में आप अपने दायित्वों को किस प्रकार उत्कृष्ट तरीके से निभा सकते हैं, इस पर अनुभवी सदस्यों तथा संसद के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार आपसे साझा किए।

मुझे उम्मीद है कि इन दो दिनों के कार्यक्रम के बाद आपको भारतीय संसद की कार्यप्रणाली, विधि निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं, पद्धतियों और परिपाटियों की बेहतर समझ बनी होगी।

संसद सदस्य के रूप में आप स्थापित नियमों के तहत अपने निर्वाचकों की समस्या का समाधान कर पाएं, अपनी भूमिका को बेहतर और प्रभावी तरीके से निभा सकें, यही इस प्रबोधन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है।

अध्ययन और प्रशिक्षण एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको संसदीय प्रक्रियाओं की बेसिक जानकारी तो हुई है, लेकिन इसकी पूरी समझ आपको सदन में अधिक से अधिक समय बिताने से ही होगी।

सदन की जो नियम प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, सदन में जो महान परम्पराएं स्थापित की गई हैं, उनका उद्देश्य हमारे सदनों को सार्थक और परिणाममूलक चर्चा का केंद्र बनाना है।

सांसद के रूप में आपकी सफलता इसमें है कि आप अपने मतदाताओं के कल्याण के लिए सदन में अपनी बात रखें। आप अधिक से अधिक विषयों को सदन में उठा सकें, इसलिए अपनी बात संक्षिप्त रखें, टू दि प्वांइट बोलें।

जितना आप सदन की नियम प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, उतने ही प्रभावी रूप से आप सदन का उपयोग नागरिकों के कल्याण के लिए कर पाएंगे।

संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन हमारे कर्तव्यों एवं दायित्वों को कई गुना बढ़ा देता है। जनता आपको अपनी समस्याओं का समाधान करने वाले व्यक्ति के रूप में देखती है।

वहीं सुशासन कैसे चले, इस बारे में सरकार को सुझाव देने और अपने मौलिक विचार साझा करने का दायित्व भी आपका है। इसलिए आप अपनी सुविचारित राय सदन में रखिए।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी आत्मा भारतीय संसद में अंतर्निहित है। इस प्रकार संसद सदस्य के रूप में भारतीय संसद का अंग बनते ही हमारी जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक हो जाती हैं।

यहां आकर किए जाने वाले हमारे कार्यकलापों पर न सिर्फ भारत, बल्कि समूचे विश्व की दृष्टि रहती है। ऐसे में हमसे एक शालीन एवं अनुशासित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

एक स्वस्थ व सशक्त लोकतंत्र के विकास और निर्माण के लिए विवाद और प्रतिरोध के स्थान पर संवाद एवं सहयोग वाला परिवेश आवश्यक होता है।

पिछली लोक सभा में ऐसे सहयोगी परिवेश के कारण ही हमारी उत्पादकता अभूतपूर्व रही। आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है।

आप ऐसे समय में इस सदन में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब उनकी आकांक्षाएं आपसे कहीं अधिक हैं, आपके कामों की निगरानी भी ज्यादा है। इसलिए आपको जिम्मेदारी भी ज्यादा दिखानी होगी। आपको सदन के अंदर लोकतंत्र के उच्च मानदंड स्थापित करने होंगे।

यह समय विकास का है, विकसित भारत के संकल्प का है। हमारा प्रयास हो कि हम अपने सदनों के माध्यम से इस संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करें।

हमारा इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि देश में बड़े और व्यापक बदलाव तभी आए हैं जब हम एक निश्चित लक्ष्य के साथ संकल्पबद्ध और एकजुट होकर आगे बढ़े हैं।

आज ऐसे ही लक्ष्य और संकल्प का भाव आप सभी के भीतर भी अपेक्षित है। हम सब को इस भाव में जीना होगा और इस संकल्प के साथ जुड़ना होगा।

देश के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना हमें अपने मजबूत इरादों से करना है। लोकतांत्रिक विरासत को और मजबूत एवं समृद्ध बनाने की ज़िम्मेदारी हम सभी पर है और इस ज़िम्मेदारी का सम्यक निर्वहन हमारा ध्येय होना चाहिए।

इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य सांसदों के साथ-साथ अपना ज्ञान एवं अनुभव साझा करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों तथा आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पुन: शुभकामनाएं देता हूँ।

पुन: धन्यवाद।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा नई दिल्ली में भारत की संसद में 23 से 24 सितंबर 2024 तक आयोजित 10वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण

10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन 23 से 24 सितंबर तक नई दिल्ली में भारत की संसद में किया गया। इस सम्मेलन के दौरान लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सभा को संबोधित किया।

हम लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा दिए गए भाषण का पाठ पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा 23 सितंबर 2024 को '*सतत और समावेशी विकास की प्राप्ति में विधायी निकायों की भूमिका*' विषय पर आयोजित पूर्ण सत्र के दौरान दिया गया भाषण

नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में 23 सितंबर 2024 को आयोजित 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला।

गण्यमान्य सदस्यो,

आप सब का भारत की संसद में स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

देश के विधायी निकायों के प्रतिनिधि के रूप में आज हमारा लक्ष्य लोकतंत्र और विधायी संस्थाओं के सामने आ रही बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हुए उनके प्रभावी समाधान निकालना है और सही पहल करते हुए सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। आज इस विषय पर हम सभी यहाँ चर्चा करेंगे।

देश के अंदर क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर 'सतत एवं समावेशी विकास में विधायी संस्थाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम अपने-अपने सदनों में विचार करें, चिंतन करें। हम इस विषय पर भी विचार मंथन करें कि हम हमारी 7 दशकों की लोकतंत्र की यात्रा में इन विधायी संस्थाओं को जन अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप पूरा करने में कितनी सफलताएं प्राप्त कर पाए हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब तकनीक और संचार के साधन हमारे दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं, ऐसे संदर्भ में लोकतंत्र से लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को हम अपनी विधायी संस्थाओं से कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे।

पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में जी 20 देशों और आमंत्रित देशों की संसदों का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में *'एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसदें'* विषय पर हमने इन देशों की संसदों के अध्यक्षों के साथ व्यापक चर्चा की थी। यह विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस सम्मेलन में हम चर्चा करेंगे कि हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाएं किस तरीके से संविधान की भावना के अनुरूप हमारे संघीय ढांचे के अंदर अपनी-अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए समावेशी विकास के लिए काम कर सकती हैं।

हमारी संस्कृति *'सर्वे भवन्तु सुखिनः'* और *'वसुधैव कुटुंबकम'* की रही है। हमने सदैव सबके कल्याण की बात की है। हमारा मानना रहा है कि विकास सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका लाभ सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। हमारे संविधान की मूल भावना एक समतामूलक और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण की रही है। विकास के मार्ग पर हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ें, हमारा संविधान इस भाव का सबसे सशक्त उदाहरण है।

हमारी विधायी संस्थाओं का दायित्व है कि हम देश के जन-जन की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था के कार्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हमारी

संस्थाओं में जनता के प्रति जवाबदेही हो, उनके कार्यकरण में पारदर्शिता हो, तभी हम एक आदर्श लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत कर सकते हैं।

'सबका साथ सबका विकास' के लक्ष्य की प्राप्ति में विधायी संस्थाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। इसलिए हमें जन आकांक्षाओं की प्रत्यक्ष जानकारी होती है। हमें इन आकांक्षाओं को अपनी विधायी संस्थाओं में स्वर देना होगा। विधि निर्माण हो या नीति निर्माण, शासन व्यवस्था का सुचारु संचालन हो या वित्तीय नियंत्रण, विधायिका लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला के रूप में काम करती है। शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उसे जन केंद्रित बनाना हमारा दायित्व है। यह सब तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब जन प्रतिनिधियों द्वारा पंचायत से लेकर संसद तक हमारे सभी सदनों में इस पर व्यापक चर्चा की जाए, और सुशासन के माध्यम से इनका कार्यान्वयन हो।

मित्रो, हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाओं में सबके विकास की योजना बने, इसके लिए हमारी विधायिकाओं में नीतियों और कानूनों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपने सदनों में ऐसे विषयों पर चर्चा को प्रोत्साहित करें। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन से हमारी विधायी संस्थाओं को एक नई दृष्टि और दिशा मिलेगी और हम सब सामूहिक रूप से सतत विकास और समावेशी कल्याण के अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे।

इन दो दिनों में इस महत्वपूर्ण विषय पर जो विचार-विमर्श होगा, उससे हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए नई प्रेरणा मिलेगी, नया साहस और सामर्थ्य मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके सहयोग और आपकी सार्थक भागीदारी से यह सम्मेलन सफल हो, मेरी शुभकामना है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा 24 सितंबर 2024 को 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान दिया गया भाषण

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 24 सितंबर 2024 को संसद परिसर, नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए।

सीपीए, भारत क्षेत्र का 10वां सम्मेलन आज समाप्त हो रहा है। पिछले दो दिनों के दौरान हुई चर्चाओं में सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों की सक्रिय और सार्थक भागीदारी के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ।

विगत दो दिनों में हमने *'सतत और समावेशी विकास में विधायिकाओं की भूमिका'* विषय पर गहन चर्चा की और उसमें संविधान की भावना के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ को पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।

इन सत्रों के दौरान अपनी विधायी संस्थाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए, इनमें जनभागीदारी बढ़ाने के लिए हमने सामूहिक रूप से सार्थक संवाद किया। साथ ही अपनी लोकतान्त्रिक संस्थाओं को नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तनकारी और परिणाममूलक बनाने पर अपने विचार व्यक्त किए।

मुझे प्रसन्नता है कि इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके राज्य अपनी विधायिकाओं को भी डिजिटल बना रहे हैं। साथ ही, वे इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने जन प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। हम भविष्य में अपने इन दायित्वों को और सक्रियता के साथ पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

किसी भी राज्य और देश के विकास में विधायिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश की सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी, सहभागिता सुनिश्चित करें और जनता के साथ संपर्क बढ़ाएं। इस दिशा में क्या प्रयास किए जाने चाहिए, किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की है।

माननीय पीठासीन अधिकारियों ने कुछ विषय उठाए हैं जैसे वित्तीय स्वायत्तता, सदनों के सत्र में दिनों की घटती संख्या, ई-विधान, इत्यादि। हम पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन तथा अन्य उपयुक्त मंचों पर निश्चित रुप से इस विषय पर चर्चा करेंगे और इसका एक सर्वमान्य समाधान निकालेंगे।

माननीय सदस्यगण, लोकतान्त्रिक संस्थाओं के पीठासीन अधिकारी होने के नाते इन लोकतान्त्रिक संस्थाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाममूलक बनाने की जिम्मेदारी हमारी है।

हमें आने वाले समय में देश को नई ऊंचाईयों पर लेकर जाना है, असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करनी हैं। एक नए विज़न के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियाँ भी बनानी हैं।

हमारी संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं में भारत की भावना प्रतिबिंबित होनी चाहिए। हमारी नीतियों और कानूनों में *'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'* के हमारे संकल्प और भारतीयता की हमारी सहज भावना को मजबूती मिलनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन में हमारा अपना आचरण और व्यवहार भारतीय मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें और सदन को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर सार्थक और रचनात्मक संवाद और चर्चा का मंच बनाएं।

जब भी देश की संसद या कोई विधान सभा अपना नया कार्यकाल शुरू करती है, तो उसमें बड़ी संख्या में पहली बार चुने गए सदस्य होते हैं। लोक सभा में इस बार 280 सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। इसका अर्थ है कि जनता लगातार नए लोगों को, नई ऊर्जा को मौका देती है। हमें इस ऊर्जा को एक नई कार्यप्रणाली में ढालने की जरूरत है। ये जरूरी है कि नए सदस्यों को सदन कि प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए, सदन की गरिमा और मर्यादा के

बारे में उन्हें बताया जाए। हमें दलों के मध्य सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा, राजनीति के नए मापदंड भी बनाने होंगे।

मुझे विश्वास है कि हम सामूहिक प्रयासों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।

मुझे विश्वास है कि इन सत्रों में हुए संवादों और चर्चाओं से प्राप्त निष्कर्ष अत्यंत उपयोगी होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी विधायिकाएँ देश के ऐसे भविष्य के निर्माण में योगदान देंगी जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होगा बल्कि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ भी होगा।

मैं पुनः दो दिनों तक सीपीए के भारत क्षेत्र की बैठक में शामिल होने और अपने लोकतंत्र को सशक्त बनाने में, मजबूत बनाने में *'सतत और समावेशी विकास में विधायिकाओं की भूमिका'* विषय पर सार्थक चर्चा करने लिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा 27 से 28 सितंबर 2024 तक मिजोरम विधान सभा, आइजोल में आयोजित सीपीए भारत क्षेत्र, जोन III के 21वें सम्मेलन के दौरान दिया गया भाषण

21वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन 27 से 28 सितंबर 2024 तक मिजोरम विधान सभा में आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया।

हम लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा दिए गए भाषण का पाठ नीचे पुनः प्रस्तुत कर रहे हैः

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 27 सितंबर 2024 को मिजोरम विधान सभा, आइजोल में सीपीए भारत क्षेत्र, जोन III के 21वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान उद्घाटन भाषण देते हुए।

राज्य सभा के माननीय उपसभापति, श्री हरिवंश जी;

मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री, श्री लाल दुहोमा जी;

नागालैंड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष और सीपीए,

भारत क्षेत्र जोन III के चेयरमैन, श्री शरीनगैन लोंगकुमेर जी;

मिजोरम विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री लाल बियाक जामा जी;

माननीय पीठासीन अधिकारीगण;

विशिष्ट प्रतिनिधिगण; और

देवियो और सज्जनो:

सीपीए भारत क्षेत्र जोन-III के 21वें सम्मेलन में आपके साथ सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । मुझे खुशी है कि सीपीए भारत क्षेत्र ज़ोन-III नियमित रूप से सम्मेलनों का आयोजन करता रहा है।

बदलते परिप्रेक्ष्य में, 'लोकतान्त्रिक शुचिता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र से परिणाम' – विषय को लेकर सीपीए भारत क्षेत्र के ज़ोन-III की सभी विधान सभाएं इस उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन कर रही हैं ताकि वे अपनी-अपनी विधायिकाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ-साथ और अपनी-अपनी विधान सभाओं के बेस्ट प्रैक्टिसेज और अच्छे अनुभवों को आपस में साझा कर सकें।

साथियो, पूर्वोत्तर भारत की प्राकृतिक सुंदरता, अद्भुत पर्यावरण, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ, यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं, नदियां, झील, निर्मल झरने और ऊंचे पर्वतों में अलौकिक सुंदरता है, जिसे देखने भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और कला अत्यंत समृद्ध है।

मिजोरम में न केवल प्राकृतिक खूबसूरती है, बल्कि यहाँ की लोकतान्त्रिक परंपरा भी उतनी ही मजबूत है। यहाँ के लोगों ने अपने शांतिप्रिय स्वभाव, आतिथ्य भाव और अपनी खुशी के कारण पिछले 52 वर्षों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह है "विधायी शुचिता कायम रखना"। मेरा मानना है कि विधायी शुचिता और पारदर्शिता से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह लोकतंत्र में जनता की आशाओं, अपेक्षाओं, उनके विश्वास और भरोसे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विधायिका का मुख्य कार्य विधि और नीति का निर्माण करना, शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाना तथा जनता की भावनाओं, उनकी अपेक्षाओं को केंद्र में रखकर सार्थक चर्चा और संवाद के माध्यम से लोक कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करना है ताकि हम अपने नागरिकों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ला सकें । इसके लिए हम समय-समय पर विधायी संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं।

विधायिका के पीठासीन अधिकारी होने के नाते विधायिका की शुचिता बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरा मानना है कि विधायिका के सदस्यों के आचरण और व्यवहार की शुद्धता से सदनों में शुचिता और पारदर्शिता आती है।

इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सदन के अंदर मर्यादा, शालीनता और गरिमा को मजबूत करते हुए लोकतंत्र को और सशक्त करें, इन सदनों के अंदर जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप चर्चा संवाद हो, विचार मंथन हो, हमारे सदनों में जनता की भावनाएं व्यक्त हों।

लोकतंत्र तभी सशक्त होता है, जब हमारे सदन सहमति-असहमति के बावजूद सामूहिक रूप से गरिमा और शालीनता से लोकहित के विषयों पर चर्चा और संवाद करते हैं तथा लोगों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए निर्णय लेते हैं। इससे हम हमारे सदनों को परिणाम-मूलक और उपयोगी बना सकते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की विधान सभाओं ने स्थानीय विषयों पर आपस में सार्थक चर्चा की है, विधायिकाओं के काम-काज में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने सदनों को जन उन्मुखी बनाया है। इस क्षेत्र के विधानमंडलों द्वारा अनेक परिवर्तनकारी कानून पास किए गए हैं तथा परिणाम-मूलक निर्णय लिए गए हैं।

इससे नागरिकों का विधायी संस्थाओं पर विश्वास और भरोसा बढ़ा है, विधि निर्माण की गुणवत्ता बढ़ी है और विधायी संस्थाओं की गरिमा भी बढ़ी है। लेकिन अभी हमें अपनी विधायी संस्थाओं को और अधिक भविष्य उन्मुखी और परिणाम-मूलक बनाना है।

हमें अपने कार्यकरण में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, विधायी प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाना है, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाना है, संसदीय समिति प्रणाली को और मजबूत करना है ताकि हमारी विधायिका जन कल्याण का सर्वोत्तम माध्यम बन सके।

हम अपने सदनों में जनता की याचिकाओं को सुने, उनके सुझावों को प्राप्त करने का एक मेकेनिज्म बनाएं, अपने विधायकों को प्रशिक्षित करें, सदन के अंदर चर्चा में जनप्रतिनिधियों की अधिक से अधिक भागीदारी हो ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

आज नॉर्थ-ईस्ट में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुले हैं। इस क्षेत्र में भौतिक कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में आज हमारी सोच बदल गई है। अब यह सीमांत क्षेत्र नहीं है बल्कि आज हमारा पहला क्षेत्र है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के *'विकसित भारत'* के संकल्प को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब विकास के मापदंडों पर हम पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत के बराबर ला पाएंगे।

इस लक्ष्य की प्राप्ति में यहाँ की विधायिकाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह विकास सतत भी होना चाहिए और समावेशी भी होना चाहिए, जिसकी चर्चा हमने सीपीए भारत रीजन के सम्मेलन में दिल्ली में की थी।

मैं इस सम्मेलन के आयोजन और इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लगातार बढ़ावा देने के लिए सीपीए भारत क्षेत्र जोन-III की सराहना करता हूं।

धन्यवाद।

जय हिन्द।

संसदीय घटनाक्रम और कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां

महिला सांसदों की पहली पी20 बैठक: वर्ष 2024 के लिये जी20 की ब्राज़ीलियाई अध्यक्षता के अंतर्गत, महिला सांसदों की पहली पी20 बैठक 1 से 2 जुलाई 2024 तक मैसियो, ब्राज़ील में सम्पन्न हुई। बैठक का आयोजन "एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण" संबंधी व्यापक विषय के अंतर्गत किया गया था। भारत के संसदीय शिष्टमंडल में राज्य सभा सदस्य, डॉ. कल्पना सैनी और श्रीमती संगीता यादव ने उपर्युक्त बैठक में भाग लिया।

10वां ब्रिक्स संसदीय मंच: वर्ष 2024 के लिए ब्रिक्स की रूसी अध्यक्षता के अंतर्गत, 11 से 12 जुलाई 2024 तक रूसी संघ के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन हुआ। मंच का समग्र विषय *"समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने में संसदों की भूमिका"* था।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के नेतृत्व में भारत के एक संसदीय शिष्टमंडल, जिसमें राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; राज्य सभा के सदस्य, श्री शंभू शरण पटेल; लोक सभा के महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह और राज्य सभा के महासचिव, श्री पी.सी. मोदी शामिल थे, ने इस मंच में भाग लिया। लोक सभा सचिवालय के संयुक्त सचिव श्री अंजनी कुमार शिष्टमंडल के सचिव थे। सम्मेलन के दौरान, निम्नलिखित पूर्ण सत्र आयोजित किए गये:

एक. मुख्य पूर्ण सत्र: वैश्विक संबंधों का विस्तार और लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित करने में संसदों की भूमिका।

दो. विस्तारित पूर्ण सत्र-I: ब्रिक्स संसदीय आयाम: अंतर-संसदीय संवाद को सुदृढ़ करने की संभावनाएं।

तीन. विस्तारित पूर्ण सत्र-II: बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विखंडन को रोकने और वैश्विक संकटों के परिणामों से संबंधित चुनौतियों से निपटने में संसदों की भूमिका।

चार. विस्तारित पूर्ण सत्र-III: मानवीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर-संसदीय सहयोग।

लोक सभा अध्यक्ष ने मुख्य पूर्ण सत्र और विस्तारित पूर्ण सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित किया। राज्य सभा के उप-सभापति ने विस्तारित पूर्ण सत्र-I और III के दौरान वक्तव्य

दिए। मुख्य पूर्ण सत्र के बाद, ब्रिक्स संसदीय मंच के नेताओं ने ब्रिक्स संसदीय मंच पर समझौता ज्ञापन के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। प्रतिभागियों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा नामक एक संयुक्त घोषणा को भी सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया।

मंच के सत्रों में भाग लेने के अतिरिक्त लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने निम्नलिखित पीठासीन अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं: I महामहिम श्री व्याचेस्लाव वोलोडिन, रूसी संघ के राज्य ड्यूमा के अध्यक्ष; II. महामहिम सुश्री वेलेंटीना मतवियेंको, रूसी संघ के फेडरेशन काउंसिल की अध्यक्ष; III. महामहिम श्री अशिम्बायेव एमएस, कजाकिस्तान की संसद के सीनेट के अध्यक्ष; IV. महामहिम श्री इगोर सेगेयेंको, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, बेलारूस गणराज्य की नेशनल असेंबली; V. महामहिम हनफी एल गेबली, मिस्र के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष; VI. महामहिम सुश्री तंजिला कमालोवना नरबायेवा, उज्बेकिस्तान के ओली मजिलिस की सीनेट की अध्यक्ष; और VII. महामहिम श्री महमदतोइर जोइर जोकिरजोदा, ताजिकिस्तान की संसद के निचले सदन के अध्यक्ष।

10वें ब्रिक्स संसदीय मंच के समापन के बाद, भारतीय संसदीय शिष्टमंडल (आईपीडी) ने रूस में भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ एक चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया, जिसे मास्को में भारत के दूतावास द्वारा आयोजित किया गया।

युवा सांसदों का 10वां आईपीयू वैश्विक सम्मेलन: युवा सांसदों का 10वां आईपीयू वैश्विक सम्मेलन 12 से 14 सितंबर 2024 तक येरेवन, आर्मेनिया में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का आयोजन आईपीयू और आर्मेनिया की नेशनल असेंबली द्वारा किया गया था। भारत से गये संसदीय शिष्टमंडल में लोक सभा के सदस्य श्री सौमित्र खान और राज्य सभा के सदस्य श्री अमरपाल मौर्य शामिल थे।

सम्मेलन का मुख्य विषय *"पीढ़ियों को सुरक्षित करना: किसी भी परिस्थिति में शिक्षा और रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना"* था। उपर्युक्त समग्र विषय के अंतर्गत, सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित सत्र संपन्न हुए:

(एक) 2030 तक गिनती: युवाओं के लिये शिक्षा और रोजगार के संबंध में हमारी स्थिति क्या है; (दो) युवाओं के जीवन में बाधाएं: युवाओं के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों और सशक्तिकरण पर संकट का प्रभाव; (तीन) सभी को साथ लेकर चलना: बेहद कमजोर और वंचित लोगों को शिक्षा और रोजगार प्रदान करना; (चार) संकट के समय युवा सशक्तिकरण का संरक्षण: युवा सांसद क्या कर सकते हैं; और (पांच) सम्मेलन: चर्चाओं पर रिपोर्टिंग।

सम्मेलन के समापन पर एक परिणामी दस्तावेज भी अंगीकृत किया गया।

10वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन: 10वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन भारत संघ क्षेत्र द्वारा 23 और 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें 44 पीठासीन अधिकारियों (4 सभापति, 25 अध्यक्ष, 2 उपसभापति और 13 उपाध्यक्ष) और 31 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सीपीए शाखाओं (जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित सचिवों द्वारा किया गया) और भारत संघ शाखा (भारत की संसद) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश ने सभा में भाग लिया और गण्यमान्य सदस्यों को संबोधित किया। सम्मेलन में 23 और 24 सितंबर 2024 को निम्नलिखित एजेंडा विषय *"सतत और समावेशी विकास की प्राप्ति में विधायी निकायों की भूमिका",* पर विचार-विमर्श किया गया।

तीस प्रतिनिधियों ने पूर्ण सत्र के उपरोक्त एजेंडा विषय पर अपनी राय रखी।

सीपीए भारत क्षेत्र का 21वां वार्षिक क्षेत्र-III सम्मेलन: राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र का 21वां वार्षिक क्षेत्र-III सम्मेलन 27 से 28 सितंबर 2024 को आइजोल, मिजोरम में *"विधायी गरिमा को बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना"* विषय के साथ सम्पन्न हुआ।

लोक सभा अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र के सभापति, श्री ओम बिरला ने 27 सितंबर 2024 को सम्मेलन का उद्घाटन किया और कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट सभा को संबोधित किया। श्री हरिवंश, उपसभापति, राज्य सभा; श्री लालदुहोमा, मुख्यमंत्री, मिजोरम; मिजोरम विधान सभा के अध्यक्ष श्री लालबियाकजामा और नागालैंड विधान सभा के अध्यक्ष और जोन-3 के अध्यक्ष श्री शरीनगैन लोंगकुमेर ने भी सभा को संबोधित किया। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान, निम्नलिखित एजेंडा विषयों पर चर्चा की गई: (एक) व्यापार और सहयोग के लिए भारत-आसियान दृष्टिकोण में पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करना; और (दो) क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की बेहतर रणनीतिक योजना और समन्वय के लिए एनईसी के साथ डीओएनईआर मंत्रालय का विलय करना।

इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पीठासीन अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती

संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जिन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र सुशोभित हैं उनकी जयंती के अवसर पर और लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों की जयंती के अवसर पर भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) के तत्वावधान में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर लोक सभा सचिवालय के ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना

सेवा (लार्डिस) द्वारा इन नेताओं के जीवन-वृत्त पर तैयार की गई पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं।

1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित नेताओं की जयंती मनाई गई:

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर 6 जुलाई 2024 को *संविधान सदन* के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री; श्री हरिवंश, उप-सभापति, राज्य सभा; श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर 23 जुलाई 2024 को *संविधान सदन* के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। श्री ओम बिरला, लोक सभा अध्यक्ष; श्री हरिवंश, उप-सभापति, राज्य सभा; संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री सोमनाथ चटर्जी: श्री सोमनाथ चटर्जी की जयंती के अवसर पर 25 जुलाई 2024 को *संविधान सदन* के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। श्री ओम बिरला, लोक सभा अध्यक्ष; श्री हरिवंश, उप-सभापति, राज्य सभा; संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. जी.एस. ढिल्लो: डॉ. जी एस ढिल्लो की जयंती के अवसर पर 6 अगस्त 2024 को *संविधान सदन* के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। श्री ओम बिरला, लोक सभा अध्यक्ष; श्री हरिवंश, उप-सभापति, राज्य सभा; संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. जी.एस. ढिल्लो के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री राजीव गांधी: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2024 को *संविधान सदन* के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्य सभा में विपक्ष के नेता; संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने श्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

सरदार हुकम सिंह: सरदार हुकम सिंह की जयंती के अवसर पर 30 अगस्त, 2024 को *संविधान सदन* के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। श्री ओम बिरला, लोक सभा अध्यक्ष; संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री पी.ए. संगमा: श्री पी.ए. संगमा की जयंती के अवसर पर 1 सितंबर 2024 को *संविधान सदन* के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया । श्री ओम बिरला, लोक सभा अध्यक्ष; श्री हरिवंश, उप-सभापति, राज्य सभा; संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

दादाभाई नौरोजी: दादाभाई नौरोजी की जयंती के अवसर पर 4 सितंबर 2024 को *संविधान सदन* के केन्द्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया । श्री ओम बिरला, लोक सभा अध्यक्ष; श्री हरिवंश, उप-सभापति, राज्य सभा; संसद सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने दादाभाई नौरोजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

संसदीय शिष्टमंडलों के दौरे

विदेशी संसदीय शिष्टमंडल का भारत दौरा

तंज़ानिया: संयुक्त गणराज्य तंजानिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष और अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) की अध्यक्ष डॉ. तुलिया एक्सन के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 19 से 25 जुलाई 2024 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल 19 जुलाई 2024 को दिल्ली पहुंचा। 23 जुलाई 2024 को, श्री ओम बिरला, अध्यक्ष, लोक सभा और अतिथि अध्यक्ष ने द्विपक्षीय संसदीय वार्ता की, जिसके बाद भोज का आयोजन किया गया। शिष्टमंडल ने 'विशिष्ट दीर्घा कक्ष' से लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही भी देखी और दौरे पर आए शिष्टमंडल के लिए संसद भवन परिसर का एक शो राउंड आयोजित किया गया। उसी दिन शिष्टमंडल ने विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर के साथ बैठक की। 24 जुलाई 2024 को शिष्टमंडल ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भारत के उप-राष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने दिल्ली के अलावा आगरा का भी दौरा किया।

जापान: जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के अध्यक्ष श्री नुकागा फुकुशिरो के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने 31 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल 31 जुलाई 2024 को दिल्ली पहुंचा । 1 अगस्त 2024 को, लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और अतिथि अध्यक्ष ने द्विपक्षीय संसदीय वार्ता आयोजित की, जिसके बाद भोज का आयोजन किया गया। शिष्टमंडल ने 'विशिष्ट दीर्घा कक्ष' से लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही भी देखी और दौरे पर आए शिष्टमंडल के लिए संसद भवन परिसर का एक शो राउंड आयोजित किया गया। उसी दिन शिष्टमंडल ने भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के

सभापति श्री जगदीप धनखड़ और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर के साथ भी बैठक की।

मॉरिशस: मॉरीशस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष श्री डुवल एड्रियन चार्ल्स के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने 16 से 18 अगस्त 2024 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल 16 अगस्त 2024 को दिल्ली पहुंचा। 16 अगस्त 2024 को, लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और अतिथि अध्यक्ष ने द्विपक्षीय संसदीय वार्ता की, जिसके बाद भोज का आयोजन किया गया। दौरे पर आए शिष्टमंडल के लिए संसद भवन परिसर का एक शो राउंड भी आयोजित किया गया था। उसी दिन शिष्टमंडल ने विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के महानिदेशक के साथ बैठक की। 17 अगस्त 2024 को शिष्टमंडल ने भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई): संयुक्त अरब अमीरात की फेडरल नेशनल काउन्सिल की रक्षा, आंतरिक और विदेशी मामलों की समिति के प्रमुख डॉ. अली राशिद अल नूमी के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय आदान-प्रदान के अंतर्गत 4 से 8 सितंबर 2024 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल 4 सितंबर 2024 को दिल्ली पहुंचा। 5 सितंबर 2024 को शिष्टमंडल ने लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से मुलाकात की। लोक सभा अध्यक्ष ने दौरे पर आए शिष्टमंडल के सम्मान में भोज का आयोजन किया। दौरे पर आए शिष्टमंडल के लिए संसद भवन परिसर का एक शो राउंड भी आयोजित किया गया।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष से भेंट

टोगो: मंत्रियों, संसद सदस्यों, संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों और सलाहकारों के एक टोगोली शिष्टमंडल ने 2 अगस्त 2024 को संसद भवन में लोक सभा अध्यक्ष से मुलाकात की।

न्यू मैक्सिको, यूएसए: यूएसए के न्यू मैक्सिको राज्य की गवर्नर सुश्री मिशेल लुजान ग्रिशम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 9 अगस्त 2024 को संसद भवन में लोक सभा अध्यक्ष से मुलाकात की।

संसद का शो राउंड

(एक) 13 अगस्त 2024 को बेलीज की महालेखापरीक्षक श्रीमती डोरोथी ब्रैडली के नेतृत्व में दौरे पर आए सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन (एसएआई) बेलीज के अधिकारियों;

(दो) 21 अगस्त 2024 को कर्नाटक सरकार के 5वें राज्य वित्त आयोग के सभापति और सदस्यों; (तीन) 10 सितंबर 2024 को दौरे पर आई नॉर्वे की संसद की विदेश मामलों और रक्षा संबंधी स्थायी समिति; (चार) 10 सितंबर 2024 को दौरे पर आई असम विधान सभा की महिला और बच्चों के कल्याण संबंधी समिति; और (पांच) 11 सितंबर 2024 को दौरे पर आई फिनलैंड की संसद की वाणिज्य समिति के लिए संसद के शो राउंड का आयोजन किया गया।

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)

1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान, संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) ने सदस्यों/शिष्टमंडलों/परिवीक्षार्थियों/गण्यमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/समारोह आयोजित किए:

एक. 18वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम: 18वीं लोक सभा के एक सौ सत्रह नवनिर्वाचित सदस्यों ने 9 से 10 अगस्त 2024 तक आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लिया।

दो. विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम: ओडिशा विधान सभा के पचहत्तर नवनिर्वाचित सदस्यों ने 17 से 18 अगस्त 2024 तक भुवनेश्वर में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लिया।

तीन. परिबोधन पाठ्यक्रम: संसदीय प्रक्रिया और पद्धति विषय पर दो परिबोधन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए**:** (एक) 12 से 14 अगस्त 2024 तक भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) और भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) समूह 'ख' के कनिष्ठ ग्रेड के बत्तीस परिवीक्षार्थियों के लिए; और (दो) 16 से 19 जुलाई 2024 तक भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय सूचना सेवा और रेलवे सुरक्षा बल के इकतालीस अधिकारियों/परिवीक्षार्थियों के लिए।

चार. लोक सभा/राज्य सभा और राज्य विधान मंडल सचिवालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम: (एक) 25 से 27 सितंबर 2024 तक आयोजित ग्रंथालय प्रबंधन संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम में संसदीय ग्रंथालय और राज्य विधान मंडल के ग्रंथालयों में सेवारत सैंतीस अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया; (दो) 11 जुलाई 2024 को आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र/कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के वेतन और लेखा

कार्यालय के अड़तीस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया; और (तीन) 9 से 10 जुलाई 2024 तक सुरक्षा सेवाओं के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में संसद सुरक्षा सेवा के एक सौ पांच अधिकारियों ने भाग लिया।

पांच. मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम: निम्नलिखित अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया और पद्धति संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए: (एक) 12 जुलाई 2024 को दिल्ली न्यायिक सेवा के अड़सठ नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों के लिए; और (दो) भारत सरकार की केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के 11 जुलाई 2024 को आईएसटीएम, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 158 सहायक अनुभाग अधिकारियों (एएसओ) के लिए।

छह. अध्ययन दौरे/प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय): (एक) 29 अगस्त 2024 को वैश्विक हिंदी परिवार न्यास, ब्रिटेन के सत्रह विदेशी छात्रों/शिक्षकों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; (दो) 14 अगस्त 2024 को ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उनतालीस सदस्यीय शिष्टमंडल/प्रतिभागियों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; (तीन) 14 अगस्त 2024 को नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी), मसूरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फोरम फॉर इंडिया—पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (एफआईपीआईसी)/आईओआरए सदस्य देशों के तैंतालीस सदस्यीय शिष्टमंडल ने अध्ययन दौरा किया; (चार) 29 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक टोगोली के पंद्रह सदस्यीय शिष्टमंडल ने संसदीय संरचना और प्रक्रिया संबंधी कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भारत की संसद का अध्ययन दौरा किया; (पांच) 23 जुलाई 2024 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के 75वें 'भारत को जानें' कार्यक्रम (केआईपी) के अन्तर्गत विभिन्न देशों से तैंतालीस भारतीय प्रवासी युवाओं ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; और (छह) 5 जुलाई 2024 को नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी), मसूरी, उत्तराखंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले कंबोडिया के चालीस सिविल सेवकों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया।

सात. अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय): इस अवधि के दौरान 67 अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) आयोजित किए गए।

सदस्य संदर्भ सेवा

सदस्य संदर्भ सेवा विशेष रूप से संसद सदस्यों के दैनिक संसदीय कार्य से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यह सेवा सभा के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण मुद्दों विधेयकों/अध्यादेशों पर संदर्भ टिप्पण और विधायी टिप्पण प्रकाशित करती है।

1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान, माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त कुल 224 संदर्भों का निपटान किया गया। इनमें से 487 संदर्भ ऑफ़लाइन और 169 संदर्भ ऑनलाइन प्राप्त हुए। 08 विधायी टिप्पण और 11 संदर्भ टिप्पण तैयार किए गए जिन्हें लोक सभा की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ ही सदस्य पोर्टल के माध्यम से संसद सदस्यों के साथ साझा किया गया।

इसके अतिरिक्त, संसदीय सौध के मुख्य समिति कक्ष के बाहर 10वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन के दौरान एक संदर्भ एवं शोध डेस्क स्थापित किया गया। प्रतिनिधियों को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। प्रतिनिधियों को सेवा संबंधी सूचना पुस्तिका भी प्रदान की गई।

प्रक्रिया संबंधी मामले

लोक सभा

अध्यक्षपीठ द्वारा सदस्यों को अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति देने के दृष्टांत*:* 30 जुलाई 2024 को बजट (सामान्य) 2024-25 के संबंध में, संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के बजट 2024-25 के संबंध में और वर्ष 2024-25 के लिए संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अध्यक्षपीठ ने सदस्यों को अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की । तदनुसार, 56 सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे।

31 जुलाई 2024 को रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2024-25) पर चर्चा के दौरान अध्यक्षपीठ ने सदस्यों को अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, 36 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे।

1 अगस्त 2024 को रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2024-25) पर चर्चा के दौरान अध्यक्षपीठ ने सदस्यों को अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी। तदनुसार, 18 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे।

उसी दिन, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2024-25) पर चर्चा के दौरान अध्यक्षपीठ ने सदस्यों को अपने लिखित भाषणों को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी। तदनुसार, 41 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे।

2 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2024-25) पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ ने सदस्यों को अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी। तदनुसार, 37 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे।

5 अगस्त 2024 को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2024-25) पर चर्चा के दौरान अध्यक्षपीठ ने सदस्यों को अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी। तदनुसार, 9 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे।

उसी दिन, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2024-25) पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ ने सदस्यों को अपने लिखित भाषण सदन के पटल पर रखने की अनुमति दी। तदनुसार, 52 सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे।

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम

(1 जुलाई से 30 सितंबर 2024)

इस स्तंभ में शामिल घटनाक्रम मुख्य रूप से संघ और राज्य विधान मंडलों, भारत के निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइटों और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों सहित सार्वजनिक रूप से (पब्लिक डोमेन) उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। इनके सटीक, प्रामाणिक या सत्य होने या न होने के लिए लोक सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं है।

भारत

संघ का घटनाक्रम

संसद सत्र: अठारहवीं लोक सभा का दूसरा सत्र और राज्य सभा का दो सौ पैंसठवां सत्र 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। दोनों सदनों को 9 अगस्त 2024 को *अनिश्चितकाल के लिए* स्थगित कर दिया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त 2024 को लोक सभा और राज्य सभा दोनों का सत्रावसान किया।

राज्य सभा के चुनाव: 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित सदस्य राज्य सभा के लिए चुने गए हैं:—

क्र.सं.	नाम और दल संबद्धता और राज्य	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण की तिथि
1.	श्री मिशन रंजन दास (भारतीय जनता पार्टी) असम	26.08.2024	28.08.2024	10.09.2024
2.	श्री रामेश्वर तेली (भारतीय जनता पार्टी) असम	26.08.2024	28.08.2024	04.09.2024
3.	श्री मनन कुमार मिश्र (भारतीय जनता पार्टी) बिहार	27.08.2024	28.08.2024	05.09.2024

क्र.सं.	नाम और दल संबद्धता और राज्य	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण की तिथि
4.	श्री उपेंद्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) बिहार	27.08.2024	28.08.2024	05.09.2024
5.	श्रीमती किरण चौधरी (भारतीय जनता पार्टी) हरियाणा	27.08.2024	28.08.2024	04.09.2024
6.	श्री हारिस बीरान (इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग) केरल	18.06.2024	02.07.2024	02.07.2024
7.	श्री जोस के. मणि [केरल कांग्रेस (एम)] केरल	18.06.2024	02.07.2024	02.07.2024
8.	श्री पी. पी. सुनीर (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) केरल	18.06.2024	02.07.2024	02.07.2024
9.	श्री जॉर्ज कुरियन (भारतीय जनता पार्टी) मध्य प्रदेश	27.08.2024	28.08.2024	04.09.2024
10.	श्री धैर्यशील मोहन पाटिल (भारतीय जनता पार्टी) महाराष्ट्र	26.08.2024	28.08.2024	04.09.2024
11.	श्री नितिन लक्षमणराव जाधव पाटिल (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) महाराष्ट्र	26.08.2024	28.08.2024	05.09.2024
12.	श्रीमती ममता मोहंता (भारतीय जनता पार्टी) ओडिशा	27.08.2024	28.08.2024	05.09.2024

क्र.सं.	नाम और दल संबद्धता और राज्य	चुनाव की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण की तिथि
13.	श्री रवनीत सिंह (भारतीय जनता पार्टी) राजस्थान	27.08.2024	28.08.2024	05.09.2024
14.	डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) तेलंगाना	27.08.2024	28.08.2024	04.09.2024
15.	श्री राजीब भट्टाचार्जी (भारतीय जनता पार्टी) त्रिपुरा	03.09.2024	04.09.2024	10.09.2024
16.	श्रीमती जया अमिताभ बच्चन (समाजवादी पार्टी) उत्तर प्रदेश	27.02.2024	03.04.2024	01.07.2024

राज्य सभा से त्यागपत्र: 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित सदस्यों ने राज्य सभा से त्यागपत्र दे दिया:

क्र.सं.	नाम	पार्टी संबद्धता	राज्य	तिथि
1.	श्री मस्तान राव यादव बीडा	युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी	आंध्र प्रदेश	29.08.2024
2.	श्री वेंकटरमण राव मोपीदेवी	युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी	आंध्र प्रदेश	29.08.2024
3.	श्री रयागा कृष्णैया	युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी	आंध्र प्रदेश	23.09.2024
4.	श्रीमती ममता मोहंता	बीजू जनता दल	ओडिशा	31.07.2024
5.	श्री सुजीत कुमार	बीजू जनता दल	ओडिशा	06.09.2024

क्र.सं.	नाम	पार्टी संबद्धता	राज्य	तिथि
6.	डॉ. के. केशव राव	भारत राष्ट्र समिति	तेलंगाना	05.07.2024
7.	श्री जवाहर सरकार	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस	पश्चिम बंगाल	19.09.2024

लोक सभा सदस्य का निधन: 26 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के नांदेड़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाण का निधन हो गया।

राज्यों के घटनाक्रम

असम

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 30 जुलाई 2024 को श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की।

बिहार

विधान सभा उपचुनाव का परिणाम: 10 जुलाई 2024 को हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी श्री शंकर सिंह को 13 जुलाई 2024 को रूपौली विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

छत्तीसगढ़

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 31 जुलाई 2024 को श्री रमन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की।

दिल्ली

मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र: 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने त्यागपत्र दे दिया।

मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 21 सितंबर 2024 को सुश्री आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

हिमाचल प्रदेश

विधान सभा उपचुनाव के परिणाम: राज्य विधान सभा की तीन सीटों के लिए उपचुनाव 10 जुलाई 2024 को सम्पन्न हुए। परिणाम 13 जुलाई 2024 को घोषित किए गए। निर्वाचित सदस्यों और उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम	दल	निर्वाचन क्षेत्र
1.	श्रीमती कमलेश ठाकुर	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	देहरा
2.	श्री आशीष शर्मा	भारतीय जनता पार्टी	हमीरपुर
3.	श्री हरदीप सिंह बावा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	नालागढ़

झारखंड

मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र: 3 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन ने त्यागपत्र दे दिया।

मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 4 जुलाई 2024 को श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

राजनीतिक घटनाक्रम और नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण: 8 जुलाई, 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य विधान सभा में विश्वास मत हासिल किया।

उसी दिन राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने ग्यारह नव-नियुक्त मंत्रियों- सर्वश्री चंपई सोरेन, बैद्यनाथ राम, दीपक बिरुवा, मिथिलेश कुमार ठाकुर, हफीजुल हसन, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, सत्यानंद भोक्ता, श्रीमती बेबी देवी और श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 31 जुलाई 2024 को श्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की।

मध्य प्रदेश

नए मंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 8 जुलाई 2024 को राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने नए मंत्री के रूप में श्री रामनिवास रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

विधानसभा उप-चुनाव का परिणाम: 10 जुलाई 2024 को संपन्न उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के श्री कमलेश प्रताप शाह को 13 जुलाई 2024 को अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

महाराष्ट्र

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 31 जुलाई 2024 को श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

मणिपुर

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 31 जुलाई 2024 को असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

मेघालय

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 30 जुलाई 2024 को श्री सी.एच. विजयशंकर ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

मिजोरम

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 30 सितंबर, 2024 को त्रिपुरा के राज्यपाल श्री इंद्रा सेना रेड्डी नल्लू ने मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

पुदुचेरी

नए उपराज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 7 अगस्त 2024 को श्री के. कैलाशनाथन ने पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली।

पंजाब

विधान सभा उप-चुनाव परिणाम: 10 जुलाई 2024 को संपन्न उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के श्री मोहिंदर भगत को 13 जुलाई 2024 को जालंधर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

राज्यपाल द्वारा त्याग-पत्र: 27 जुलाई 2024 को पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया।

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 31 जुलाई 2024 को श्री गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के राज्यपाल और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में शपथ ली।

मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र: 22 सितंबर 2024 को, सूचना और जनसंपर्क मंत्री, सरदार चेतन सिंह जौरामाजरा; स्थानीय सरकार और संसदीय मामलों के मंत्री, सरदार बलकार सिंह; राजस्व मंत्री, श्री ब्रम्भ शंकर शर्मा (जिम्पा); और पर्यटन मंत्री, श्रीमती अनमोल गगन मान ने इस्तीफा दे दिया।

नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण: 23 सितंबर 2024 को राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने पांच नए मंत्रियों श्री मोहिंदर पॉल, श्री बरिंदर कुमार गोयल वकील, सरदार तरुणप्रीत सिंह सोंड, सरदार हरदीप सिंह मुंडियन और डॉ. रवजोत सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राजस्थान

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 31 अगस्त 2024 को श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

सिक्किम

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण: 31 जुलाई 2024 को श्री ओम प्रकाश माथुर ने सिक्किम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

तमिलनाडु

विधान सभा उप-चुनाव का परिणाम: 10 जुलाई 2024 को संपन्न उप-चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कषगम के श्री अन्नियूर शिवा @ शिवशनमुगम ए. को 13 जुलाई 2024 को विक्रवंडी विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया।

उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों को मंत्रिमंडल से कार्यमुक्त करना: 28 सितंबर 2024 को श्री उदय निधि स्टालिन को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।

उसी दिन, दुग्ध और डेयरी विकास मंत्री, श्री टी. मनो थंगराज; अल्पसंख्यक मंत्री; अल्पसंख्यक कल्याण और अप्रवासी तमिल कल्याण मंत्री, श्री जिंजी के.एस. और पर्यटन मंत्री, श्री के. रामचन्द्रन को मंत्रिमंडल से कार्यमुक्त कर दिया गया।

नए मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण: 29 सितंबर 2024 को राज्यपाल श्री आर.एन. रवि ने चार नए मंत्रियों सर्वश्री वी. सेंथिल बालाजी, आर. राजेंद्रन, एस.एम. नासर और डॉ. गोवी चेझियान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

मंत्रिमंडल में फेरबदल: 29 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। आवंटित नए मंत्रालयों के साथ मंत्रियों की सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	मंत्री का नाम	वर्तमान मंत्रालय
1.	श्री आर. एस. राजकन्नप्पन	दुग्ध और डेयरी विकास तथा खादी एवं ग्रामोद्योग
2.	श्री एस.एम. नासर	अल्पसंख्यक कल्याण और अप्रवासी तमिल कल्याण
3.	श्री आर. राजेंद्रन	पर्यटन
4.	डॉ. के. पोनमुडी	वन
5.	श्री शिवा. वी. मय्यनाथन	पिछड़ा वर्ग कल्याण, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और विमुक्त समुदाय कल्याण

क्र.सं.	मंत्री का नाम	वर्तमान मंत्रालय
6.	श्रीमती एन. कयालविझी सेल्वराज	मानव संसाधन प्रबंधन और भूतपूर्व सैनिक कल्याण
7.	डॉ. म. मथिवेन्थन	आदि द्रविड़ एवं जनजातीय कल्याण
8.	श्री थंगम थेन्नारसु	वित्त तथा पुरातत्व के अतिरिक्त पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जलवायु परिवर्तन
9.	डॉ. गोवी चेझियान	उच्च शिक्षा

तेलंगाना

राज्यपाल की शपथ: 31 जुलाई 2024 को श्री जिष्णु देव वर्मा ने तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

उत्तराखंड

विधानसभा उपचुनाव परिणाम: 13 जुलाई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो सदस्यों श्री लखपत सिंह बुटोला और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 10 जुलाई 2024 को आयोजित उपचुनाव में बद्रीनाथ और मंगलौर विधान सभा सीटों से निर्वाचित घोषित किया गया।

पश्चिम बंगाल

विधानसभा उपचुनाव परिणाम: राज्य विधान सभा की चार सीटों के लिए उपचुनाव 10 जुलाई 2024 को हुए थे। परिणाम 13 जुलाई 2024 को घोषित किए गए थे। निर्वाचित सदस्यों और उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सूची निम्नलिखित है:

क्र.सं.	निर्वाचित उम्मीदवार का नाम	दल	निर्वाचन क्षेत्र
1.	श्री कृष्ण कल्याणी	आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	रायगंज
2.	श्री मुकुट मणि अधिकारी	आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	राणाघाट दक्षिण
3.	सुश्री मधुपर्णा ठाकुर	आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	बगदाह
4.	सुश्री सुप्ति पांडे	आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	मणिकतला

विदेशों की घटनाएं

अल्जीरिया

राष्ट्रपति की शपथ: 17 सितंबर 2024 को श्री अब्देलमदजीद तेब्बौने ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

बांग्लादेश

प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र: 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री सुश्री शेख हसीना ने त्यागपत्र दे दिया।

अंतरिम सरकार की शपथ: 8 अगस्त 2024 को श्री मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने शपथ ली।

फ्रांस

प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र: 16 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री श्री गेब्रियल अट्टल ने त्यागपत्र दे दिया।

नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 5 सितंबर 2024 को श्री मिशेल बार्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

ईरान

राष्ट्रपति पद की शपथ: 30 जुलाई 2024 को श्री मसूद पेजेशकियन ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

उपराष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र: 12 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति श्री जावद जरीफ ने त्यागपत्र दिया।

जॉर्डन

प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 15 सितंबर 2024 को श्री जफर हसन को जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

नेपाल

प्रधानमंत्री की शपथ: 15 जुलाई 2024 को श्री के.पी. शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

नीदरलैंड

प्रधानमंत्री की शपथ: 2 जुलाई 2024 को श्री डिक शूफ ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

पनामा

राष्ट्रपति पद की शपथ: 1 जुलाई 2024 को श्री जोस राउल मुलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

रवांडा

राष्ट्रपति पद की शपथ: 11 अगस्त 2024 को श्री पॉल कागमे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

श्रीलंका

राष्ट्रपति पद की शपथ: 23 सितंबर 2024 को श्री अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

थाईलैंड

प्रधानमंत्री का पदच्युत होना: 14 अगस्त 2024 को थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री श्री श्रीथा थाविसिन को पदच्युत कर दिया।

प्रधानमंत्री पद की शपथ: 6 सितंबर 2024 को सुश्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

यूनाइटेड किंगडम

नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 5 जुलाई 2024 को श्री कीर स्टारमर को यूनाइटेड किंगडम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

सत्र समीक्षा

अठारहवीं लोक सभा

दूसरा सत्र

अठारहवीं लोक सभा का दूसरा सत्र 22 जुलाई 2024 को आरंभ हुआ और 9 अगस्त 2024 को सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी। इस सत्र के दौरान सदन की कुल 15 बैठकें हुईं जो 115 घंटे और 21 मिनट तक चलीं और इस दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य संपन्न हुए। दूसरे सत्र के दौरान 136 प्रतिशत उत्पादकता रही। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 20 अगस्त 2024 को सदन का सत्रावसान किया गया।

दूसरे सत्र के दौरान हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं और अन्य कार्यवाही का सार नीचे दिया गया है।

क. चर्चाएं/वक्तव्य

केंद्रीय बजट - 2024-25: वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया।

बजट पर सामान्य चर्चा

वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर 24, 25, 26, 29 और 30 जुलाई 2024 को सामान्य चर्चा हुई जो 27 घंटे 19 मिनट तक चली। इस चर्चा में कुल 181 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिये जाने के साथ 30 जुलाई 2024 को चर्चा समाप्त हुई।

चर्चा आरंभ करते हुए, कुमारी सैलजा (कांग्रेस) ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में हरियाणा के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने किसान की आय दोगुनी होने की बात की थी, लेकिन कृषि क्षेत्र का बजट वर्ष 2019-20 के 4.97 प्रतिशत की तुलना में घटाकर इस बजट में 2.74 प्रतिशत कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष रूप से राज्यों में कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक संकट है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अनुसार प्रत्येक किसान औसतन 1.35 लाख रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है और फिर भी सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। फसल बीमा योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनियां किसानों से फसलों के लिए प्रीमियम वसूलती हैं, लेकिन जब वास्तव में फसलों

के नुकसान या खराब होने पर मुआवजे का भुगतान करने की बात आती है तो किसानों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में स्थित नरवाना का जिक्र करते हुए कहा कि किसान पिछले तीन वर्षों से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। बीमा कंपनियों को 3,40,000 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, लेकिन जब वास्तव में किसानों को भुगतान करने की बात आती है, तो उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है और कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देगी, तब तक उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों और युवाओं को रोजगार चाहिए, और यह सुझाव दिया कि गरीब मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेषरूप से गरीबों के लिए खाने की आवश्यक वस्तुएं जैसे फल और सब्जियां महंगी हो रही हैं। उन्होंने यह आग्रह किया कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाना चाहिए और आम उपभोक्ता को राहत दी जानी चाहिए। बेरोजगारी की बढ़ती दर के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभागों में 10 लाख रिक्तियां हैं और हरियाणा में दो लाख पद रिक्त हैं, जिन्हें भरा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग समुदायों के बकाया रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। इस बात पर बल देते हुए कहा कि रेलवे और रक्षा क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार ने सभी नौकरियों में भर्ती बंद कर दी है। उन्होंने सरकार से अग्निवीर योजना को तत्काल समाप्त करने का आग्रह किया, और सरकार से बच्चों और उनके भूख तथा कुपोषण से संबंधित मुद्दों के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि गुड़गांव-फरीदाबाद मेट्रो खंड का प्रावधान जनवरी 2016 में किया गया था, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। बल्लभगढ़ मेट्रो परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। वर्ष 2019 में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किये जाने के आश्वासन को याद करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि इस बजट में परमाणु संयंत्र, गोरखपुर का भी कोई उल्लेख नहीं है।

[1]*चर्चा में भाग लेते हुए*, श्री बिप्लब कुमार देब (भाजपा) ने कहा कि इस बजट में सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। इस बजट में वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 18.2 प्रतिशत

---

[1]**चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य**: सर्वश्री दयानिधि मारन, श्री भरत मथुकुमिली, दिनेश चंद्र यादव, भर्तृहरि महताब, रविंद्र दत्ताराम वाइकर, लालजी वर्मा, जगदीश शट्टर, अनिल यशवंत देसाई, धर्मेन्द्र यादव, सुखदेव भगत, अभिजीत गंगोपाध्याय, चरनजीत सिंह चन्नी, बैजयंत पांडा, बस्तीपति नागराजू, हैबी ईडन, सी.एम.रमेश, राजीव राय, अरविंद गणपत सावंत, अरुण भारती, सुनील दत्तात्रेय तटकरे, धैर्यशील संभाजीराव माणे, राहुल कस्वां, विवेक ठाकुर, सुधाकर सिंह, मलविंदर सिंह कंग, मियां अल्ताफ अहमद, चमाला किरण कुमार रेड्डी, राजकुमार

अधिक पूंजीगत व्यय का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से सर्वांगीण विकास की दिशा में रुख किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार कौशल योजना के माध्यम से आय के अवसर प्रदान कराए जाएंगे और देश की शीर्ष 500 कंपनियों के पोर्टल पर आवेदन करके एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के अन्तर्गत, उन्हें पहले माह में 6000 रुपये और उसके बाद उनको एक साल तक प्रति माह 5000 रुपये दिए जाएंगे। इस बजट में शिक्षा, रोजगार और विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्री देब ने इस बात का उल्लेख किया कि इस बजट में किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और उर्वरकों के लिए अतिरिक्त 1.75 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले दस वर्षों में, वर्ष 2014 से 2023 तक एमएसपी के रूप में लगभग 14 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज, भारत दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, और मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर है

चाहर, आनंद भदौरिया, राजा राम सिंह, चंदन चौहान, ससिकांत सेंथिल, एम. मल्लेश बाबू, सी.एन. अन्नादुरई, जुगल किशोर, जय प्रकाश, हरेन्द्र सिंह मलिक, दुरई वाइको, वी. वैथिलिंगम, गुरमीत सिंह मीत हायेर, हनुमान बेनीवाल, विष्णु दयाल राम, बलवंत बसवंत वानखडे, छोटेलाल, राजेश रंजन, सौमित्र खान, सुरेश कुमार कश्यप, असादुद्दीन ओवैसी, एन.के. प्रेमचन्द्रन, के. राधाकृष्णन, लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, राहुल गांधी, विष्णु दत्त शर्मा, अवधेश प्रसाद, पी.वी. मिधुन रेड्डी, के. सुब्बारायण, वरुण चौधरी, आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी, बालाशौरी बल्लभनेनी, बृजमोहन अग्रवाल, विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, नवीन जिंदल, विजय कुमार हाँसदाक, राजू बिष्ट, उज्ज्वल रमण सिंह, नरेश गणपत म्हस्के, राजकुमार रोत, आदित्य यादव, इटेला राजेंदर, मोहम्मद हनाफ़ा, उमेषभाई बाबूभाई पटेल, सालेंग ए. संगमा, दर्शन सिंह चौधरी, अमर शरदराव काले, फणी भूषण चौधरी, जयन्त बसुमतारी, मुरारी लाल मीना, जी. कुमार नायक, देवेन्द्र सिंह *उर्फ* भोले सिंह, अखिलेश यादव, के. नवासखनी, राजेश वर्मा, अरुण कुमार सागर, अल्फ्रेड कनंगम एस. आर्थर, अमरा राम, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, एस. सुपोंगमेरेन जमीर, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जियाउर रहमान, कार्ती पी. चिदम्बरम, अजय भट्ट, सप्तगिरी शंकर उलाका, शशांक मणि, प्रद्युत बोरदोलोई, अनुराग सिंह ठाकुर, बिष्णुपद राय, एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज, एडवोकेट चन्द्र शेखर, डॉ. शशि थरूर, डॉ. टी. सुमति *उर्फ* तामिझाची थंगापंडियन, डॉ. आलोक कुमार सुमन, डॉ. धर्मवीर गांधी, डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी, डॉ. थोल तिरूमावलवन, डॉ. इन्द्राहांग सुब्बा, डॉ. शिवपाल सिंह पटेल, डॉ. नामदेव किरसान, डॉ. के. सुधाकर, प्रो. सौगत राय, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती डिम्पल यादव, श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी, श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर, श्रीमती लवली आनंद, सुश्री प्रणिती सुशील कुमार शिंदे, सुश्री कंगना रनौत, पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह; और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल।

तथा चावल और गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है । श्री देब ने आगे कहा कि आज, 25 करोड़ परिवारों को गरीबी से निकाल कर मध्यम वर्ग में पहुंचाया है; सरकार ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है;10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में कार्य करती हैं और स्वरोजगारी बनी हैं; और उत्तर-पूर्व में 16 हवाई अड्डे हैं । इस बात को नोट करते हुए कि पूर्वोत्तर राज्य 85 प्रतिशत अधिक कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने बोडोलैंड और नागालैंड समस्या के समाधान की दिशा में काम किया है और पूर्वोत्तर में आफ्स्पा को 60 प्रतिशत तक खत्म कर दिया है । सरकार ने त्रिपुरा में 36000 आदिवासी परिवारों को 600-700 करोड़ रुपये का पैकेज देकर वहां स्थायी रूप से रहने का अधिकार दिया है । श्री देब ने आगे कहा कि अगले तीन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है और कहा कि इस बजट में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को लगभग 4.75 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे । अंत में उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए आवंटन में 25,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और यह बजट एक सशक्त बजट है जो युवाओं, महिलाओं और गरीबों पर केंद्रित है ।

चर्चा में भाग लेते हुए श्री वीरेन्द्र सिंह (सपा) ने कहा कि सरकार ने अपने बजट में किसानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है । यह बताते हुए कि किसानों की आय बढ़ाने के दो तरीके हैं– कृषि लागत कम करना और कृषि उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना, उन्होंने कहा कि बजट ऐसा करने में विफल रहा है, और किसानों को फसल बीमा का एक बंडल पकड़ा दिया गया है । रेलवे में साधारण सवारी गाड़ियों की स्थिति काफी बदहाल है । इनकी स्थिति सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें अधिकतर गाँव का व्यक्ति यात्रा करता है । मेरी मांग है कि मुंबई से पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था की जाए । साथ ही, देश में 'गरीब रथ' जैसी और भी गाड़ियाँ चलाई जाएँ । उन्होंने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करने कि आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि संबंधित प्रौद्योगिकी विकसित की जाए, ताकि आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया जा सके । उन्होंने यह सुझाव दिया कि आकाशीय बिजली गिरने से किसी किसान या पशुपालक की मृत्यु होने पर आश्रितों को दी जाने वाली राशि को दोगुना किया जाना चाहिए । गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं और संबंधित बुनियादी ढांचा काफी जर्जर हो गया है और ग्रामीण इलाकों में समुचित दूरी पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का सुझाव दिया ।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री अभिषेक बनर्जी (एआईटीसी) ने कहा कि यह बिना किसी दृष्टिकोण या दूरदर्शिता वाला बजट है, जिसे इस देश के 140 करोड़ लोगों को ठोस राहत देने के बजाय भाजपा के गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । जहां तक महंगाई की बात है, तो खाने-पीने की चीजों की कीमतें काफी ज्यादा हैं । प्याज की कीमत में 43 प्रतिशत, टमाटर की कीमत में 41 प्रतिशत और आलू की कीमत में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई

है, जबकि 2023 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,100 रुपये के पार हो गई है। जहां तक आमदनी का सवाल है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान 63 करोड़ लोगों की दैनिक आय 308 रुपये से कम रही और 18 करोड़ लोगों की कमाई 180 रुपये प्रतिदिन से भी कम रही। यह देखते हुए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, उन्होंने यह अनुभव किया कि सरकार ने हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में क्रमशः 13 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में लगभग 10,000 रिक्तियां आज भी खाली हैं। श्री बनर्जी ने कहा कि हमारे देश में बेरोजगारी दर जून 2024 में आठ महीने के उच्चतम स्तर 9.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। वर्ष 2022-23 के दौरान, स्नातक और स्नातकोत्तर या उससे अधिक की शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं में बेरोजगारी दर क्रमशः 13 प्रतिशत और 12.1 प्रतिशत थी। श्री बनर्जी ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि स्किल इंडिया मिशन जिसका लक्ष्य 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना था, लेकिन 2024 तक केवल 14 मिलियन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारत में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की बेरोजगारी दर 22.7 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि *कन्याश्री* छात्रवृत्ति योजना से 85 लाख लड़कियों को लाभ मिला, जिसके चलते इसे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। *लक्ष्मी भंडार* जैसी योजनाओं के माध्यम से दो करोड़ बीस लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 12,000 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 14,400 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। देश में केवल तीन राज्यों में ऐसे उद्योग हैं जहां महिलाएं 10 में से तीन से अधिक संस्थानों की मालिक हैं, और ये तीन राज्य तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2006 से 2013 के बीच वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर 6 प्रतिशत थी, जो 2014 से 2021 के बीच घटकर केवल 1.4 प्रतिशत रह गई है। भारतीय रेलवे ने 40,000 पारंपरिक कोचों को वंदे भारत मानकों में उन्नत करने का दावा किया है, लेकिन इस तथ्य की उपेक्षा की है कि लगभग 96 प्रतिशत यात्री सामान्य और गैर-एसी कोचों में ही यात्रा करते हैं। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में शामिल एक लाख से अधिक लोगों ने 2014 से 2022 के बीच दुःखद रूप से आत्महत्याएं की हैं।

चर्चा का जवाब देते हुए वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। सरकार का व्यय तेजी से बढ़कर 48.21 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पूंजीगत व्यय ने वास्तव में देश को कोविड-19 की अवधि से बाहर आने में सक्षम बनाया है। देश ने लगातार उच्च

विकास दर बनाए रखी है और अब यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटन 3.27 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण विकास के मामले में, यह 2.66 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत अधिक आवंटन है। शहरी विकास के मामले में यह 1 लाख करोड़ रुपये के करीब है। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के मामले में यह 1.46 लाख करोड़ रुपये है। सरकार का व्यय गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्ति सृजन की ओर हो रहा है। 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर के बजट के बारे में, मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के केंद्रीय बजट में 17,000 करोड़ रुपये की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी दर के बारे में कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर 2020-2021 में 6.4 प्रतिशत से घटकर 2022-2023 में 4.4 प्रतिशत हो गई है। कमी मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के लिए बहुत सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संघ राज्यक्षेत्र सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति, बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण के लिए कई पहल की हैं। मंत्री जी ने बताया कि दो दशक के बाद आदिवासी समुदायों को वन अधिकार दिए गए हैं। प्रवासी जनजातीय समुदायों के लिए परिवहन सुविधाएं, ट्रांजिट आवास, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा और पशु चिकित्सा औषधालय और सामुदायिक शौचालय जैसी कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, संघ राज्यक्षेत्र कश्मीर में पेशेवर कोचिंग सेंटर, छात्रवृत्ति, 48,000 आदिवासी युवाओं के लिए कौशल उन्नयन, आठ नए छात्रावास भवन, 285 स्मार्ट स्कूल और छह एकलव्य आवासीय विद्यालय विकसित किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि बजट अनुमान 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरित कुल संसाधन 22,91,182 करोड़ रुपये हैं, जो 4,93,645 करोड़ रुपये की वृद्धि है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 27.5 प्रतिशत अधिक है। कृषि आवंटन को कम करने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के संबंध में, उन्होंने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन 2013-14 में केवल 21,934 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत के बाद से 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संवितरण किया गया है। कृषि के लिए

संस्थागत ऋण लक्ष्य 2.5 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। किसानों को ब्याज सब्सिडी भी दी जा रही है। इसमें 2.4 गुना वृद्धि हुई है। कृषि ऋण लेने वाले छोटे और सीमांत किसानों के खातों की संख्या 57 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गई है। बेरोजगारी के बारे में सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि युवाओं को स्वतंत्र और सक्षम बनाने के लिए, प्रधानमंत्री के पैकेज में डाली गई पांच योजनाओं के अलावा कई योजनाएं लाई गई हैं। इस बात पर विस्तार से चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि 2014 से 29 लाख करोड़ रुपये के 48 करोड़ मुद्रा ऋण संवितरित किए गए हैं, और महिला श्रम बल की भागीदारी 2017-18 में 23 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37 प्रतिशत हो गई है। 15 से 29 आयु वर्ग के लिए युवा बेरोजगारी 2017-18 में 17.8 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 10 प्रतिशत हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और गरीबों के लिए आवंटन के बारे में उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के लिए आवंटन 1,59,148 करोड़ रुपये था जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 1,65,493 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन 1,19,706 करोड़ रुपये था और अब यह 1,24,909 करोड़ रुपये है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय युवाओं के लिए रोजगार तेजी से बढ़ा है, जो 2014 में 34 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 51 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट के माध्यम से सरकार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल और युवाओं के लिए रोजगार पैकेज जैसी पांच योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। वर्ष 2017 में, उन्होंने याद किया कि देश विश्व कौशल प्रतियोगिता में 19वें स्थान पर था, और अब 11वें स्थान पर पहुंच गया है। घरेलू क्षेत्र की कुल वित्तीय बचत 2013-14 में 8.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 14.16 लाख करोड़ रुपये हो गई है। यह 70 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने सदस्यों को इस बात कि जानकारी दी कि कल्याणकारी उपायों या योजनाओं से समझौता नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, उन्होंने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके खाद्य राज सहायता (सब्सिडी) के बदले एफसीआई को प्रदान किए गए सभी बकाया राष्ट्रीय बचत निधि ऋणों को तेजी से चुकाया है। पीएम *गरीब कल्याण अन्न योजना* के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी पूरी पारदर्शिता के साथ दी जा रही है, और अल्पसंख्यकों के लिए बजट कम नहीं हुआ है। इसके अलावा, पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 85 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ा है। उन्होंने ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के अंतर्गत, 22.5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक लाभार्थियों को 8,300 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं, जिनमें से 85 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। अपने उत्तर को संपन्न करते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए देश के लिए बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति का होना आवश्यक है। परन्तु देश में अस्थिरता और अराजकता की स्थिति

होने के कारण *विकसित भारत* का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मंत्री महोदय ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि समाज के सभी वर्गों के साथ मिल-जुलकर रहने से सद्भाव को बनाए रखना राष्ट्र के व्यापक हित में है।

सभी अनुदान मांगों पर पूर्ण मतदान हुआ।

ख. विधायी कार्य

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024: 8 अगस्त 2024 को नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू ने विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया।

चर्चा आरंभ करते हुए, एडवोकेट अदूर प्रकाश ने कहा कि देश का विमानन क्षेत्र आज कई मुद्दों और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। विमानों के आपस में टकराने की घटनाओं, उड़ान में विलंब और उड़ान न भरने, उड़ानों के फेरों में बार-बार कटौती किए जाने और बिना किसी विनियमन के विमान किराये निर्धारित किए जाने संबंधी मामले चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विचार नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सदन और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि संवहनीयता की दिशा में राष्ट्रीय नीति दृढ़ बनी रहे। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि साइबर खतरों के मामलों की बेतहाशा बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि नए विधेयक की धारा 3, उप-धारा 2 और धारा 5, उप-धारा 2 का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट है कि नागर विमानन महानिदेशालय और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, दोनों संस्थानों के कार्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किए बिना नागर विमानन से संबंधित निरीक्षण कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि इन दो संस्थानों के साथ-साथ सीआईएसएफ और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भी इस अस्पष्ट तंत्र में अपनी-अपनी भूमिका निभानी होती है, जो आपातकालीन स्थितियों में घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस नए विधेयक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उचित सुरक्षा प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी परिवहन सुरक्षा एजेंसी की तरह भारतीय समकक्ष एजेंसी स्थापित करने का उचित समय आ गया है। देश में विमानन क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी कई विफलताओं का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि यह पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को प्रमाणित करती है। उन्होंने बिना किसी विनियमन के विमान किराये में आए उछाल और बढ़ते विमान किराए पर नियंत्रण लगाए जाने से संबंधित मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि विमान कंपनियाँ केरल के विभिन्न गंतव्यों के लिए मूल टैरिफ से पांच गुना अधिक किराया वसूल रही हैं। यह बताते हुए कि

हालांकि बजट में किराया वसूलने वाली विमान कंपनियों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने का मुद्दा कई अवसरों पर उठाया गया है, परन्तु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यह आग्रह किया कि प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में प्रशुल्क में भारी बढ़ोतरी से उन यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जो पहले से ही अत्यधिक विमान किराए के दबाव में हैं। उन्होंने सरकार से यात्रियों के हित के विरुद्ध की जाने वाली टैरिफ में बढ़ोतरी की समीक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

[2]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वायुयान विधेयक वर्ष 1934 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और उसमें बीस से अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। उन्होंने अनुरोध किया कि सरकार द्वारा इस अधिनियम का नाम *'भारतीय वायुयान विधेयक'* से बदलकर *'भारतीय विमानन विधेयक'* किया जाना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि यह विमानन क्षेत्र से संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार दूरगामी नीतियां बनाती है और वर्तमान में भारत में लगभग 700 विमान हैं जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत विमान पट्टे पर हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत में लगभग 22 से 23 हजार पायलटों को लाइसेंस प्राप्त है, और पहले इन पायलटों को संचार मंत्रालय द्वारा आयोजित परीक्षा देनी होती थी। उन्होंने देश के पायलट युवाओं के लिए सरकार द्वारा लिए गये ऐतिहासिक निर्णय की सराहना की, क्योंकि अब उन्हें आर.टी. की परीक्षा में शामिल होने के लिए संचार मंत्रालय नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें अब केवल विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत डी.जी.सी.ए. द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता होगी। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत में सहारा एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो फर्स्ट एयरलाइंस आदि जैसी कई विमानन कंपनियां बंद हो चुकी हैं। विश्व के अन्य देशों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे, ब्रिटिश एयरवेज और जापान एयरलाइंस वर्ष 1987 में, एयर फ्रांस एयरलाइंस वर्ष 1979 में बंद हो गई और मलेशिया एयरलाइंस वर्ष 2012 में बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियों के संचालन का कार्य काफी जटिल है। विमानन कंपनियों द्वारा किए जा रहे खर्च पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि का 40 प्रतिशत भाग ईंधन पर खर्च हो जाता है और शेष 60 प्रतिशत राशि में से राज्य कर, पीएसएफ, प्रयोक्ता विकास शुल्क आदि पर खर्च किया जाता है। विमान जितनी लंबी यात्रा करता है, उन्हें उतना ही अधिक भुगतान करना पड़ता है। जब मांग बढ़ती है, तो टिकट की कीमतों में भी वृद्धि होती है। उन्होंने

[2]**चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:** सर्वश्री सी.एन. अन्नादुरई, मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी, दिलेश्वर कामैत, श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे, बजरंग मनोहर सोनवणे, किशोरी लाल और प्रो. सौगत राय।

कहा कि 14 मिलियन की आबादी वाले बिहार राज्य में बड़े विमानों हेतु अवसंरचना का अभाव है। और इस बात का खेद है कि पटना विमान पत्तन के लिए 1600 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसके बावजूद वहां धावन पट्टी में कोई विस्तार नहीं हो पाया है और यह देश के सबसे खतरनाक विमान पत्तनों में से एक है। उन्होंने कहा कि वह पिछले 14 वर्षों से बिहार में एक नए विमान पत्तन के निर्माण का अनुरोध करते रहे हैं, और इन मुद्दों के समाधान के लिए उन्होंने अनुरोध किया कि छोटे राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री राजीव राय (एसपी) ने कहा कि डीजीसीए को अधिक शक्ति प्रदान की गई है और बीसीएस अलग किया गया। पहला मुद्दा यह है कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, वह स्वतंत्र निकाय होगा या डीजीसीए के अधीन ही रहेगा। उन्होंने महसूस किया कि यदि यह डीजीसीए के अधीन रहता है, तो जिम्मेदारी तय करने की स्पष्ट रूपरेखा होगी ? और उन्होंने अनुरोध किया कि बीसीएस और विमान पत्तन की सुरक्षा के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। इसमें विमान पत्तनों को आवश्यक तकनीकी उपकरणों से लैस करना और यात्रियों की जांच कुशलतापूर्वक करने के लिए स्क्रीनिंग मशीनें स्थापित करना शामिल है। समय की बचत करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशिष्ट समस्याओं के आधार पर स्क्रीनिंग पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि विमान पत्तनों और शहरों के बीच की दूरी पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा प्रक्रियाएं सुचारू न होने पर यात्रियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने विमान पत्तनों पर रोजगार संबंधी प्रथाओं का समाधान करने का सुझाव दिया, जहां बड़ी कंपनियां अक्सर बंधुआ मजदूर के रूप में पोर्टर से लेकर पायलट तक रखती है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए इन प्रथाओं की जांच करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने पर फिर से सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना होता है। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को कारगर और प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। हवाई किराया दरों के मुद्दों को उठाते हुए, उन्होंने कहा कि अक्सर यह कहा जाता है कि सरकार हवाई किराया दरों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, इस मुद्दे को हल करने के लिए अधिक गंभीर दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विमान पत्तनों के निजीकरण का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने के बजाय उन्हें सृजित करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा कर्मियों के पक्ष में कई सुरक्षा चौकियों से सीआईएसएफ को हटाने के साथ, सरकार को सुरक्षा मानकों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए डायनेमिक एयर फेयर को भी विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।

चर्चा का उत्तर देते हुए नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि नागर विमानन उद्योग में पिछले 10 वर्षों के दौरान अकल्पनीय वृद्धि हुई है। मंत्री जी ने बताया कि

वर्ष 2024 में 60 मिलियन घरेलू यात्री थे, जो बढ़कर 153 मिलियन हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय यात्री 2024 में 43 मिलियन से बढ़कर 66.7 मिलियन हो गए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज, भारत पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी विमानन अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है, और उन्होंने बताया कि भारत आईसीएओ में एक बहुत मजबूत भागीदार रहा है और सरकार ने आईसीएओ से जो भी मानक और अनुशंसित प्रोटोकॉल (एसएआरपी) हैं, उन्हें सुसंगत करके देश के अपने कानून बनाने की कोशिश की गई है। पुराने अधिनियम का उल्लेख करते हुए, मंत्री जी ने कहा कि 1934 के अधिनियम को 21 बार इस तरह से संशोधित किया गया कि जब भी कुछ मानक और अनुशंसित प्रोटोकॉल (एसएआरपी) आता था, तो पुराने विधेयक में जोड़ देते थे। मंत्री महोदय ने कहा कि अभी विद्यमान अधिनियम में बहुत अस्पष्टता है, और इसीलिए एक उचित संरचनात्मक बदलाव लाए जाने की आवश्यकता थी, जिसे इस नए *भारतीय वायुयान विधेयक* के माध्यम से किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहली चीज जिस पर सरकार ने ध्यान देने की कोशिश की है, वह है पूरे विधेयक की रूपरेखा करना। उन्होंने आगे यह बताया कि पहले ऐसा होता था कि शक्तियां कहीं और लिखी हुई हैं और कार्य कहीं और लिखे हुये हैं तथा नियम कहीं और लिखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि आईसीएओ द्वारा यह टिप्पणी की गयी थी कि सभी बातें एक प्रमुख अधिनियम में होनी चाहिए, जो नागरिक उड्डयन में सामंजस्य पैदा करें, और सरकार द्वारा इस *भारतीय वायुयान अधिनियम* के माध्यम से पिछले अधिनियम में मौजूद कमियों को दूर करने की कोशिश की गयी है।

मंत्री महोदय ने बताया कि इस विधेयक को लाने से पहले, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से बहुत व्यापक परामर्श हुए हैं और सरकार को जनता से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलों से संबंधित पहले के अधिनियम में बहुत विसंगतियां रही हैं। केवल वित्तीय दंड के खिलाफ अपील का प्रावधान था। प्रशासनिक दंड के बारे में, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि पहले के अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था जो प्रशासनिक दंड पर अपील के समाधान के बारे में हो। अब, सरकार ने प्रशासनिक प्रवर्तन को भी शामिल किया है ताकि अपील करने का अवसर मिल सके। सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर रहा है कि विमान कंपनियां भी यात्रियों की स्थिति का दुरुपयोग या लाभ न उठा सकें और साथ ही समान अवसर सृजित करे ताकि विमान कंपनियां भी देश में एक निश्चित चरण में प्रचालन कर सकें। उन्होंने आरसीएस-उड़ान योजना (उड़े देश का आम नागरिक) की सफलताओं की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दरभंगा शहर, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, वहां एक हवाई पट्टी थी जो 1950 और 1962 के बीच चल रही थी। 1962 के बाद वहां कोई विमान नहीं था । इसे देश के नागर विमानन मानचित्र से पूर्णत: हटा दिया गया है। जब आरसीएस अस्तित्व में आया,—यह 2020 में था—उसके बाद उड़ान योजना के

तहत 120 करोड़ रुपये खर्च करके हवाई अड्डे का उन्नयन किया गया। आरसीएस के अंतर्गत 500 से अधिक मार्ग शुरू हो गए हैं। इस देश के 1.4 करोड़ से अधिक लोगों ने आरसीएस मार्गों से यात्रा की है। मंत्री महोदय ने बताया कि नागर विमानन के क्षेत्र में सरकार सीप्लेन भी शुरू करना चाहती है। इस संबंध में सीप्लेन पॉलिसी पर उद्योग जगत से जानकारी भी ली गयी है। सरकार ने उनके अनुरोध पर नीति में संशोधन भी किए हैं और बहुत शीघ्र ही यह नई नीति भी शुरू करने जा रही है। इससे हवाई यात्रा का एक नया क्षेत्र खुलने जा रहा है। मंत्री महोदय ने आगे कहा कि जहां भी हमारे पास बांध, झीलें या समुद्री संपर्क है, हम उन स्थानों को जोड़ने के लिए सीप्लेन कनेक्टिविटी का उपयोग कर सकते हैं। भारत में हेलीकॉप्टरों के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि देश की आबादी या आकार की तुलना में हेलीकॉप्टरों की संख्या बहुत कम है। पूरे देश में करीब 250 हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय वायुयान विधेयक, जो संयंत्रों की स्थापना में सुधार करने जा रहा है, और इन हेलीकॉप्टरों को डिजाइन करने में भी सहायता करेगा। उन्होंने आगे बताया कि सरकार एक उचित प्रणाली बनाने जा रही है, जैसे कि मंत्रालय में एक टीम जो हवाई किराए में अनुचित वृद्धि, हवाई यात्रियों के अधिकारों के उल्लंघन आदि जैसे मुद्दों का निपटारा करेगी।

विधेयक, *यथासंशोधित*, *पारित किया गया।*

ग. प्रश्नकाल

घ. निधन संबंधी उल्लेख

सत्र के दौरान लोक सभा के तीन पूर्व सदस्यों श्री इकबाल अहमद सरदागी, स्क्वाड्रन लीडर (सेवानिवृत्त) कमल चौधरी और श्री रमेश राठौड़ तथा वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव, महामहिम श्री गुयेन फू ट्रोंग के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।

राज्य सभा

दो सौ पैंसठवां सत्र*

राज्य सभा द्वारा अपने 265वें सत्र के दौरान किए गये कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का एक विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य सभा का दो सौ पैंसठवां सत्र (265वां) 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ और सदन 9 अगस्त 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान, सभा 15 दिन चली और बैठकों का समय लगभग 93 घंटे था।

1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की तिमाही के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवनिर्वाचित सरकार का पहला बजट सत्र आयोजित किया गया, जो अब लगातार तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहा है।

केंद्रीय बजट 2024-25

23 जुलाई, 2024 को लोक सभा में वित्त तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के समापन के बाद सदन दोपहर 1.30 बजे समवेत हुआ। मंत्री महोदया ने मध्यावधि राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण के अलावा वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को सदन के पटल पर रखा। मंत्री महोदया ने संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय (2024-25) को भी पटल पर रखा। जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट 2024-25 के साथ आम बजट पर चर्चा 24, 25, 26, 29, 30 और 31 जुलाई, 2024 को हुई। श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने 31 जुलाई 2024 को चर्चा का उत्तर दिया। चर्चा में कुल 85 सदस्यों ने भाग लिया।

***सभापीठ की ओर से दिए गए महत्वपूर्ण विनिर्णय/टिप्पणियां/निदेश**

23 जुलाई 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने नियम 238 के अंतर्गत श्री दिग्विजय सिंह द्वारा 22 जुलाई 2024 को उठाए गए

*राज्य सभा सचिवालय की लार्डिस शाखा द्वारा उपलब्ध कराए गये विवरण के अनुसार।

व्यवस्था के प्रश्न पर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि किसी सदस्य के लिए सभापीठ की अनुमति के बिना सभा को संबोधित करना अत्यधिक अनुचित है और सदस्यों से नयाचार का पालन करने और नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने सदस्यों से श्री एस.बी. चव्हाण की अध्यक्षता वाली आचार समिति की पहली रिपोर्ट को पढ़ने का आग्रह किया, जिसमें सदस्यों को निदेश दिए गए थे कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे संसद की प्रतिष्ठा खराब हो और उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो तथा उन्हें ऐसे आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो अनुकरणीय हो। इसके अलावा 23 जुलाई 2024 को माननीय सभापति ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नोटिस प्रस्तुत करने के बारे में अपना विनिर्णय दिया। उन्होंने सदस्यों से डिजिटल मोड अपनाने को कहा और सदन को बताया कि इस संबंध में सदस्यों की समस्याओं के समाधान के लिए एक उपयुक्त तंत्र को शुरू कर दिया गया है।

5 अगस्त 2024 को सभापति ने श्री दिग्विजय सिंह, श्री संजय सिंह और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्यों पर उत्तर देने की अनुमति मांगने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। सभापति ने कहा कि, "नियम 238(दो) के अंतर्गत उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई सदस्य असंतुष्ट महसूस करता है, तो उसे दूसरे प्रारूप में नियम का सहारा लेना होगा..."

23 और 24 जुलाई 2024 को, सभापति ने सदन के सत्र के दौरान दैनिक आधार पर नियम 267 के प्रावधानों का अविवेकपूर्ण सहारा लेने पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सदस्यों और सदन के नेताओं से इस मामले पर गंभीरता से चिंतन और आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया।

मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा

सत्र के दौरान तीन मंत्रालयों यथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई।

31 जुलाई 2024 को श्री घनश्याम तिवारी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आरंभ की। उस दिन चर्चा संपन्न हुई। 1 अगस्त 2024 को आवासन और शहरी कार्य और विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने चर्चा का जवाब दिया। चर्चा में 21 सदस्यों ने भाग लिया।

1 अगस्त 2024 को श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आरंभ की। 2 अगस्त 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण

विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा का उत्तर दिया। चर्चा 5 अगस्त 2024 को समाप्त हुई। चर्चा में 27 सदस्यों ने भाग लिया।

5 अगस्त 2024 को श्री देरेक ओब्राईन ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के उत्तर के बाद 6 अगस्त 2024 को चर्चा समाप्त हुई। चर्चा में 33 सदस्यों ने भाग लिया।

सरकारी विधायी कार्य

दो विधेयक नामतः तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 और बॉयलर विधेयक, 2024 क्रमशः 5 और 8 अगस्त 2024 को पुरःस्थापित किए गए। तीन विधेयक नामतः जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024; विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 और वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 को राज्य सभा द्वारा 8 अगस्त 2024 को वापस लौटा दिया गया। एक विधेयक नामतः वक्फ संपत्तियां (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014 को 8 अगस्त, 2024 को सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया था। 9 अगस्त 2024 को दोनों सदनों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव के आधार पर एक विधेयक नामतः वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोक सभा और राज्य सभा दोनों के 21 सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति को भेजा गया था।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य

26 जुलाई 2024 को 18 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए गए। डॉ. जॉन ब्रिटास ने संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 158 का संशोधन) को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तथापि, कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया। तत्पश्चात्, विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव को मत-विभाजन द्वारा विमत कर दिया गया। एक विधेयक, नामतः संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 16 का संशोधन) 26 जुलाई 2024 को पुरःस्थापित हुआ जिसे श्री जावेद अली खान द्वारा विचारार्थ लिया गया तथा चर्चा के लिए लिया गया। तथापि, चर्चा समाप्त नहीं हुई।

2 अगस्त 2024 को श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा एक गैर-सरकारी सदस्य संकल्प प्रस्तुत किया गया जिसमें सरकार से भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में

'शिक्षा' को समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करने तथा अन्य मुद्दों के लिए कानून लाने का आग्रह किया गया। उसी दिन संकल्प पर चर्चा हुई। चर्चा में दस सदस्यों ने भाग लिया; तथापि, चर्चा अनिर्णीत रही।

सांख्यिकीय सूचना

सत्र के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के 204 मामलों पर विशेष उल्लेख किए गए/सभा पटल पर रखे गए तथा सभापीठ की अनुमति से शून्यकाल में भी इतनी ही संख्या में प्रस्तुतियां दी गईं।

210 तारांकित प्रश्न और 2237 अतारांकित प्रश्न गृहीत किए गए और उनके उत्तर दिए गए। इनमें से 68 तारांकित प्रश्नों के सदन में मौखिक उत्तर दिए गए।

186 सदस्यों द्वारा विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं से संबंधित 9277 सूचनाएं प्रस्तुत की गईं। इनमें से 9241 सूचनाएं डिजिटल संसद पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गईं।

विभिन्न संसदीय समितियों के 30 प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए।

राज्य सभा के सभापति तथा अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा सितम्बर, 2004 में जारी निदेश के अनुसरण में विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में 26 विवरण सभा पटल पर रखे गए।

अल्पकालिक चर्चा: 29 जुलाई 2024 को श्री सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण हाल ही में हुई छात्रों की मृत्यु की दु:खद घटना पर चर्चा शुरू की। चर्चा में 24 सदस्यों ने भाग लिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने उसी दिन चर्चा का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हो गई।

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर ध्यानाकर्षण: 31 जुलाई 2024 को श्री अरुण सिंह ने केरल राज्य के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने एक वक्तव्य दिया। इसके बाद, कुछ सदस्यों ने वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस पर चर्चा की। तत्पश्चात्, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने उत्तर देते हुए चर्चा समाप्त की।

निधन संबंधी उल्लेख

सत्र के दौरान, सभापति ने सदन के दो पूर्व सदस्यों—श्री पी. कन्नन और श्री प्रभात झा के निधन के बारे में उल्लेख किया। 22 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम की केंद्रीय समिति के माननीय महासचिव महामहिम गुयेन फू ट्रोंग के निधन के बारे में उल्लेख किया गया। सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

उप-सभापतियों का पैनल

सत्र के दौरान, राज्य सभा के सभापति ने 22 और 25 जुलाई 2024 को उप-सभापतियों के पैनल के पुनर्गठन के संबंध में घोषणा की। 31 जुलाई 2024 को, सभापति ने घोषणा की कि उप-सभापतियों के पैनल का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया है, श्रीमती सीमा द्विवेदी; डॉ. फौजिया खान; सुश्री सुष्मिता देव; श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा; श्री के.आर. सुरेश रेड्डी; श्री राजीव शुक्ला; डॉ. दिनेश शर्मा और डॉ. सस्मित पात्रा।

नियम 272 के स्थगन का प्रस्ताव

31 जुलाई 2024 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरूगन ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:- "राज्य सभा के वर्तमान सत्र के दौरान विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समितियों द्वारा 2024-25 के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करने के लिए राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 272 को निलंबित किया जाए"। सदन द्वारा प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

नियम 117 के अधीन प्रस्ताव

8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नियम 117 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि श्री जावेद अली खान द्वारा चर्चा के अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 16 का संशोधन) पर चर्चा को राज्य सभा के अगले सत्र के दौरान निजी सदस्यों के विधायी कार्य (विधेयक) के लिए आवंटित दिन तक स्थगित कर दिया जाए। प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान मंत्रियों द्वारा दो स्वतः प्रेरित वक्तव्य दिए गए। 30 जुलाई 2024 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने "केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन की घटना" पर

एक वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने 6 अगस्त 2024 को "बांग्लादेश की स्थिति" पर एक स्वतः प्रेरित वक्तव्य दिया।

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

22 जुलाई 2024 को, सभापति ने सदन को सूचित किया कि उन्हें तेलंगाना राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य डॉ. के. केशव राव से 4 जुलाई 2024 को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने राज्य सभा में अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया है, और उन्होंने 5 जुलाई 2024 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त 31 जुलाई 2024 को, सभापति ने घोषणा की कि उन्हें ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सदस्य श्रीमती ममता मोहंता से 31 जुलाई 2024 को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने राज्य सभा में अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने उनका त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

सभापीठ के वक्तव्य

सत्र के दौरान, सभापीठ ने दो अवसरों पर दो वक्तव्य दिए, यथा (एक) कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ (26 जुलाई 2024); और (दो) भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ (9 अगस्त 2024)। सभा ने शहीदों की स्मृति में मौन रखा और सभी सदस्य खड़े रहे।

सदस्यों के लिए प्रशिक्षण-सह-परिचय कार्यक्रम/सुविधाएं

क. राज्य सभा के नवनिर्वाचित और नाम निर्देशित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम: राज्य सभा सचिवालय ने 27 और 28 जुलाई 2024 को 'डिजिटल और इको-फ्रेंडली' विषय के साथ राज्य सभा के नवनिर्वाचित और नाम-निर्देशित सदस्यों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य सभा के सभापति द्वारा किया गया। राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश ने स्वागत भाषण और समापन भाषण दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए सदस्यों को संसदीय पद्धति और प्रक्रिया तथा संबंधित मामलों से परिचित कराना है ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें और सदन की कार्यवाही में भाग लेते समय सार्थक योगदान भी करें। दो नए सत्र, यथा *राज्य सभा के समारोहों, कार्यक्रमों और सुविधाओं से परिचित होना;* और *संसदीय कूटनीति* को पहली बार इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम में 29 नवनिर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्यों ने भाग लिया।

ख. सत्र के दौरान, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में सदस्यों की सुविधा और आईटी से संबंधित मुद्दों पर उनके प्रश्नों और चिंताओं के समाधान के लिए राज्य सभा कक्ष के पास सदस्य लाउंज क्षेत्र में एक आईटी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया।

ग. राज्य सभा के सभी सदस्यों के लिए एमपीएलएडी योजना के नए वेब-समाधान के संबंध में कियोस्क/बूथ: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा संसद सत्र के दौरान 22.07.2024 से 12.08.2024 तक कियोस्क/बूथ स्थापित किए गए ताकि एमपीएलएडी योजना के एक नए वेब-समाधान के संबंध में सदस्यों और उनके पीए को आवश्यक जानकारी और सामग्री के प्रावधान की सुविधा मिल सके और उनके प्रश्नों का तुरंत समाधान किया जा सके।

घ. पॉडकास्ट: अंग प्रत्यारोपण पर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया गया और मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया गया । नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए एमपीएलएडी योजना पर दो पॉडकास्ट क्रमशः 11.06.2024 और 31.07.2024 को संसद टीवी पर प्रसारित किए गए।

विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों के भारत दौरे

24 जुलाई 2024 को, सभापति ने अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के अध्यक्ष और तंजानिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डॉ. तुलिया एकसन का स्वागत किया। सभापति ने अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में उनकी सफलता की कामना की और तंजानिया की संसद के सदस्यों, सरकार और तंजानिया की मैत्रीपूर्ण जनता को बधाई और शुभकामनाएं भी दीं। अतिथि विशिष्ट दीर्घा से सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया।

1 अगस्त 2024 को, सभापति ने जापान के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के अध्यक्ष श्री नुकागा फुकुशिरो और उनके शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत किया। सभापति ने जापान की संसद के सदस्यों, सरकार और जापान की मैत्रीपूर्ण जनता को बधाई और शुभकामनाएं दीं। शिष्टमंडल विशिष्ट दीर्घा से सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया।

सत्रावसान

सदन को 9 अगस्त 2024 को *अनिश्चित काल के लिए स्थगित* कर दिया गया और 20 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान कर दिया गया।

सत्र समीक्षा

राज्य विधान मंडल

असम विधान सभा [1]

असम की 15वीं विधान सभा का ग्यारहवां सत्र 22 अगस्त 2024 को शुरू हुआ और 30 अगस्त 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । कुल पांच बैठकें संपन्न हुईं।

विधायी कार्य: सत्र के दौरान निम्नलिखित सत्रह विधेयक पुर:स्थापित, विचार किए गए और पारित किए गए: (एक) द असम एप्रोप्रियेशन (नं. III) बिल, 2024; (दो) द असम शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (रिज़र्वेशन ऑफ वैकेंसीज़ इन सर्विसेज़ एंड पोस्ट्स) (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (तीन) द असम ऑफिशियल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (चार) द असम (टेम्परिली सेटल्ड एरियाज़) टेनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (पांच) द असम लैंड एंड रेवेन्यू रेग्युलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (छह) द असम रिपीलिंग बिल, 2024; (सात) द असम वेटरिनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी बिल, 2024; (आठ) द असम स्किल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (नौ) द मोरान ऑटोनॉमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (दस) द मटक ऑटोनॉमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (ग्यारह) द असम अर्बन वाटर बॉडीज़ (प्रिज़र्वेशन एंड कंजरवेशन) बिल, 2024; (बारह) द असम राइट टू पब्लिक सर्विसेज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (तेरह) द असम एग्रीकल्चरल लैंड (रेग्युलेशन ऑफ रिक्लासिफिकेशन एंड ट्रांसफर फॉर नॉन-एग्रीकल्चरल पर्पज़) (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (चौदह) द असम लैंड एंड रेवेन्यू रेग्युलेशन (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024; (पंद्रह) द असम मोटर व्हीकल टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (सोलह) द असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024; और (सत्रह) द असम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज़ एंड डिवोर्सेज़ बिल, 2024।

[1]असम विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

दिल्ली विधान सभा[2]

दिल्ली की 7वीं विधान सभा के 5वें सत्र का दूसरा भाग 26 सितंबर 2024 को शुरू हुआ और 27 सितंबर 2024 को *अनिश्चित काल के लिए स्थगित* कर दिया गया। कुल मिलाकर दो बैठकें संपन्न हुईं।

विधायी कार्य: सत्र के दौरान, दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2024 पुरःस्थापित किया गया, विचार किया गया और पारित किया गया।

निधन संबंधी उल्लेख: सत्र के दौरान, पूर्व संसद सदस्य और सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता श्री सीताराम येचुरी के निधन, जम्मू और कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमलों में मारे गए सशस्त्र बलों और सीआरपीएफ कर्मियों, तीर्थयात्रियों और लोगों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली हमले में मारे गए एसटीएफ जवानों, मणिपुर में हिंसा में मारे गए पुलिस, सुरक्षा कर्मियों और निवासियों, कुवैत में आग दुर्घटना में मारे गए 45 भारतीयों, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए 10 लोगों और दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भर जाने से मारे गए 3 छात्रों के निधन का उल्लेख किया गया।

गोवा विधान सभा[3]

गोवा की आठवीं विधान सभा का 7वां सत्र 15 जुलाई 2024 को प्रारंभ हुआ और 7 अगस्त 2024 को *अनिश्चित काल के लिए स्थगित* हुआ। इसकी कुल 18 बैठकें हुईं।

विधायी कार्य: इस सत्र के दौरान निम्नलिखित सोलह विधेयक पुरःस्थापित किये गये, उन पर चर्चा की गई और उन्हें पारित किया: (एक) दि गोवा अप्प्रोप्रिएशन (संख्यांक 2) बिल; (दो) दि गोवा अप्प्रोप्रिएशन (संख्यांक 3) बिल, 2024; (तीन) दि गोवा गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024; (चार) दि भारतीय नागरिक सहिंता (गोवा अमेंडमेंट) बिल, 2024; (पांच) दि गोवा इरिगेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (छह) दि गोवा ग्राउंड वाटर रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (सात) दि गोवा कोर्ट-फीस बिल, 2024; (आठ) दि गोवा सक्सेशन, स्पेशल नोटरीज एंड इनवेंटरी प्रोसीडिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (नौ) दि गोवा पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (दस) दि इंडियन स्टाम्प (गोवा अमेंडमेंट) बिल, 2024; (ग्यारह) दि गोवा एस्चीट्स, फॉरफीचर एंड बोना वैकेंटिया बिल, 2024; (बारह) दि गोवा स्टॉफ

[2] दिल्ली विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

[3]गोवा विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

सिलेक्शन कमीशन (सेकंड अमेंडमेंट) बिल; (तेरह) दि गोवा इरेक्शन ऑफ शैक्स ऑन पब्लिक बीचिस (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) बिल, 2024; (चौदह) दि गोवा (वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स) बिल, 2024; (पंद्रह) दि गोवा लैंड रेवेन्यू कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2024; और (सोलह) दि गोवा लेजिस्लेटिव डिप्लोमा संख्या 2070 दिनांक 15-4-1961 (अमेंडमेंट) बिल, 2024।

वित्तीय कार्य: इस सत्र के दौरान, वर्ष 2024-25 के बजट पर 15 से 17 जुलाई 2024 तक सामान्य चर्चा हुई। 17 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने चर्चा का उत्तर दिया। वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई, उन पर मतदान किया गया और पारित किया गया।

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें (पहला बैच) प्रस्तुत की गईं, मतदान किया गया और पारित की गईं।

नागालैंड विधान सभा[4]

नागालैंड की 14वीं विधान सभा का 5वां सत्र 27 अगस्त 2024 को प्रारंभ हुआ और 29 अगस्त 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। इसकी कुल दो बैठकें हुईं।

विधायी कार्य: इस सत्र के दौरान निम्नलिखित छह विधेयक पुरःस्थापित किये गये, उन पर चर्चा की गई और उन्हें पारित किया: (एक) दि नागालैंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (नाइंथ अमेंटमेंट) बिल, 2024; (दो) दि नागालैंड रोड एंड सेफ्टी ऑथोरिटी (सेकंड अमेंटमेंट) बिल, 2024; (तीन) दि नागालैंड म्युनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (चार) दि नागालैंड वर्क-चार्जड एंड कैजुअल एंप्लॉयज रेगुलेशन (फर्स्ट अमेंडमेंट) बिल, 2024; (पांच) दि डिसक्वालीफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इन अर्बन लोकल बाडीज बिल, 2024; और (छह) दि ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024।

निधन संबंधी उल्लेख: सत्र के दौरान, नागालैंड विधान सभा के सभी पूर्व सदस्य, सर्वश्री म्हाओ हमत्सो, एमसी कोन्याक और झेटोवी सेमा के निधन पर मृत्यु संबंधी उल्लेख किए गए।

[4]नागालैंड विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री।

पुदुचेरी विधान सभा[5]

पुदुचेरी की 15वीं विधान सभा का 5वां सत्र 31 जुलाई 2024 को प्रारंभ हुआ और 14 अगस्त 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। इसमें कुल 11 बैठकें हुईं।

उप-राज्यपाल का भाषण: 31 जुलाई 2024 को उप-राज्यपाल, श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने सदन के सदस्यों को संबोधित किया। अभिभाषण के लिए उप-राज्यपाल को धन्यवाद प्रस्ताव श्री ए. जॉनकुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया और श्री वी. अरौमोगामे @ एकेडी द्वारा इसका समर्थन किया गया। उप-राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन द्वारा अंगीकृत किया गया।

विधायी कार्य: इस सत्र के दौरान निम्नलिखित दो विधेयक पुरःस्थापित किए गए, उन पर चर्चा की गयी और उन्हें पारित किया गया: (एक) पुदुचेरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024; और (दो) दि अप्प्रोप्रिएशन (संख्यांक दो) बिल, 2024।

वित्तीय कार्य: 2 अगस्त 2024 को, मुख्यमंत्री, श्री एन. रंगासामी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, ने वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया, इसके पश्चात् 5 और 6 अगस्त 2024 को बजट पर सामान्य चर्चा हुई और 7, 8, 9, 12 और 13 अगस्त 2024 को अनुदानों की मांगों के लिए मतदान किया।

निधन संबंधी उल्लेख: इस सत्र के दौरान, पुदुचेरी विधान सभा के सभी पूर्व सदस्य, सर्वश्री ए. एम. कृष्णमूर्ति और के. अंबाझगन; और केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण मरने वाले लोगों के निधन संबंधी उल्लेख किए गए।।

[5]पुदुचेरी विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य

एक. पुस्तकें

इंडिया, लोक सभा सेक्रेटेरिएट *पार्लियामेंट ऑफ़ इंडिया: कस्टोडियन ऑफ़ डेमोक्रेसी* (नई दिल्ली: लोक सभा सेक्रेटेरिएट) 2024

इंडिया, लोक सभा सेक्रेटेरिएट, *स्पीचेज़ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पार्लियामेंट 2014-2021* (नई दिल्ली: लोक सभा सेक्रेटेरिएट) 2023

भट्टाचार्य ए.के., *इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स: स्टम्बिलंग इन्टू रिफॉर्म्स (1977-1998) (वॉल. 2)* (गुरुग्राम: पेंगुइन बिज़नेस) 2024

भट्टाचर्जी, कल्लोल, *नेहरूज़ फर्स्ट रेक्रुइट्स: दि डिप्लोमैट्स हू बिल्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी* (गुरुग्राम: हार्परकॉलिन्स पब्लिशर्स) 2024

चक्रवर्ती, गोर्की, एड.,*नेगोशिएटिंग बॉर्डर्स एंड बॉर्डरलैंड्स: दि इंडियन एक्सपीरियंस* (हैदराबाद: ओरिएंट ब्लैकस्वान) 2023

चक्रवर्ती, पिनाक रंजन, ट्रांसफॉर्मेशन: एमर्जेंस ऑफ़ बंगलादेश एंड एवोलुशन ऑफ़ इंडिया-बांग्लादेश टाइज़ (नई दिल्ली: केडब्ल्यू पब्लिशर्स) 2024

चटर्जी पार्था, *नेशनलिस्ट थॉट एंड दि कोलोनियल वर्ल्ड: ए डेरीवेटिव डिस्कोर्स* (रानीखेत: पर्मानेंट ब्लैक) 2023

चावण, शेशराव, *बैलेंस शीट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट* (नई दिल्ली: एटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स), 2024

दास गुरचरण, द *डिलेमा ऑफ़ एन इंडियन लिबरल* (नई दिल्ली: स्पीकिंग टाइगर), 2024

दासगुप्ता, संदीप्तो, *लीगलाइजिंग द रिवोल्यूशन: इंडिया एंड द कंस्टीट्यूशन ऑफ पोस्टकोलनी* (कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस), 2024

देवोटा, नील, एडिटर, *एन इंट्रोडक्शन टू साउथ एशियन पॉलिटिक्स (सेकंड एडीशन)* (लंदन: राउटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप), 2024

फर्दौश, अजमेरी, *सोवरेन एटोनमेंट, सिटिज़नशिप, टेरिटरी एंड द स्टेट ऐट द बांग्लादेश-इंडिया बॉर्डर* (कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस), 2024

गांधी, राजमोहन, *फ्रेटरनिटी, कांस्टीट्यूशनल नॉर्म एंड ह्यूमन नीड* (नई दिल्ली: स्पीकिंग टाइगर), 2024

गेवा, रोतेम, *दिल्ली रिबॉर्न: पार्टिशन एंड नेशन बिल्डिंग इन इंडियाज कैपिटल* (नई दिल्ली: स्पीकिंग टाइगर), 2024

जेर्विस, रॉबर्ट एंड अदर्स, एडिटर, *कैओस रीकंसिडर्ड, द लिबरल ऑर्डर एंड द फ्यूचर ऑफ़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स* (न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस), 2023

जियान, चेन, *झोउ एनलई: ए लाइफ* (हार्वर्ड: द बेलक्नैप प्रेस ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), 2024

जोन्स, पेरिस एस., *ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट* (लंदन: राउटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप), 2024

कुमार, एस. नागेश, *वेंकैया नायडू - ए लाइफ इन सर्विस: ए बायोग्राफी ऑफ़ करेज, कमिटमेंट एंड कैलीबर* (हैदराबाद: श्री मुप्पावरप्पू फाउंडेशन), 2024

मोहंती, विजया लक्ष्मी, *प्रेसीडेंट द्रौपदी मुर्मू, ए रिफलेक्शन ऑफ चेंजिंग भारत* (नई दिल्ली: ज्ञान), 2023

मुखर्जी, देब, एडि., *इन डिफेन्स ऑफ़ द रिपब्लिक: अपहोल्डिंग द वैल्यूज़ एट द हार्ट ऑफ़ इंडिया'ज़ डेमोक्रेसी* (नई दिल्ली: स्पीकिंग टाइगर), 2024

नायर, शोभना के., *राम विलास पासवान: द वेदरवेन ऑफ़ इंडियन पॉलिटिक्स* (नई दिल्ली: लोटस कलेक्शन), 2024

पंत, हर्ष वी., एडि., *इंडिया एंड जापान: ए नेचुरल पार्टनरशिप इन द इंडो-पैसिफिक* (तेलंगाना: ओरिएंट ब्लैकस्वान), 2024

प्रभु, नागेश, *मिडल क्लास, मीडिया एंड मोदी: द मेकिंग ऑफ़ अ न्यू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स* (नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स), 2024

राधा कुमार, *द रिपब्लिक रीलर्न्ट: रिन्यूइंग इंडियन डेमोक्रेसी (1947–2024)* (गुरुग्राम: विंटेज), 2024

सैंगर, डेविड ई., *न्यू कोल्ड वॉर्स: चाइनाज़ राइज़, रशियाज़ इन्वेज़न, एंड अमेरिकाज़ स्ट्रगल टू डिफेंड द वेस्ट* (मेलबर्न: स्क्राइब), 2024

श्रीनिवासराजू, सुगाता, *स्ट्रेंजर बर्डन्स: द पॉलिटिक्स एंड प्रेडिकामेंट्स ऑफ़ राहुल गांधी* (गुरुग्राम: विंटेज), 2023

उपाध्याय, उमेश, *वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी* (नई दिल्ली: रूपा पब्लिकेशंस), 2024

अप्टन, रॉबर्ट ई., *द थॉट ऑफ़ बाल गंगाधर तिलक: एन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफ़ी* (ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), 2024

वेबर, थॉमस, *गांधीज़ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियाज़ गांधी* (तेलंगाना: ओरिएंट ब्लैकस्वान), 2024

ज़कारिया, फ़रीद, *एज ऑफ़ रेवोल्यूशन्स: प्रोग्रेस एंड बैकलैश फ्रॉम 1600 टू द प्रेज़ेंट* (डबलिन: ऐलन लेन), 2024

दो. आलेख

अय्यर, मणि शंकर, "लेसन्स फ्रॉम बांग्लादेश", *द वीक*, वॉल. 42, नं. 35, 1 सितंबर 2024, पृ. 16

आलोक प्रसन्न कुमार, "जुडिशियल डिसिप्लिन एंड जुडिशियल अथॉरिटी", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), वॉल. 59, नं. 34, 24 अगस्त 2024, पृ. 10–12

अर्चना देवी, "चेंजिंग कॉनटूर्स ऑफ़ इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी: रिस्पॉन्डिंग टू चाइनाज़ एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 93–97

अरोड़ा, ग़ज़ल, "इंडिया एंड मालदीव्स: चैलेंजेस एंड अपॉर्च्युनिटीज़", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 126–130

बाजपेयी, अरुणोदय, "इंडिया एंड नेबर्स: न्यू चैलेंजेस एंड ओल्ड स्ट्रैटेजीज़", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 29–33।

बरुआ, संजीब कुमार, "बैलेंसिंग एक्ट", *द वीक*, वॉल. 42, नं. 36, 8 सितंबर 2024, पृ. 53–54

बरुआ, संजीब कुमार, "कॉट नैपिंग", *द वीक*, वॉल. 42, नं. 33, 18 अगस्त 2024, पृ. 68

बेहरा, किशोर कुमार, "न्यू ग्लोबल डिसऑर्डर: ए स्टडी ऑफ़ ब्रिक्स ऐज़ एन अल्टरनेटिव टू ब्रेटन वुड्स इंस्टिट्यूशन्स विद इंडियन इम्पेरेटिव", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 536, अगस्त 2024, पृ. 60–65

बेहरा, हरीश चंद्र, "इंडिया–मालदीव्स बाइलेटरल रिलेशन्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्च्युनिटीज़", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 110–113

भद्रकुमार, एम. के., "ऑल–एन्कम्पासिंग हग", *फोर्स* (नोएडा), वॉल. 21, नं. 12, अगस्त 2024, पृ. 4 – 5

भट्टाचार्य, सतरूपा, "हिमालयन चैलेंज", *द वीक*, वॉल. 42, नं. 29, 21 जुलाई 2024, पृ. 76 – 78

भट्टाचार्य, सतरूपा, "द ड्रैगन–टाइगर टैंगो", *द वीक*, वॉल. 42, नं. 29, 21 जुलाई 2024, पृ. 71–75

बिंद्रा, एस.एस. और सिंह, देविना, "इंडिया'ज़ स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट इन द साउथ चाइना सी", *योजना*, वॉल. 68, नं. 8, अगस्त 2024, पृ. 67– 69

चक्रवर्ती, मानस, "इंडिया–नेपाल बाइलेटरल रिलेशनशिप: विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिक रिलेशनशिप", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 23–28

चक्रवर्ती, त्रिदिब और विश्वास, एना, "एक्सप्लोरिंग द रेलिवेंस ऑफ़ नॉन–अलाइनमेंट इन द 21स्ट सेंचुरी: ए रिएलिटी क्रिस्क्रॉस", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 536, अगस्त 2024, पृ.11–17

चक्रवर्ती, मोहर, "कॉनटूर्स ऑफ़ इंडो–बांग्लादेश कनेक्टिविटी कोऑपरेशन: इम्प्लिकेशन्स फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड रीजनल डेवलपमेंट", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 39 – 45

चक्रवर्ती, पिनाक रंजन, "नेबरहुड वॉच", *द वीक*, वॉल. 42, नं. 33, 18 अगस्त 2024, पृ. 66 – 67

चंद्रशेखर, सी. पी., "पॉलिसी डिलेमा फॉर मोदी 3.0", *फ्रंटलाइन* (चेन्नई), वॉल. 41, नं. 13, 12 जुलाई 2024, पृ. 78 – 79

चंद्रशेखर, सी. पी., "पॉलिटिक्स ओवर द पर्स", *फ्रंटलाइन* (चेन्नई), वॉल. 41, नं. 17, 6 सितंबर 2024, पृ. 16 – 21

चेंगप्पा, राज, "द एजेंडा फॉर टीम मोदी 3.0", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 26, 24 जून 2024, पृ. 14–21

चेंगप्पा, राज, "व्हाई इंडिया शुड वरी, नेबर्स", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 34, 18 अगस्त 2024, पृ. 20–31

चेनॉय, अनुराधा, "ग्लोबल नाटो एंड द एक्सपैंडिंग थियेटर्स ऑफ़ एस्केलेशन", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), वॉल. 59, नं. 30, 27 जुलाई 2024, पृ. 10–12

दीपक, बी.आर., "लेसन्स फ्रॉम द पास्ट", द *वीक*, वॉल. 42, नं. 29, 21 जुलाई 2024, पृ. 82–87

डेका, कौशिक, "कन्सेन्सस कॉल", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 26, 24 जून 2024, पृ. 71

डेका, कौशिक, "बिल्डिंग लीगल मसल", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 26, 24 जून 2024, पृ. 70

डेका, कौशिक, "कोड्स ऑफ़ कंटेंशन", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 29, 15 जुलाई 2024, पृ. 7 – 9

देवी, जी. एन., "सलाम, इंडियन वोटर्स", *फ्रंटलाइन* (चेन्नई), वॉल. 41, नं. 12, 28 जून 2024, पृ. 46 – 47

दीक्षित, कनक मणि, "द डिप्लोमेसी डेबेकल", *डाउन टू अर्थ* (नई दिल्ली), वॉल. 41, नं. 18, 20 सितंबर 2024, पृ. 42 – 45

फ्रेडी, हांस जे., "इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक चॉइसेज़, फ्रॉम नॉन–अलाइनमेंट टू स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), वॉल. 59, नं. 30, 27 जुलाई 2024, पृ. 138 –144

घोष, मृदुला, "अ हिस्टोरिक विज़िट इन अ हरी", द *वीक*, वॉल. 42, नं. 36, 8 सितंबर 2024, पृ. 50–51

गौड़ा, चंदन, "मूव्स ऑफ़ द साउथ", *आउटलुक*, वॉल. 64, नं. 18, 21 जून 2024, पृ. 24–26

गुहा, सीमा, "बिहाइंड द बर्मा कर्टन", *आउटलुक*, वॉल. 54, नं. 25, 1 सितंबर 2024, पृ. 54 – 55

जठार, ज्ञानेश, "रेस्ट अशोर्ड, महाराष्ट्र", द *वीक*, वॉल. 42, नं. 20, 19 मई 2024, पृ. 16 – 23

ज्योति कुमारी, "विंड्स ऑफ़ चेंज इन ग्लोबल गवर्नेंस: द राइज़ ऑफ़ द ग्लोबल साउथ", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल.45, नं. 536, अगस्त 2024, पृ. 107 – 111

कंबोज, अनिल, "जियोपॉलिटिक्स इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 5 – 10

खान, मोहम्मद आसिफ, "पे बैक टाइम", *फोर्स* (नोएडा), वॉल. 21, नं. 11, जुलाई 2024, पृ. 40 – 43

खरे, हरीश, "न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक", *आउटलुक*, वॉल. 64, नं. 18, 21 जून 2024, पृ. 16 – 17

खूंटिया, सुभास्मिता और नरसैया, रूवुरु, "एन एनालिसिस ऑफ़ आर्टिकल 356 इन कोएलिशन एरा ऑफ़ इंडियन पॉलिटिक्स", *इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन* (नई दिल्ली), वॉल. 70, नं. 2, जून 2024, पृ. 285 – 298

किकुची, मसारोरी, "हाउ डज़ वॉर अफेक्ट कल्चरल टॉलरेन्स? एविडेंस फ्रॉम कॉन्सर्ट प्रोग्राम्स 1900–60", *जर्नल ऑफ़ पीस रिसर्च* (लंदन), वॉल. 61, नं. 2, मार्च 2024, पृ. 163 – 179

मजुमदार, अर्खमय दत्त, "द राज भवन स्टैंड-ऑफ़", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 33, 12 अगस्त 2024, पृ. 5 – 6

मेलवानी, लावीना, "एंग्री यंग अमेरिका", द *वीक*, वॉल. 42, नं. 21, 26 मई 2024, पृ. 74 – 77

मिश्रा, अजय कुमार, "इंडिया'ज़ नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी विद चाइना", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 88 – 92

मिश्रा, आनंद, "द चेंजिंग फेस ऑफ़ दलित पॉलिटिक्स", *फ्रंटलाइन* (चेन्नई), वॉल. 41, नं. 13, 12 जुलाई 2024, पृ. 38 – 44

मिश्रा, सोनी, "रागा फाइंड्स रिफॉर्म्स", द *वीक*, वॉल. 42, नं. 27, 7 जुलाई 2024, पृ. 36 – 47

मित्रा, सुभाशीष, "होल्डिंग पीस", *फोर्स* (नोएडा), वॉल. 21, नं. 12, अगस्त 2024, पृ. 54 – 55

मोहम्मद, मुअज़्ज़म, "अ फ्रैक्चर्ड कंस्टीटुएंसी", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 21, 20 मई 2024, पृ. 10

मोहम्मद, मुअज़्ज़म, "ब्रिजिंग द डिवाइड", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 34, 18 अगस्त 2024, पृ. 16 - 17

मोहापात्रा, अनिल कुमार और मोहापात्रा, अनिकेत, "सिचुएटिंग बलूचिस्तान बिटवीन नेबर्स' वेरी आइज़ एंड सेल्फ-वरीज़", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 14 – 17

मजूमदार, औनोहिता, "बिहाइंड द माउंटेन्स देयर आर मोर माउंटेन्स", *आउटलुक*, वॉल. 54, नं. 25, 1 सितंबर 2024, पृ. 56 – 57

नांबियार, जयसंकरण, "अपडेट एंड अपग्रेड", द *वीक*, वॉल. 42, नं. 34, 25 अगस्त 2024, पृ. 25

नंदकुमार, प्रथिमा, "टू ऑफ़ अ काइंड", द *वीक*, वॉल. 42, नं. 28, 14 जुलाई 2024, पृ. 18 – 19

नरसिम्हन, एस.एल., "पावर गेम", द *वीक*, वॉल. 42, नं. 29, 21 जुलाई 2024, पृ. 79 – 81

निगम, आदित्य, "बर्डन ऑफ़ एलाइज़", *आउटलुक*, वॉल. 64, नं. 18, 21 जून 2024, पृ. 12 – 14

ऊम्मेन, एम.ए., "ए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया स्टडी ऑन ग्राम पंचायत फाइनेंसेज़", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), वॉल. 50, नं. 36, 7 सितंबर 2024, पृ. 12 – 13

ओसरमैन, फाल्क, "इंट्रोड्यूसिंग द पार्लियामेंटरी डिप्लॉयमेंट वोट्स डेटाबेस", *जर्नल ऑफ़ पीस रिसर्च* (लंदन), वॉल. 61, नं. 2, मार्च 2024, पृ. 304 – 316

पाई, संतोष, "नेबर्स विद बेनेफिट्स", द *वीक*, वॉल. 42, नं. 29, 21 जुलाई 2024, पृ. 88 – 91

पांडा, स्नेहलता, "जियोपॉलिटिक्स डिफाइनिंग इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 536, अगस्त 2024, पृ. 25 – 29

पटेल, पंकज कुमार और सेखर, टी.वी., "यंग इंडिया, एजिंग पार्लियामेंट", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), वॉल. 59, नं. 31, 3 अगस्त 2024, पृ. 13 – 17

प्रधान, रामकृष्ण एंड अदर्स, "आर्ट ऑफ डिप्लोमैटिक नेगोशिएशंस: द रोल ऑफ मिलिटरी - इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज़ इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 536, अगस्त 2024, पृ. 5 – 10

पूजा कुमारी, "इंडियन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी एंड जनरल इलेक्शंस", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 121–125

क़ादरी, इम्तियाज़, "द चेंजिंग फेस ऑफ़ इंडियन इलेक्शंस: नोट्स ऑन द लोक सभा इलेक्शंस", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), वॉल. 59, नं. 32, 10 अगस्त 2024, पृ. 10–14

राजलक्ष्मी, टी.के., "ऑल चेंज इज़ नॉर रिफॉर्म", *फ्रंटलाइन* (चेन्नई), वॉल. 41, नं. 15, 9 अगस्त 2024, पृ. 68–71

राजलक्ष्मी, टी.के., "हाउ वीमेन वोटेड", *फ्रंटलाइन* (चेन्नई), वॉल. 41, नं. 12, 28 जून 2024, पृ. 29 – 34

राणा, हेमाद्रि सिंह, "पॉलिटिक्स ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी एंड फ्यू एथिकल कंसिडरेशंस: ए केस ऑफ़ कूप रिफ्यूज़ीज़ फ्रॉम म्यांमार इन इंडिया", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), वॉल. 59, नं. 31, 3 अगस्त 2024, पृ. 18 – 21

रंजन, अभिषेक, "राइज़ ऑफ़ द रीजनल्स", *फ्रंटलाइन* (चेन्नई), वॉल. 41, नं. 13, 12 जुलाई 2024, पृ.10–21

ऋषि, श्रद्धा और मिश्रा, अजय कुमार, "इंडिया–ईयू कोऑपरेशन इन रिस्ट्रक्चरिंग मल्टीनेशनल इंस्टिट्यूशंस", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 536, अगस्त 2024, पृ. 85 – 89

रिसे, टोबियास, "ए शिफ्ट टुवर्ड्स स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी", *उदय इंडिया* (नई दिल्ली), वॉल. 15, नं. 21–22, अप्रैल–मई 2024, पृ. 10–11

रिसे, टोबियास, "एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड स्टेट सपोर्ट फॉर आर्म्स कंट्रोल", *जर्नल ऑफ़ पीस रिसर्च* (लंदन), वॉल. 61, नं. 2, मार्च 2024, पृ. 214 – 227

रूपक कुमार, "नेवर लेट ए सीरियस क्राइसिस गो टू वेस्ट", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), वॉल. 59, नं. 32, 10 अगस्त 2024, पृ. 19 – 23

सागर, प्रदीप आर., "फायरपावर, मेड इन इंडिया", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 26, 24 जून 2024, पृ. 24 – 25

सागर, प्रदीप आर., "स्ट्राइकिंग ए फाइन बैलेंस", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 26, 24 जून 2024, पृ. 28 – 29

साहू, प्रिय रंजन, "इनिंग्स डिफीट", *आउटलुक*, वॉल. 64, नं. 18, 21 जून 2024, पृ. 36 – 37

संजीव कुमार, "इंडियाज़ आउटरिच टू श्रीलंका एंड स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 98–103

सनवाल, मुकुल, "कंटिन्युइंग फेल्योर ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (मुंबई), वॉल. 59, नं. 28, 13 जुलाई 2024, पृ. 26–27

सरकार, नीलाद्री, "लेंडर टू लीडर", *द वीक*, वॉल. 42, नं. 33, 18 अगस्त 2024, पृ. 62–63

साहनी, प्रवीन, "25 इयर्स ऑफ कारगिल", *फोर्स* (नोएडा), वॉल. 21, नं. 10, जून 2024, पृ. 4–9

साहनी, प्रवीन, "द इल्यूजन", *फोर्स* (नोएडा), वॉल. 21, नं. 11, जुलाई 2024, पृ. 6–11

साहनी, प्रवीन, "रॉंग साइड ऑफ जियोपॉलिटिक्स", *फोर्स* (नोएडा), वॉल. 21, नं. 12, अगस्त 2024, पृ. 80

सेखरी, अभिनव, "हर्ष रिएलिटीज़, बीएनएस, केस पेंडेंसी एंड अदर प्रॉब्लम्स", *आउटलुक*, वॉल. 64, नं. 21, 21 जुलाई 2024, पृ. 62–63

सेतुरमन, वेंकटनारायणन, "अ वोट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़", *फ्रंटलाइन* (चेन्नई), वॉल. 41, नं. 13, 12 जुलाई 2024, पृ. 58–59

शर्मा, मोहित, "बिटर हार्वेस्ट", *द वीक*, वॉल. 42, नं. 21, 26 मई 2024, पृ. 68–69।

शर्मा, आर.सी., "द डिवाइडिंग लाइन", *फोर्स* (नोएडा), वॉल. 21, नं. 12, अगस्त 2024, पृ. 56–58

सियाल, परशुराम, "इंडिया-बांग्लादेश रिलेशंस: रीसेंट क्राइसिस एंड इट्स इम्प्लिकेशंस ऑन इंडिया", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 53–57

सिकरी, वीणा, "हसीनाज़ बिग चैलेंज", *इंडिया टुडे*, वॉल. 49, नं. 33, 12 अगस्त 2024, पृ. 12

सिंह, अमिताभ और दीक्षित, अंकुर, "इंडिया-नेपाल: रिपर्पज़िंग रिलेशंस", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 537, सितंबर 2024, पृ. 65–69

सिंह, गुरजीत, "कॉज़ एंड इफेक्ट", *आउटलुक*, वॉल. 54, नं. 25, 1 सितंबर 2024, पृ. 40–41

सिंह, के.सी., "स्विंगिंग पिच", *द वीक*, वॉल. 42, नं. 32, 11 अगस्त 2024, पृ. 44–45

सिंह, सतीश, "ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ इन रूरल इंडिया", *कुरुक्षेत्र*, वॉल. 72, नं. 11, सितंबर 2024, पृ. 13 –19

सरकार, जवाहर, "द वॉयस ऑफ 63%", *आउटलुक*, वॉल. 64, नं. 24, 21 अगस्त 2024, पृ. 66

टिपनिस, ए.वाई., "अ टेस्ट ऑफ ग्लोरी", *फोर्स* (नोएडा), वॉल. 21, नं. 10, जून 2024, पृ. 12–18

टॉर्स्टाड, वेगर, "कैन ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेंथन द लेजिटिमेसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन्स? एविडेंस फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल", *जर्नल ऑफ पीस रिसर्च* (लंदन), वॉल. 61, नं. 2, मार्च 2024, पृ. 228–245

त्रिपाठी, सुधांशु, "चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर: इमर्जिंग ईस्ट एंड इंडिया", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 536, अगस्त 2024, पृ. 42–46

वेंकलेश्वरन, एल., "इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट", *वर्ल्ड फोकस*, वॉल. 45, नं. 535, जुलाई 2024, पृ. 5–13

वोहरा, परोमिता, "रीइन्वेंटिंग राहुल", *फ्रंटलाइन* (चेन्नई), वॉल. 41, नं. 13, 12 जुलाई 2024, पृ. 33–37

परिशिष्ट एक

अठारहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

1.	सत्र की अवधि	22.07.2024 से 09.08.2024
2.	सत्र के दौरान हुई बैठकों की संख्या	15
3.	बैठक के घंटों की कुल संख्या	115 घंटे 21 मिनट
4.	व्यवधान/स्थगन के कारण हुई समय की बर्बादी	02 घंटे 06 मिनट
5.	सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए सभा की देर तक बैठक	32 घंटे और 45 मिनट
6.	सरकारी विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	शून्य
(ii)	पुरःस्थापित	12
(iii)	राज्य सभा द्वारा यथापारित सभापटल पर रखे गए	शून्य
(iv)	राज्य सभा द्वारा किसी संशोधन/सिफारिश के साथ लौटाए गए और सभा पटल पर रखे गए	शून्य
(v)	जिन पर चर्चा हुई	4
(vi)	पारित	4
(vii)	वापस लिए गए	शून्य
(viii)	अस्वीकृत	शून्य
(ix)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
(x)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के लौटाए गए	3
(xi)	सत्र के अंत में लंबित	8

7.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	शून्य
(ii)	पुरःस्थापित	65
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	1
(iv)	पारित	शून्य
(v)	वापस लिए गए	शून्य
(vi)	अस्वीकृत	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	1
(viii)	सत्र के अंत में लंबित	65
8.	नियम 184 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	102
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
9.	नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों की संख्या	358
10.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की संख्या	400
11.	नियम 193 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	15
(ii)	गृहीत	1
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	1
(iv)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	1
12.	नियम 197 के अधीन दिए गए वक्तव्यों की संख्या	1

13.	मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य	30
14.	स्थगन प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	113
(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	113
(iii)	गृहीत	शून्य
15.	ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए मामलों की संख्या	1
16.	सरकारी संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
17.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	6
(ii)	गृहीत	6
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	1
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	1
18.	सरकार के प्रस्ताव	

(i)	प्राप्त सूचनाएं	6
(ii)	गृहीत	6
(iii)	प्रस्तुत और जिन पर चर्चा हुई	6
(iv)	स्वीकृत	6
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
19.	विशेषाधिकार प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	2
(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	शून्य
(iii)	माननीय अध्यक्ष की सहमति प्राप्त नहीं	शून्य
(iv)	माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी	शून्य
20.	सत्र के दौरान जारी किए गए आगंतुक पास की कुल संख्या	शून्य
21.	सत्र के दौरान संसदीय संग्रहालय में आगंतुकों की कुल संख्या	शून्य
22.	गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या	
(i)	तारांकित	280
(ii)	अतारांकित	3218
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न	शून्य
(iv)	आधे घंटे की चर्चा	शून्य

23. संसदीय समितियों का कार्यकरण

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	3	3
(ii)	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(iii)	महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(iv)	प्राक्कलन समिति	4	शून्य
(v)	आचार समिति	शून्य	शून्य
(vi)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(vii)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीएलएडीएस)	शून्य	शून्य
(viii)	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(ix)	याचिका समिति	शून्य	शून्य
(x)	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xi)	विशेषाधिकार समिति	शून्य	शून्य
(xii)	लोक लेखा समिति	3	शून्य

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(xiii)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	5	शून्य
(xiv)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xv)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	2	शून्य
(xvi)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xvii)	आवास समिति	1	शून्य
(xviii)	ग्रंथालय समिति	शून्य	शून्य
(xix)	रेल अभिसमय समिति	शून्य	शून्य
(xx)	नियम समिति	शून्य	शून्य
(xxi)	अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति	5	शून्य

संयुक्त/प्रवर समिति

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	शून्य	शून्य
(ii)	संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति	शून्य	शून्य

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(ii)	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(iii)	कोयला, खनन और इस्पात संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(iv)	रक्षा संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(v)	ऊर्जा संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(vi)	विदेशी मामलों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(vii)	वित्त संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(viii)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(ix)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(x)	श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xi)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xii)	रेल संबंधी समिति	शून्य	शून्य

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(xiii)	ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xiv)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xv)	आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xvi)	जल संसाधन संबंधी समिति	शून्य	शून्य

परिशिष्ट दो

राज्य सभा के दो सौ पैंसठवें सत्र के दौरान किए गए कार्य को दर्शाने वाला विवरण

1.	सत्र की अवधि	22.07.2024 से 09.08.2024
2.	बैठकों की संख्या	15
3.	बैठकों की कुल अवधि	93 घंटे 01 मिनट
4.	मत विभाजन की संख्या	1
5.	सरकारी विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	20
(ii)	पुरःस्थापित	2
(iii)	लोक सभा द्वारा यथापारित सभा पटल पर रखे गये पत्र	3[1]
(iv)	लोक सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाए गए	शून्य
(v)	राज्य सभा द्वारा प्रवर समिति को भेजे गए	शून्य
(vi)	राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति को भेजे गए	शून्य[2]

[1]लोक सभा द्वारा 09.08.2024 को भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के पारित होने संबंधी संदेश को राज्य सभा में नहीं रखा जा सका और न ही लोक सभा द्वारा पारित विधेयक को राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जा सका, क्योंकि लोक सभा से इसके पारित होने का संदेश राज्य सभा के 265वें सत्र के अंतिम दिन यानी 09.08.2024 को राज्य सभा की सत्रावसान के बाद प्राप्त हुआ। तथापि, प्रथा के अनुसार यह संदेश 09.08.2024 के संसदीय समाचार भाग-दो संख्या 64739 में सदस्यों के सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया गया था और इसे आगामी 266वें सत्र के पहले दिन सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।

[2]राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को, जैसा कि लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित करने हेतु पारित प्रस्ताव का समर्थन किया और उक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों को नामित किया।

(vii)	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को भेजे गए	शून्य
(viii)	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(ix)	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(x)	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(xi)	जिन पर चर्चा की गई	3
(xii)	पारित/लौटाए गए	3
(xiii)	वापस लिए गए	1
(xiv)	अस्वीकृत	शून्य
(xv)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	शून्य
(xvi)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के लौटाए गए	03
(xvii)	चर्चा स्थगित हुई	शून्य
(xviii)	सत्र के अंत में लंबित	22
6.	**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक**	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	18[3]
(ii)	पुरःस्थापित	शून्य
(iii)	लोक सभा द्वारा यथा पारित सभा पटल पर रखे गये	शून्य
(iv)	लोक सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाए गए और सभा पटल पर रखे गये	शून्य
(v)	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(vi)	जिन पर चर्चा की गई	शून्य
(vii)	वापस लिए गए	शून्य
(viii)	पारित	शून्य
(ix)	अस्वीकृत	शून्य
(x)	राय जानने के लिए परिचालित किए गए	शून्य

[3]एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक, यथा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 158 का संशोधन) जिसे डॉ. जॉन ब्रिटास, सांसद द्वारा पुरःस्थापित किया जाना था, प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि गैर-सरकारी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु लाया गया प्रस्ताव विभाजन के पश्चात अस्वीकृत हो गया।

(xi)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	01[4]
(xii)	चर्चा स्थगित/स्थगन/विलम्बित/समाप्त	शून्य
(xiii)	विधेयक को परिचालित करने संबंधी अस्वीकृत हुए प्रस्ताव	शून्य
(xiv)	प्रवर समिति को सौंपे गए	6
(xv)	विधेयक के प्रभारी सदस्य की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु के कारण व्यपगत हुए विधेयक	142
(xvi)	सत्र के अंत तक लंबित	130
7.	**नियम 176 के अधीन की गई चर्चाओं की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले)**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	08
(ii)	गृहीत	01
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
8.	**नियम 180 के अधीन दिए गए वक्तव्यों की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण)**	
(i)	मंत्रियों द्वारा दिए गए/रखे गए वक्तव्य	शून्य
(ii)	आधे घंटे की चर्चा	शून्य
9.	**सांविधिक संकल्प**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	01
(ii)	गृहीत	01
(iii)	प्रस्तुत किए गए	01
(iv)	अंगीकृत	01

[4]एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक (पीएमबी), यथा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 16 का संशोधन), जिसे श्री जावेद अली खान, सांसद द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पर चर्चा 26.07.2024 को प्रारंभ हुई, किंतु निर्धारित समय समाप्त हो जाने के कारण चर्चा पूर्ण नहीं हो सकी। तत्पश्चात्, संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा नियम 117 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव को 8 अगस्त, 2024 को राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, उक्त विधेयक पर चर्चा को राज्य सभा के आगामी 266वें सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित किसी दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य
10.	**सरकारी संकल्प**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए	शून्य
(iv)	अंगीकृत	शून्य
11.	**गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	04
(ii)	गृहीत	03
(iii)	जिन पर चर्चा की गई	01
(iv)	वापस लिए गए	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	अंगीकृत	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	शून्य
(viii)	चर्चा स्थगित हुई	शून्य
12.	**सरकारी प्रस्ताव**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए और जिन पर चर्चा की गई	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	शून्य
13.	**गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए	शून्य
(iv)	अंगीकृत	शून्य
(v)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	शून्य

(vi)	अस्वीकृत	शून्य
(vii)	वापस लिए गए	शून्य
14.	**सांविधिक नियम में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव**	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत किए गए	शून्य
(iv)	अंगीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गई	शून्य
(viii)	व्यपगत	शून्य
15.	संसदीय समिति, यदि कोई गठित की गई, की संख्या, नाम और तिथि	शून्य
	कुल समितियाँ: 3 अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सीओएसएल), याचिकाओं संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति गठन की तिथि: 22.10.2024	
16.	**आगंतुकों को जारी किये गए प्रवेश पत्रों की कुल संख्या**	441
17.	किसी एक दिन में आगंतुकों को जारी किए गए प्रवेश पत्रों की अधिकतम संख्या और उनके जारी किए जाने की तारीख	09.08.2024 को 74
18.	**गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या**	
(i)	तारांकित	210
(ii)	अतारांकित	2237
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न	शून्य
19.	**मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा**	शून्य

20.	**संसदीय समितियों का कार्यकरण**		
क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	05	शून्य
(ii)	आचार समिति	शून्य	शून्य
(iii)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	03	01
(iv)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीएलएडीएस)	शून्य	शून्य
(v)	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(vi)	याचिका समिति	01	शून्य
(vii)	विशेषाधिकार समिति	शून्य	शून्य
(viii)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(ix)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(x)	आवास समिति	शून्य	शून्य
(xi)	राज्य सभा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xii)	नियम समिति	शून्य	शून्य

21.	**विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां**		
क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
(i)	वाणिज्य	शून्य	शून्य
(ii)	गृह	शून्य	शून्य
(iii)	शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा एवं खेल	शून्य	शून्य

क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या
(iv)	उद्योग	शून्य	शून्य
(v)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	शून्य	शून्य
(vi)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति	शून्य	शून्य
(vii)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शून्य	शून्य
(viii)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय	शून्य	शून्य

22.	ऐसे सदस्यों की संख्या जिन्हें सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई	04
23.	प्रस्तुत याचिकाएं	शून्य

24.	**शपथ लेने वाले नए सदस्यों के नाम तिथि सहित**		
क्रम सं.	शपथ लेने वाले सदस्यों के नाम	सम्बद्ध दल	शपथ लेने की तिथि
	शून्य	-	-

25.	**निधन संबंधी उल्लेख**	
क्रम सं.	नाम	वर्तमान सदस्य/पूर्व सदस्य
1.	श्री पी. कन्नन	पूर्व सदस्य
2.	श्री प्रभात झा	पूर्व सदस्य
3.	महामहिम गुयेन फु त्रोंग	वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव

परिशिष्ट - तीन

1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प **	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स	22.08.2024 से 30.08.2024	5	17(17)	1	388(388)	222(221)	24(8)
बिहार वि.स.	22.07.2024 से 26.07.2024	5	7(7)	-	937(744)	(109)	63(17)

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
बिहार वि.प.	22.07.2024 से 26.07.2024	5	7(7)	-	336(311)	-	104(101)
छत्तीसगढ़ वि.स.	22.07.2024 से 26.07.2024	5	3(3)	-	492(454)	474(447)	-
गोवा वि.स.	15.07.2024 से 07.08.2024	18	22(16)	-	986(986)	2230(2230)	-
गुजरात वि.स.	21.08.2024 से 23.08.2024	3	5(5)	-	3(2)	82(30)	-
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	27.08.2024 से 10.09.2024	11	25(25)	-	640(480)	296(249)	-

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
झारखंड वि.स.	08.07.2024 से 02.08.2024 26.07.2024	1 6	5(5)	-	9(8)	-	280(204)
कर्नाटक वि.स.	15.07.2024 से 25.07.2024	8	13(14)	1	135(135)	1902(1902)	-
कर्नाटक वि.प.	15.07.2024 से 25.07.2024	8	14(14)	-	779(120)	472(1131)	-
केरल वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश वि.स.	01.07.2024 से 05.07.2024	5	11(11)	-	2108(1974)	2179(2023)	1
महाराष्ट्र वि.स.	27.06.2024 से 12.07.2024	13	10(8)	1	337	89(53)	12

*राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से प्राप्त सूचना में शून्य रिपोर्ट शामिल है।

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
महाराष्ट्र वि.प.	27.06.2024 से 12.07.2024	13	3(3)	1	427	19(1)	-
मणिपुर वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	20.08.2024 से 21.08.2024	2	5(5)	-	273(263)	17(17)	-
नागालैंड वि.स.	27.08.2024 से 29.08.2024	2	6(6)	-	17(17)	9(9)	-
ओडिशा वि.स.	22.07.2024 से 31.07.2024 20.08.2024 से 11.09.2024	25	3(3)	-	2974(2630)	3534(5193)	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
पंजाब वि.स.	02.09.2024 से 04.09.2024	3	6(6)	-	277(161)	125(73)	4
राजस्थान वि.स.	03.07.2024 से 06.08.2024	22	5(3)	-	1464(1414)	2069(2019)	-
सिक्किम वि.स.	05.08.2024 से 09.08.2024	4	8(8)	-	-	-	-
तमिलनाडु वि.स.	-	-	-	-	119(699)	-	-
तेलंगाना वि.स.	23.07.2024 से 02.08.2024	9	5(5)	-	282	51	-
तेलंगाना वि.प.	24.07.2024 से 02.08.2024	6	(5)	-	(103)	(1)	-
त्रिपुरा वि.स.	04.09.2024 से 06.09.2024	3	3(3)	-	397(147)	369(397)	2
उत्तर प्रदेश वि.स.	29.07.2024 से 01.08.2024	4	12(12)	-	560(347)	1905(1793)	26(1)

विधान मंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
उत्तर प्रदेश वि.प.	29.07.2024 से 01.08.2024	4	12(11)	-	154(143)	138(136)	15(13)
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	22.07.2024 से 03.09.2024	14	3(3)	-	1225(822)	22(19)	-
संघ राज्यक्षेत्र							
दिल्ली वि.स.	26.09.2024 से 27.09.2024	2	1(1)	-	-	-	-
पुदुचेरी वि.स.	31.07.2024	11	2(2)	-	252(252)	165(162)	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

परिशिष्ट तीन (जारी)

1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान समितियों के कार्य/बैठकों की संख्या और प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/प्रवर समिति	अन्य समितियां
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र																
आंध्र प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/प्रवर समिति	अन्य समितियां
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	2(2)	2(1)	3	-	-	7(1)	3(1)	1	-	-	-	-	4(2)	1(1)	-	2(क)
बिहार वि.स.	-	11(2)	15	11	-	13	20	11	15	-	11	13	21	-	-	195(ख)

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/प्रवर समिति	अन्य समितियां
बिहार वि.प.	-	11	11	11(1)	-	-	11	11	-	11	11	11	-	-	-	122(1)[ग]
छत्तीसगढ़ वि.स	1(1)	1	-	1	1	3	3	-	5	-	-	1	2	-	-	2[घ]
गोवा वि.स.	1(1)	1(1)	-	-	-	1	-	-	4	-	3	-	1	-	-	1 [ङ]
गुजरात वि.स.	1(1)	4	1	-	-	2(1)	4(1)	7(3)	3(1)	-	5	-	17(1)	-	-	10(2)[च]

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/प्रवर समिति	अन्य समितियां
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	2(2)	-	-	-	-	5	3(2)	8(3)	5(2)	1	-	-	10 (21)	-	-	29(10)(छ)
झारखंड वि.स.	-	9	2(1)	-	-	-	10(1)	10	10	10	9	8	12	-	-	96(ज)
कर्नाटक वि.स.	1	13(2)	8	1(1)	9	10	11	11(1)	11 (1)	-	8	1	9	1(1)	7	41(4)(झ)

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/प्रवर समिति	अन्य समितियां
कर्नाटक वि.प.	-	10	9	-	7	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	4(ञ)
केरल वि.स.	-	8	7	2	1	12	5	9	16	-	13	3	10	-	-	98(ट)
मध्य प्रदेश वि.स.	2(2)	2	-	2(1)	1	-	-	1	2	-	3	2	-	-	-	7(ठ)

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र																
महाराष्ट्र वि.स.	-	-	-	-	2(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र वि.प.	1	1(1)	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मणिपुर वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	1(1)	3(2)	3(1)	-	-	2	1	-	2	1	1	-	10(3)	-	-	18(2)(ङ)
नागालैंड वि.स.	1	1(4)	-	-	-	2(9)	1(2)	-	-	-	2	1	4(6)	-	-	-
ओडिशा वि.स.	3(3)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24(39)(ढ़)

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
पंजाब वि.स.	1(1)	10	9	-	14(1)	12	6	9	13	1	8	9	-	7	-	45(ण)
राजस्थान वि.स.	5(5)	11	18(8)	-	16	16(2)	10	27	21(2)	-	11	9	11	1	-	95(त)
सिक्किम वि.स.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
तमिलनाडु वि.स.	-	6	3	-	-	6	-	-	6	-	2	1	11	-	-	6(थ)
तेलंगाना वि.स.	1(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
तेलंगाना वि.प.	1(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा वि.स.	1(1)	1	1(1)	-	3(1)	(1)	1	2	1	-	-	2	4	-	-	-
उत्तर प्रदेश वि.स.	3(3)	5(1)	10(5)	-	-	11(7)	6	18	11	-	-	-	13(8)	-	-	25(6)[ङ]
उत्तर प्रदेश वि.प.	1	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	61[घ]
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	6(6)	11	6	-	6	10(1)	6	-	14	-	12	6(1)	7(2)	-	-	269(5)[ञ]

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
संघ राज्यक्षेत्र																
दिल्ली वि.स.	-	-	4	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1(घ)
पुदुचेरी वि.स.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

(क) स्थानीय निधि लेखा समिति - 1 और अधिनियम कार्यान्वयन समिति - 1

(ख) प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति - 11, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति - 11, निवेदन समिति - 12, आंतरिक संसाधनों संबंधी समिति-29, महिला एवं बाल कल्याण समिति - 15, कृषि विकास उद्योग समिति - 29, पर्यटन उद्योग संबंधी समिति - 20, शून्य काल समिति - 11, आचार समिति - 11, बिहार विरासत विकास समिति - 11, अल्पसंख्यक कल्याण समिति - 21 और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति - 15

(ग) सभा पटल पर रखे गए पत्र -11, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति -11, मानवाधिकार समिति -11, जिला परिषद समिति -11, शून्य काल समिति -11, आचार समिति -11(1), निवेदन समिति -11, राजभाषा समिति -11, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास समिति - 12, वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक संसाधन समिति -11 और कार्यान्वयन समिति -11

(घ) स्थानीय निकायों और पंचायती राज लेखा संबंधी समिति-2

(ङ) प्रवर समिति-1

(च) पंचायती राज समिति - 3, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु कल्याण समिति - 3(1), सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति - 3 और सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति 1(1)

(छ) स्थानीय निधि लेखा समिति - 5(1), लोक प्रशासन समिति -5(2), मानव विकास समिति - 7(2), सामान्य विकास समिति - 9(2) और ग्रामीण योजना समिति - 3(3)

(ज) आंतरिक संसाधन राजस्व और केंद्रीय सहायता समिति -5, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति -11, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति - 10, महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति -12, निवेदन समिति -10, विधायक निधि निगरानी समिति -11, युवा संस्कृति खेल और पर्यटन समिति -3, जिला परिषद और पंचायती राज समिति -8, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति -3, अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति -5, शून्यकाल समिति -10, और सदाचार समिति -8

(झ) महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति - 10(1), सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति - 13(1), पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण समिति - 9(1) और स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति - 9(1)

(ञ) अन्य समिति/ गंगा कल्याण आवास समिति-2 और स्पेशल हाउस कमेटी (नर्सिंग कमेटी) - 2

(ट) वरिष्ठ नागरिक कल्याण संबंधी समिति - 8, पर्यावरण संबंधी समिति - 10, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति - 5, पिछड़ा वर्ग समुदायों के कल्याण संबंधी समिति - 9, महिला, ट्रांसजेंडर, बाल, एवं दिव्यांग कल्याण समिति -8, मछुआरों और संबद्ध श्रमिकों के कल्याण संबंधी समिति -8, युवा कल्याण और युवा मामलों संबंधी समिति - 4, राजभाषा समिति - 2, स्थानीय निधि लेखा समिति - 10, अनिवासी केरलवासियों के कल्याण संबंधी समिति -8 और विषय समिति - 26

(ठ) याचिका/अभ्यावेदन संबंधी समिति-2, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति - 1, प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति - 1, सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति-2, और कृषि विकास संबंधी समिति-1

(ड) सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति-3, स्थानीय निधि लेखा समिति (सीओएलएफए)-2, विषय समिति I-1, विषय समिति II-1, विषय समिति III-1, विषय समिति IV-2, विषय समिति V-3(2), आचार समिति-3 और सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति -2

(ढ) विषय समिति I-5(3), विषय समिति II-2(3), विषय समिति III-2(5), विषय समिति IV-3(5), विषय समिति V-2(4), विषय समिति VI-2(3), विषय समिति VII-2(7), विषय समिति VIII-2(4), विषय समिति IX-2(2) और विषय समिति X-2(3)

(ण) प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति - 7, स्थानीय निकायों संबंधी समिति - 8, पंचायती राज संस्थानों संबंधी समिति - 11, सहयोग एवं तत्सम्बन्धी कार्यकलापों संबंधी समिति - 7, वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यकलापों संबंधी समिति -9 और वर्ष 2024-25 के लिए बुद्ध दरिया और घग्गर दरिया संबंधी समिति - 3

(त) महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति - 6, प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति - 16, पिछड़ा वर्ग समुदायों के कल्याण संबंधी समिति - 14, अल्पसंख्यक कल्याण समिति - 21, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति - 12, पर्यावरण संबंधी समिति - 21 और आचार समिति - 5

(थ) प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति - 3 और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति-3

(द) राज्य के स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की जांच संबंधी समिति- (4), महिला एवं बाल कल्याण संबंधी संयुक्त समिति-4, पंचायती राज समिति -12 और संसदीय निगरानी समिति -9(2)

(ध) प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति - 4, वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब संबंधी समिति - 6, संसदीय अध्ययन संबंधी समिति -12, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की आवास संबंधी शिकायतों की जांच संबंधी समिति - 4, संसदीय एवं समाज कल्याण समिति -6, विकास प्राधिकरणों, हाउसिंग बोर्ड, जिला पंचायतों और नगर निगम में अनियमितताओं पर नियंत्रण संबंधी समिति - 4, प्रांतीय विद्युत व्यवस्था की जांच संबंधी समिति - 4, विनियमन समीक्षा समिति - 4, दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति -4, शिक्षा के व्यावसायीकरण संबंधी समिति - 4, विधायी अधिकारिता समिति -5और खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के चलन के कारण जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम संबंधी समिति - 4

(न) बिधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प संबंधी समिति -7, स्थानीय निधि लेखा समिति -11, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -6, समिति प्रणाली के सुधार और कार्यकरण संबंधी समिति -7, कृषि, कृषि विपणन एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा बागवानी संबंधी स्थायी समिति -7, उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम संबंधी स्थायी समिति -12, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति -11, उच्च शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -15(1), स्कूली शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -7, पर्यावरण, वन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति -7, वित्त एवं योजना संबंधी स्थायी समिति -7, खाद्य एवं आपूर्ति संबंधी स्थायी समिति -10(1), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति -11, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा युवा सेवाओं और खेल संबंधी स्थायी समिति -9, सिंचाई एवं जलमार्ग तथा जल संसाधन जांच और विकास संबंधी स्थायी समिति -7, श्रम संबंधी स्थायी समिति -6, शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों संबंधी स्थायी समिति -7, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सुन्दरबन मामलों संबंधी स्थायी समिति -12, विद्युत एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों संबंधी स्थायी समिति -7, लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संबंधी स्थायी समिति -16(2), सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -11, स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार संबंधी स्थायी समिति -12, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण संबंधी स्थायी समिति -7, परिवहन संबंधी स्थायी समिति -14, पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी स्थायी समिति -12, अल्पसंख्यक मामलों संबंधी स्थायी समिति -7(1), भूमि एवं भूमि सुधार संबंधी स्थायी समिति -12 और सहकारिता एवं उपभोक्ता मामलों संबंधी स्थायी समिति -12

(प) विकास संबंधी विभागों से संबद्ध स्थायी समिति-1

प्रवर/संयुक्त समितियां:

कर्नाटक वि.स. ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त प्रवर समिति - 7

परिशिष्ट - चार

01 जुलाई से 30 सितंबर 2024 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधयेकों की सूची

क्र.सं.	विधेयक का नाम	राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन की तिथि
1.	दि जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 2024	13.8.2024
2.	दि एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2024	14.8.2024
3.	दि फाइनेंस (नं. 2) बिल, 2024	16.8.2024

परिशिष्ट - पांच

1 जुलाई से 30 सितम्बर की अवधि के दौरान राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची

असम	
1.	दि असम एप्रोप्रियेशन (नं. 3) बिल, 2024
2.	दि असम शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (रिज़र्वेशन ऑफ वैकेंसीज़ इन सर्विसेज़ एंड पोस्ट्स) (अमेंडमेंट) बिल, 2024
3.	दि असम ऑफिशियल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि असम (टेम्परिली सेटल्ड एरियाज़) टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5.	दि असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
6.	दि असम रिपीलिंग बिल, 2024
7.	दि असम वेटरिनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी बिल, 2024
8.	दि असम स्किल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2024
9.	दि मोरान ऑटोनॉमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
10.	दि मटक ऑटोनॉमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
11.	दि असम अर्बन वाटर बॉडीज़ (प्रिज़र्वेशन एंड कंज़र्वेशन) बिल, 2024
12.	दि असम राइट टू पब्लिक सर्विसेज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
13.	दि असम एग्रीकल्चरल लैंड (रेगुलेशन ऑफ रिक्लासिफिकेशन एंड ट्रांसफर फॉर नॉन-एग्रीकल्चरल परपज़) (अमेंडमेंट) बिल, 2024
14	दि असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
15.	दि असम मोटर व्हीकल टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
16.	दि असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
17.	दि असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरेजेज़ एंड डिवोर्सेस बिल, 2024

बिहार	
1.	बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024
2.	बिहार माल और सेवा कर (संशोधन), 2024
3.	बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024
4.	बिहार लोक परीक्षा (अनुचित समाधान निवारण) विधेयक, 2024
5.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024
6.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
7.	बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024

छत्तीसगढ़	
1.	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2024
2.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2024
3.	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधायक, 2024

गोवा	
1.	दि गोवा एप्रोप्रिएशन बिल (नं. 2) 2024
2.	दि गोवा एप्रोप्रिएशन बिल (नं. 3) 2024
3.	दि गोवा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेकंड अमेंडमेंट्स) बिल, 2024
4.	दि भारतीय नागरिक संहिता (गोवा अमेंडमेंट) बिल, 2024
5.	दि गोवा इरिगेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
6.	दि गोवा ग्राउंड वॉटर रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024

7.	दि गोवा कोर्ट-फीस बिल, 2024
8.	दि गोवा सक्सेशन, स्पेशल नोटरीज़ एंड इन्वेंटरी प्रोसीडिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2024
9.	दि गोवा पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
10.	दि इंडियन स्टैम्प (गोआ अमेंडमेंट) बिल, 2024
11.	दि गोवा एस्कीट्स, फॉरफीचर एंड बोना वाकेंटिया बिल, 2024
12.	दि गोवा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
13.	दि गोवा इरेक्शन ऑफ शैक्स ऑन पब्लिक बीचेज़ (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) बिल, 2024
14.	दि गोवा (वेरिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स) बिल, 2024
15.	दि गोवालैंड रेवेन्यू कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2024
16.	दि गोवा लेजिस्लेटिव डिप्लोमा नं. 2070 (अमेंडमेंट) बिल, 2024
गुजरात	
1.	दि गुजरात प्रोहीबिशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2.	दि गुजरात प्रिवेन्शन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन, ईविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेज़ एंड ब्लैक मैजिक बिल, 2024
3.	दि गुजरात गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि गुजरात प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5.	दि गुजरात स्पेशल कोर्ट्स बिल, 2024

हिमाचल प्रदेश	
1.	चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन (हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट) बिल, 2024
2.	दि हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2024
3.	दि हिमाचल प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024

4.	दि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन (रेग्युलेटरी कमीशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
5.	इटरनल यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
6.	एपीजी (अखल प्रकाश गोयल) शिमला यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल, 2024
7.	अर्णि यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
8.	अभिलाषी यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
9.	बद्दी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इमर्जिंग साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
10.	बहरा यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
11.	श्री साई यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
12.	दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
13.	चितकारा यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
14.	इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
15.	महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
16.	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज़ (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
17.	करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
18.	आईईसी (इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
19.	मानव भारती यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024
20.	महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024

21.	दि हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली (अलाउंसेज़ एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स) अमेंडमेंट बिल, 2024
22.	दि हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर, हॉर्टीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री (अमेंडमेंट) बिल, 2024
23.	दि हिमाचल प्रदेश एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
24.	अटल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च, हिमाचल प्रदेश (अमेंडमेंट) बिल, 2024
25.	दि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टैरिफ) अमेंडमेंट बिल, 2024
झारखण्ड	
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2024
2.	झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024
3.	झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक, 2024
4.	झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024
5.	झारखण्ड खनिज धरित भूमि उपकार विधेयक, 2024

कर्नाटक	
1.	दि कर्नाटक लेजिस्लेचर (प्रिवेन्शन ऑफ़ डिसक्वालिफिकेशन) (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
2.	दि कर्नाटक सिने एंड कल्चरल एक्टिविस्ट्स (वेलफेयर) बिल, 2024
3.	दि कर्नाटक गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि कर्नाटक म्यूनिसिपॅलिटीज़ एंड सर्टेन अदर लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5.	दि कर्नाटक इरिगेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
6.	दि कर्नाटक अप्रोप्रिएशन (नं. 4) बिल, 2024
7.	दि ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल, 2024

8.	दि कर्नाटक लैंड रेवेन्यू (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
9.	दि कर्नाटक एनशिएंट एंड हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
10.	दि कर्नाटक मेडिकल रजिस्ट्रेशन एंड सर्टेन अदर लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
11.	श्री रेणुका यल्लम्मा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2024
12.	दि कर्नाटक शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस (रिज़र्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स इत्यादि) (अमेंडमेंट) बिल, 2024
13.	दि कर्नाटक गवर्नमेंट पार्क (प्रिज़र्वेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2024
14.	दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
15.	दि कर्नाटक सौहार्द सहकारी (अमेंडमेंट) बिल, 2024

मध्य प्रदेश	
1.	मध्य प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024
2.	मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024
3.	मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
4.	मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएँ एवं बंदीगृह विधेयक, 2024
5.	मध्य प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024
6.	मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024
7.	मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024
8.	मध्य प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024
9.	मध्य प्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024
10.	मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2024
11.	मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) विधेयक, 2024

महाराष्ट्र	
1.	दि महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2.	दि महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
3.	दि महाराष्ट्र अनएडेड प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (रेग्युलेशन ऑफ़ एडमिशन्स एंड फीस) (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि महाराष्ट्र प्रिवेन्शन ऑफ़ डिफेसमेंट ऑफ़ प्रॉपर्टी (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5.	दि महाराष्ट्र कॉम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन (प्रिवेन्शन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) बिल, 2024
6.	दि महाराष्ट्र अप्रोप्रिएशन बिल, 2024
7.	दि महाराष्ट्र टैक्स लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
8.	दि महाराष्ट्र (सेकंड सप्लिमेंटरी) अप्रोप्रिएशन बिल, 2024
9.	दि महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2024
10.	दि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
11.	दि महाराष्ट्र प्राइवेट स्किल्स यूनिवर्सिटी (एस्टैब्लिशमेंट एंड रेग्युलेशन) बिल, 2024

मिज़ोरम	
1.	दि मिज़ोरम प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ बिल, 2024
2.	दि मिज़ोरम पब्लिक रिकॉर्ड्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
3.	दि मिज़ोरम सीलिंग ऑन गवर्नमेंट गारंटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि मिज़ोरम लोकायुक्त (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5.	दि मिज़ोरम गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024

नागालैंड	
1.	डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इन अर्बन लोकल बॉडीज़ बिल, 2024
2.	दि ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
3.	दि नागालैंड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (नाइंथ अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि नागालैंड म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5.	दि नागालैंड रोड सेफ़्टी अथॉरिटी (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
6.	दि नागालैंड वर्क-चार्ज्ड एंड कैज़ुअल एम्प्लॉईज़ रेग्युलेशन (फर्स्ट अमेंडमेंट) बिल, 2024

ओडिशा	
1.	दि ओडिशा अप्रोप्रिएशन (वोट ऑन अकाउंट) बिल, 2024
2.	दि अप्रोप्रिएशन बिल, 2024
3.	दि गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, 2024

पंजाब	
1.	दि ईस्ट पंजाब वार अवॉर्ड्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2.	दि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेग्युलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
3.	दि पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि पंजाब फायर एंड इमर्जेन्सी सर्विसेज़ बिल, 2024

5.	दि पंजाब पंचायती राज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
6.	दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मार्केट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024

राजस्थान	
1.	दि राजस्थान अप्रोप्रिएशन बिल (नं. 3) बिल, 2024
2.	दि राजस्थान फाइनेंस बिल (नं. 5) बिल, 2024
3.	दि गांधी वाटिका ट्रस्ट, जयपुर (रिपील) बिल (नं. 6) बिल, 2024

सिक्किम	
1.	दि सिक्किम अप्रोप्रिएशन बिल, 2024 (बिल नं. 17)
2.	दि सिक्किम अप्रोप्रिएशन बिल, 2024 (बिल नं. 18)
3.	दि सिक्किम अप्रोप्रिएशन बिल, 2024 (बिल नं. 19)
4.	दि सिक्किम अप्रोप्रिएशन बिल, 2024 (बिल नं. 20)
5.	दि सिक्किम अप्रोप्रिएशन बिल, 2024 (बिल नं. 21)
6.	दि सिक्किम कोर्ट फीस एंड स्टैम्प्स ऑन डॉक्युमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
7.	दि सिक्किम रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड बिल, 2024
8.	दि सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024

तेलंगाना	
1.	दि यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, तेलंगाना (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) बिल, 2024

2.	दि तेलंगाना एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2024
3.	दि तेलंगाना सिविल कोर्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि तेलंगाना लॉज़ (चेंज ऑफ एक्रोनिम्स) बिल, 2024
5.	दि तेलंगाना (रेग्युलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू पब्लिक सर्विसेज़ एंड रेशनलाइज़ेशन ऑफ स्टाफ पैटर्न एंड पे स्ट्रक्चर) (अमेंडमेंट) बिल, 2024

त्रिपुरा	
1.	दि त्रिपुरा एप्रोप्रिएशन बिल, 2024
2.	दि त्रिपुरा हाउसिंग बोर्ड (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
3.	दि त्रिपुरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (एट्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024

उत्तर प्रदेश	
1.	दि उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
3.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2024
4.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024
5.	दि उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफ़ुल कन्वर्ज़न ऑफ रेलिजन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
6.	दि उत्तर प्रदेश नज़ूल प्रॉपर्टीज़ (मैनेजमेंट एंड यूटिलाइज़ेशन फ़ॉर पब्लिक पर्पसेज़) बिल, 2024
7.	दि उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (प्रिवेन्शन ऑफ अनफ़ेयर मीन्स) बिल, 2024
8.	दि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल, रीजन एंड अदर रीजनस डेवेलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2024

9.	दि फैक्टरीज़ (उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट) बिल, 2024
10.	दि उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) क्षेत्र बिल, 2024
11.	दि पेमेंट ऑफ बोनस (उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट) बिल, 2024
12.	दि उत्तर प्रदेश एप्रोप्रिएशन (सप्लिमेंटरी 2024-2025) बिल, 2024

पश्चिम बंगाल	
1.	दि वेस्ट बंगाल शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज़ डेवेलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2.	दि स्किल, नॉलेज एंड फैशन यूनिवर्सिटी बिल, 2024
3.	दि अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड (वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज़ अमेंडमेंट) बिल, 2024

दिल्ली	
1.	दि दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2024

पुदुचेरी	
1.	दि पुडुचेरी गुड एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2.	दि एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2024

परिशिष्ट छह

1 जुलाई से 30 सितम्बर 2024 की अवधि के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

क्रम सं.	अध्यादेश का नाम	प्रख्यापन की तिथि	सभा के समक्ष रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
	गोवा				
1.	दि इंडियन स्टैम्प (गोवा अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	29.02.2024	15.07.2024	30.07.2024	--
2.	दि गोवा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	29.02.2024	15.07.2024	01.08.2024	--
3.	दि गोवा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन) (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	15.03.2024	15.07.2024	01.08.2024	--
4.	दि गोवा इरेक्शन ऑफ शैक्स ऑन पब्लिक बीचेज़ (रेग्युलेशंस एंड कंट्रोल) ऑर्डिनेंसेज़, 2024	15.03.2024	15.07.2024	05.08.2024	--

गुजरात

1.	दि गुजरात लॉ (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविज़न्स) ऑर्डिनेंस, 2024	01.07.2024	21.08.2024	21.08.2024	-
2.	दि गुजरात प्रिवेन्शन एंड एरैडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफ़ाइस एंड अदर इनह्यूमन, ईविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेज़ एंड ब्लैक मैजिक बिल, 2024	31.07.2024	21.08.2024	21.08.2024	-

कर्नाटक

1.	दि बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिके (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	24.09.2024	-	-	-

केरल

1.	दि केरल टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	-	-	-	-

महाराष्ट्र

1.	दि महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	15.03.2024	27.06.2024	09.08.2024	--

2.	दि महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	16.03.2024	27.06.2024	09.08.2024	--
3.	दि महाराष्ट्र म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत्स एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	16.08.2024	--	--	--
4.	दि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सर्वेंट्स रेग्युलेशन ऑफ ट्रांसफर्स एंड प्रिवेन्शन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	29.08.2024	--	--	--
5.	दि महाराष्ट्र फेलिंग ऑफ ट्रीज़ (रेग्युलेशन) (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	06.09.2024	--	--	--
6.	दि हैदराबाद एबोलिशन ऑफ इनाम्स एंड कैश ग्रांट्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	24.09.2024	--	--	--

तेलंगाना

1.	दि तेलंगाना पंचायत राज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	31.08.2024	--	--	--
2.	दि तेलंगाना पेमेंट ऑफ सैलरीज़ एंड पेंशन एंड रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	31.08.2024	--	--	--
3.	दि तेलंगाना म्यूनिसिपलिटीज़ (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	31.08.2024	--	--	--
4.	दि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	30.09.2024	--	--	--

उत्तर प्रदेश

1.	दि उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (प्रिवेन्शन ऑफ अनफ़ेयर मीन्स) ऑर्डिनेंस, 2024	01.07.2024	29.07.2024	--	--
2.	दि उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 2024	01.07.2024	29.07.2024	--	--

3.	उत्तर प्रदेश विशेष विधियाँ (संशोधन) अध्यादेश, 2024	01.07.2024	29.07.2024	--	--
4.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (फोर्थ अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	02.07.2024	29.07.2024	--	--
5.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (फिफ्थ अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	04.07.2024	29.07.2024	--	--
6.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (फोर्थ अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2024	04.07.2024	29.07.2024	--	--

परिशिष्ट सात

क. अठारहवीं लोक सभा में (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) दलीय स्थिति (30.09.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.ज.पा.	भा.रा.कां.	स.पा.	अ.भा.तृ.कां.	द्र.मु.क.	ते.दे.पा.	ज.द.(यू.)	शि.से.(यूबीटी)	रा.कां.पा.(एस.पी.)	शि.से.	एल.जे.पी.आर.वी.	वाई.एस.आर.सी.पी.	रा.ज.द.	सी.पी.एम.	आई.यू.एम.एल.	आप	झा.मु.मो.	ज.से.पा.	सी.पी.आई.(एम.एल.)(एल.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.	आंध्र प्रदेश	25	3	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	14	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	40	12	3	-	-	-	-	12	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-	-	2
5.	छत्तीसगढ़	11	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	गोवा	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	गुजरात	26	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हरियाणा	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	झारखंड	14	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
11.	कर्नाटक	28	17	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.ज.पा.	भा.रा.कां.	स.पा.	अ.भा.तृ.कां.	द्र.मु.क.	ते.दे.पा.	ज.द.(यू.)	शि.से.(यूबीटी)	रा.कां.पा.(एस.पी.)	शि.से.	एल.जे.पी.आर.वी.	वाई.एस.आर.सी.पी.	रा.ज.द.	सी.पी.एम.	आई.यू.एम.एल.	आप	झा.मु.मो.	ज.से.पा.	सी.पी.आई.(एम.एल.)(एल.)
12.	केरल	20	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
13.	मध्य प्रदेश	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	महाराष्ट्र	48	9	12	-	-	-	-	-	9	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	मणिपुर	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	मेघालय	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	नागालैंड	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	ओडिशा	21	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	पंजाब	13	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
21.	राजस्थान	25	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
22.	सिक्किम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	तमिलनाडु	39	-	9	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
24.	तेलंगाना	17	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	त्रिपुरा	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	80	33	6	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	उत्तराखड	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	42	12	1	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.ज.पा.	भा.रा.कां.	स.पा.	अ.भा.तृ.कां.	द्र.मु.क.	ते.दे.पा.	ज.द.(यू.)	शि.से.(यूबीटी)	रा.कां.पा.(एस.पी.)	शि.से.	एल.जे.पी.आर.वी.	वाई.एस.आर.सी.पी.	रा.ज.द.	सी.पी.एम.	आई.यू.एम.एल.	आप	झा.मु.मो.	ज.से.पा.	सी.पी.आई.(एम.एल.)(एल.)
29.	अंडमान एंव निकोबार द्वीपसमूह	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	चंडीगढ़	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	जम्मू और कश्मीर	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	लद्दाख	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	पुडुचेरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	543	240*	97	37	28	22	16	12	9	8	7	5	4	4	4	3	3	3	2	2

*माननीय अध्यक्ष, लोक सभा सहित।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ज.द. (से.)	वी.सी. के.	भा.क. पा.	रा.लो. द.	जे.के. एन.सी	यू.पी.पी. एल.	अ.ग. प.	एच.ए. एम. एस.	के.ई. सी.	आर.ए स.पा.	रा.का. पा.	वी.ओ. टी.पी. पी.	जेड. पी.एम.	शि.अ. द.	आर. एल. टी.पी.	बी.ए. पी.	एस.के. एम.	मा.द्र. मु.क.	ए.एस. पी.के. आर.	अ.द. (स.)	ए.जे. एस.यू. पी.	आ.इं. म.मु.	निर्द.	कुल	रिक्त
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3.	असम	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
6.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
7.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
8.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
10.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	14	-
11.	कर्नाटक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
12.	केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1
13.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
14.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47	1
15.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
16.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
17.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ज.द. (से.)	वी.सी. के.	भा.क. पा.	रा.लो. द.	जे.के. एन.सी	यू.पी.पी. एल.	अ.ग. प.	एच.ए. एम. एस.	के.ई. सी.	आर.ए स.पा.	रा.का. पा.	वी.ओ. टी.पी. पी.	जेड. पी.एम.	शि.अ. द.	आर. एल. टी.पी.	बी.ए. पी.	एस.के. एम.	मा.द्र. मु.क.	ए.एस. पी.के. आर.	अ.द. (स.)	ए.जे. एस.यू. पी.	आ.इं. म.मु.	निर्द.	कुल	रिक्त
19.	ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
20.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-
21.	राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	1	-	-	-	-	-	-	25	-
22.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
23.	तमिलनाडु	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	39	-
24.	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-
25.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
26.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1	-	-	80	-
27.	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
28.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	1
29.	अंडमान एंव निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
32.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
33.	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ज.द. (से.)	वी.सी. के.	भा.क. पा.	रा.लो. द.	जे.के. एन.सी	यू.पी.पी. एल.	अ.ग. प.	एच.ए. एम. एस.	के.ई. सी.	आर.ए स.पा.	रा.का. पा.	वी.ओ. टी.पी. पी.	जेड. पी.एम.	शि.अ. द.	आर. एल. टी.पी.	बी.ए. पी.	एस.के. एम.	मा.द्र. मु.क.	ए.एस. पी.के. आर.	अ.द. (स.)	ए.जे. एस.यू. पी.	आ.इं. म.मु.	निर्द.	कुल	रिक्त
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
36.	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	कुल	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	540	3

दलों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (भा.रा.कां.); समाजवादी पार्टी (स.पा.); अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (अ.भा.तृ.कां.); द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्र.मु.क.); तेलुगु देशम पार्टी (ते.दे.पा.); जनता दल (यूनाइटेड) [जेडी(यू)]; शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) (एसएचएसयूबीटी); राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार (एनसीपीएसपी); शिवसेना (एसएचएस); लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) (एलजेपीआरवी); युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी); राष्ट्रीय जनता दल (रा.ज.द.); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम); इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल); आम आदमी पार्टी (आप); झारखंड मुक्ति मोर्चा (झा.मु.मो.); जनसेना पार्टी (जेएनपी); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) [सीपीआई (एमएल) (एल)]; जनता दल (सेक्युलर) [जद (एस)]; विदुथलाई चिरुथाईगल काची (वीसीके); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.); राष्ट्रीय लोक दल (आर.एल.डी.); जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जे.के.एन.); यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी - लिबरल (यूपीपीएल); असम गण परिषद (ए.जी.पी.); हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) (एचएएमएस); केरल कांग्रेस (के.ई.सी.); रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आर.एस.पी.); राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.); वॉयस ऑफ दि पीपल पार्टी (वी.ओ.टी.पी.पी.); ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेड.पी.एम.); शिरोमणि अकाली दल (शि.अ.द.); राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आर.एल.टी.पी.); भारत आदिवासी पार्टी (बी.ए.पी.); सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एस.के.एम.); मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एम.डी.एम.के.); आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) (ए.एस.पी.के.आर.); अपना दल (सोनेलाल) (अदल); आजसू पार्टी (ए.जे.एस.यू.पी.); ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (आ.इं.म.मु.); और निर्दलीय (आई.एन.डी.)।

ख. राज्य सभा में दल-वार स्थिति (06 दिसम्बर 2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	सपा.	भा.क.पा. (मा.)	ज.द. (यू)	आप	अन्नाद्रमुक	बसपा	सीपीआई	अन्य	निर्दलीय	कुल	रिक्त
1.	आंध्र प्रदेश	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8(क)	-	8	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3.	असम	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2(ख)	1	7	-
4.	बिहार	16	1	5	-	-	4	-	-	-	-	6(ग)	-	16	-
5.	छत्तीसगढ़	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
6.	गोवा	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7.	गुजरात	11	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
8.	हरियाणा	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
9.	हिमाचल प्रदेश	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
10.	झारखंड	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3(घ)	-	6	-
11.	कर्नाटक	12	5	6	-	-	-	-	-	-	-	1(ङ)	-	12	-
12.	केरल	9	1	-	-	3	-	-	-	-	2	3(च)	-	9	-
13.	मध्य प्रदेश	11	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	सपा.	भा.क.पा. (मा.)	ज.द. (यू)	आप	अन्नाद्रमुक	बसपा	सीपीआई	अन्य	निर्दलीय	कुल	रिक्त
14.	महाराष्ट्र	19	3	7	-	-	-	-	-	-	-	9(छ)	-	19	-
15.	मणिपुर	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16.	मेघालय	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(ज)	-	1	-
17.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1(झ)	-	1	-
18.	नागालैंड	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19.	ओडिशा	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7(ञ)	-	9	1
20.	पंजाब	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
21.	राजस्थान	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
22.	सिक्किम	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
23.	तमिलनाडु	18	1	-	-	-	-	-	4	-	-	13(ट)	-	18	-
24.	तेलंगाना	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4(ठ)	-	7	-
25.	त्रिपुरा	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26.	उत्तराखंड	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
27.	उत्तर प्रदेश	31	-	24	4	-	-	-	-	1	-	1(ड)	1	31	-
28.	पश्चिम बंगाल	16	-	2	-	1	-	-	-	-	-	12(ढ)	-	15	1

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	सपा.	भा.क.पा. (मा.)	ज.द. (यू)	आप	अन्नाद्रमुक	बसपा	सीपीआई	अन्य	निर्दलीय	कुल	रिक्त
संघ राज्यक्षेत्र															
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
30.	जम्मू और कश्मीर	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4
31.	पुडुचेरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32.	नाम निर्दिष्ट	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6[ण]	-	8	4
	कुल	245	27	95	4	4	4	10	4	1	2	77	3	231	14

अन्य:

(दलों/समूहों का ब्यौरा)

(क) वाईएसआरसीपी-8

(ख) एजीपी-1, यूपीपी (एल)-1

(ग) आरजेडी-5, आरएलएम-1

(घ) जेएमएम-3

(ङ) जेडी (एस)-1

(च) आईयूएमएल-2, केसी (एम)-1

(छ) एनसीपी-2, एसएस-1, आरपीआई (ए)-1, एसएस (यूबीटी)-2, एनसीपी (एससीपी)-2

(ज) एनपीपी-1

(झ) एमएनएफ-1

(ञ) बीजेडी-7

(ट) डीएमके-10, एमडीएमके-1, पीएमके-1, टीएमसी (एम)-1

(ठ) बीआरएस-4

(ड) आरएलडी-1

(ढ) एआईटीसी-12

(ण) नामनिर्दिष्ट-8

ग. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडलों में दलीय स्थिति

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा. कां.	भा.ज.पा.	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा.	रा.कां.पा.	ब.स.पा.	ज.द. (यू)	ज.द. (एस)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
आंध्र प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	121	26	61	1	-	-	-	-	-	32(क)	1	121	-
बिहार वि.स.	243	19	78	2	2	-	-	44	-	92(ख)	2	239	4
बिहार वि.प.	73	3	23	-	1	-	-	21	-	19(ग)	6	73	-
छत्तीसगढ़ वि.स.	90	35	53	-	-	-	-	-	-	1(घ)	-	89	1
गोवा वि.स.	40	3	28	-	-	-	-	-	-	6(ङ)	3	40	-
गुजरात वि.स.	182	12	161	-	-	-	-	-	-	5(च)	2	180	2
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	68	40	28	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-
झारखंड वि.स.	82	16	22	-	1	1	-	-	-	32(छ)	2	74	8

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा. कां.	भा.ज. पा.	भा.क. पा. (मा.)	भा.क. पा	रा.कां. पा.	ब.स. पा.	ज.द. (यू)	ज.द. (एस)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
कर्नाटक वि.स.	224	133	65	-	-	-	-	-	18	3[ज]	2	221	3
कर्नाटक वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
केरल वि.स.	140	20	-	61	17	2	-	-	2	36[झ]	-	138	2
मध्य प्रदेश वि.स.	230	64	163	-	-	-	-	-	-	1[ञ]	-	228	2
महाराष्ट्र वि.स.	288	36	102	1	-	52	-	-	-	68[ट]	13	273	16
महाराष्ट्र वि.प.	78	7	20	-	-	9	-	-	-	12[ठ]	3	51	27
मणिपुर वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	40	1	2	-	-	-	-	-	-	37[ड]	-	40	-
नागालैंड वि.स.	60	-	12	-	-	7	-	1	-	36[ढ]	4	60	-
ओडिशा वि.स.	147	14	78	1	-	-	-	-	-	51[ण]	3	147	-
पंजाब वि.स.	117	15	2	-	-	-	1	-	-	94[त]	1	113	4
राजस्थान वि.स.	200	65	114	-	-	-	2	-	-	4[थ]	8	193	7

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा. कां.	भा.ज. पा.	भा.क. पा. (मा.)	भा.क. पा.	रा.कां. पा.	ब.स. पा.	ज.द. (यू)	ज.द. (एस)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
सिक्किम वि.स.	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32(ङ)	-	32	-
तमिलनाडु वि.स.	234	18	4	2	2	-	-	-	-	208(घ)	-	234	-
तेलंगाना वि.स.	119	65	8	-	1	-	-	-	-	45(ग)	-	119	-
तेलंगाना वि.प.	40	4	1	-	-	-	-	-	-	34(ग)	1	40	-
त्रिपुरा वि.स.	60	3	33	10	-	-	-	-	-	14(फ)	-	60	-
उत्तर प्रदेश वि.स.	403	2	251	-	-	-	1	-	-	139(ब)	-	393	10
उत्तर प्रदेश वि.प.	100	-	79	-	-	-	-	-	-	18(च)	2	99	1
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	294	1	70	-	-	-	-	-	-	216(ग)	1	288	6
संघ राज्यक्षेत्र													
दिल्ली वि.स.	70	-	7	-	-	-	-	-	-	59(ख)	-	66	4
पुडुचेरी वि.स.	33	2	9	-	-	-	-	-	-	16(ग)	6	33	-

**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(क) एजीपी-8, यूपीपीएल-6, एआईयूडीएफ-15 और बीपीएफ-3

(ख) राष्ट्रीय जनता दल -77, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन) -11, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)-3 और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-1

(ग) सभापति-1, उप सभापति-1, आर.जे.डी.-14, आर.एल.जे.पी.-1, हम (सेक्युलर)-1 और सी.पी.आई. (एम.एल.) एल.-1

(घ) गोंडवाना गंणतत्र पार्टी-1

(ङ) महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी-2, आम आदमी पार्टी-2, गोवा फॉरवर्ड पार्टी-1 और रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी-1

(च) आम आदमी पार्टी-4 और समाजवादी पार्टी-1

(छ) अध्यक्ष-1, झारखंड मुक्ति मोर्चा-24, आजसू पार्टी-3, झारखंड विकास मोर्चा-2, राष्ट्रीय जनता दल-1 और नामनिर्दिष्ट -1

(ज) कल्याण राज्य प्रगति पक्ष (केआरपीपी)-1, सर्वोदय कर्नाटक पक्ष (एसकेपी)-1 और अध्यक्ष-1

(झ) केरल कांग्रेस (एम)-5, कांग्रेस (सेक्युलर)-1, केरल कांग्रेस (बी)-1, राष्ट्रीय जनता दल-1, जनाधिपत्य केरल कांग्रेस-1, इंडियन नेशनल लीग-1, नेशनल सेक्युलर कॉन्फ्रेंस-1, एलडीएफ निर्दलीय-5, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग-15, केरल कांग्रेस-2, केरल कांग्रेस (जैकब)-1, रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-1 और यूडीएफ निर्दलीय-1

(ञ) भारत आदिवासी पार्टी-1

(ट) शिवसेना पार्टी- 53, बहुजन विकास अघाड़ी-3, समाजवादी पार्टी-2, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन-2, प्रहार जनशक्ति पार्टी-2, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना-1, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी -1, राष्ट्रीय समाज पार्टी-1, स्वाभिमान पार्टी-1, जनसुराज्य शक्ति पार्टी-1 और क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी-1

(ठ) शिवसेना-9, और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)-3

(ड) जोरम पीपल मूवमेंट (जेडपीएम) -27 और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) -10

(ढ) नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी)-25, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)-2, लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी)-2, नेशनल पीपुल्स पार्टी -5 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)-2

(ण) बी.जे.डी.-51

(त) आम आदमी पार्टी-91 और शिरोमणि अकाली दल-3

(थ) भारत आदिवासी पार्टी-3 और राष्ट्रीय लोकदल-1

(द) सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा -32

(ध) द्रविड़ मुनेत्र कषगम-132, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम-66, पट्टाली मक्कल काची-5, विदुथलाई चिरुथिगल काची -4 और अध्यक्ष-1

(न) भारत राष्ट्र समिति-38 और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन-7

(प) भारत राष्ट्र समिति-25, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन-2, निर्दलीय (पीआरटीयू)-1 और नामनिर्दिष्ट-6

(फ) आई.पी.एफ.टी.-1 और टी.एम.पी.-13

(ब) समाजवादी पार्टी-105, अपना दल (सोनेलाल)-13, राष्ट्रीय लोक दल-8, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी-6, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल-5 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक-2

(भ) समाजवादी पार्टी-10, अपना दल (सोनेलाल) पार्टी-1, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल-1, जनसत्ता दल लोकतंत्र-1, राष्ट्रीय लोक दल-1, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी-1, शिक्षक दल (गैर-राजनीतिक)-1 और निर्दलीय समूह-2

(म) अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस-215 और राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी-1

(य) आम आदमी पार्टी-59

(र) ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस-10 और द्रविड़ मुनेत्र कषगम-6